

एनबीए के बारे में

भारत के जैविक विविधता अधिनियम 2002 को लागू करने के लिए 2003 में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए) की स्थापना की गई थी। एनबीए एक स्वायत्त और वैधानिक निकाय है और यह जैविक संसाधनों के संरक्षण, सतत उपयोग और जैविक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों के उचित और न्यायसंगत बंटवारे के मुद्दों पर भारत सरकार के लिए सुविधाप्रद, विनियामक और सलाहकार का कार्य करता है।

जैविक विविधता अधिनियम 2002 एक विकेंद्रीकृत प्रणाली के माध्यम से अधिनियम के कार्यान्वयन को अनिवार्य बनाता है, जिसमें एनबीए जैविक विविधता के संरक्षण, इसके घटकों के सतत उपयोग और जैविक संसाधन के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों के न्यायसंगत बंटवारे से संबंधित मामलों पर केंद्र सरकार को सलाह देने पर ध्यान केंद्रित करता है। एनबीए राज्य सरकारों को धारा 37 की उप-धारा (1) के तहत विरासत स्थलों के रूप में अधिसूचित किए जाने वाले जैव विविधता महत्व के क्षेत्रों के चयन और ऐसे विरासत स्थलों के प्रबंधन के उपायों के बारे में भी सलाह देता है। राज्य जैव विविधता बोर्ड (एसबीबी) जैव विविधता के संरक्षण, इसके घटकों के सतत उपयोग और जैविक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों के न्यायसंगत बंटवारे से संबंधित मामलों पर, केंद्र सरकार द्वारा जारी किसी भी दिशा-निर्देश के अधीन, राज्य सरकारों को सलाह देने पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

एसबीबी भारतीयों द्वारा किसी भी जैविक संसाधन के वाणिज्यिक उपयोग या जैव-सर्वेक्षण और जैव-उपयोग के लिए अनुमोदन या अन्यथा अनुरोध प्रदान करके विनियमन भी करता है। स्थानीय स्तर की जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ (बीएमसी) जैविक विविधता के संरक्षण, सतत उपयोग और दस्तावेजीकरण को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार हैं, जिसमें आवासों का संरक्षण, भू-प्रजातियों, लोक किस्मों और कृषकों, पालतू पशुओं और सूक्ष्मजीवों की नस्लों का संरक्षण और जैविक विविधता से संबंधित ज्ञान का वृत्तांत शामिल है।

चेन्नई, तमिलनाडु में अपने मुख्यालय के साथ एनबीए एक संरचना के माध्यम से अपना अधिदेश प्रदान करता है जिसमें प्राधिकरण, सचिवालय, एसबीबी, बीएमसी और विशेषज्ञ समितियाँ शामिल हैं।

अपनी स्थापना के बाद से, एनबीए ने 28 राज्यों और 8 यूटीबीसी में एसबीबी के निर्माण का समर्थन किया है और स्थानीय स्तर पर 2,77,688 बीएमसी की स्थापना की सुविधा प्रदान की है और पूरे देश में 2,68,037 पीबीआर तैयार किए गए हैं।

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण



वार्षिक रिपोर्ट 2023-2024



राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण

वार्षिक रिपोर्ट

2023-2024





भूपेन्द्र यादव
BHUPENDER YADAV



संदेश

जैव-विविधता के संरक्षण की जड़ें भारतीय परंपराओं और संस्कृति में गहराई तक देखने में मिलती हैं और ये समुदाय द्वारा स्थापित मानदण्डों एवं प्रथाओं में प्रतिबिंबित होती हैं। स्थानीय समुदायों के द्वारा किए जाने वाले निरंतर प्रयासों ने भारत की समृद्ध जैव-विविधता के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और मनुष्य एवं प्रकृति के बीच सामंजस्यपूर्ण सह-अस्तित्व सुनिश्चित किया है।

इन पारंपरिक मान्यताओं के अलावा, भारत ने अपने कानूनी और नीतिगत ढाँचों के माध्यम से जैव-विविधता के संरक्षण में महत्वपूर्ण प्रगति की है। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हो रही है कि राष्ट्रीय जैव-विविधता प्राधिकरण (एनबीए), जो कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का ही एक स्वायत्तशासी और वैधानिक निकाय है, देश में जैव-विविधता प्रबंधन के क्षेत्र में एक अग्रणी संगठन है। यह जैव-विविधता अधिनियम, 2002 और अब जैव-विविधता (संशोधन) अधिनियम, 2023 को कार्यान्वित कर रहा है जिसका उद्देश्य पारंपरिक ज्ञान की सुरक्षा करते हुए अनुसंधान और व्यावसायीकरण में अधिक निवेश आकर्षित करना है। यह संशोधित अधिनियम घरेलू कंपनियों के लिए अनुपालन आवश्यकताओं को सुव्यवस्थित करेगा तथा अनुसंधान, पेटेंट आवेदनों और भारत से अनुसंधान परिणामों के हस्तांतरण से संबंधित प्रक्रियाओं में तेजी लाएगा।

जैव-विविधता अधिनियम को तीन-स्तरीय संस्थागत तंत्र के माध्यम से लागू किया जाता है। इसे राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार द्वारा स्थापित एनबीए, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के स्तर पर राज्य सरकारों द्वारा स्थापित राज्य जैव-विविधता बोर्ड/संघ राज्य क्षेत्र जैव-विविधता परिषदें; और स्थानीय स्तर पर निर्वाचित निकायों द्वारा गठित जैव-विविधता प्रबंधन समितियाँ (बीएमसी) कार्यान्वित कर रही हैं। मुझे यह उल्लेख करते हुए हर्ष हो रहा कि पूरे देश में जमीनी स्तर पर 2,77,688 जैव-विविधता प्रबंधन समितियाँ गठित की गई हैं और मुझे विश्वास है कि संस्थाओं का यह नेटवर्क उक्त अधिनियम के तहत प्रावधान किए गए पहुंच और लाभ-साझाकरण तंत्र के माध्यम से स्थानीय समुदायों की आजीविका में वृद्धि करने और सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार लाने में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

वर्ष 2023-24 में, अभूतपूर्व पर्यावरणीय समस्याओं का सामना करने के बावजूद, हमने कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव-विविधता ढाँचे के अनुरूप भारत की राष्ट्रीय जैव-विविधता संबंधी कार्यनीति और कार्य योजना को अद्यतन करने के माध्यम से संकटग्रस्त प्रजातियों की सुरक्षा करने, पर्यावासों को बहाल करने और संधारणीय पद्धतियों को बढ़ावा देने में उल्लेखनीय प्रगति हासिल करने में सफलता प्राप्त की है।

वर्ष 2023-24 की यह वार्षिक रिपोर्ट भारत में समृद्ध जैव-विविधता को संरक्षित करने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाने वाला एक दस्तावेज है। मैं एनबीए के सभी अधिकारियों को वर्ष 2023-24 के दौरान होने वाली घटनाओं, प्रक्रियाओं, उपलब्धियों पर प्रकाश डालने वाले इस दस्तावेज को प्रकाशित करने के लिए बधाई देता हूँ।

(भूपेन्द्र यादव)

दिनांक: 29.07.2024





कीर्तवर्धन सिंह
KIRTI VARDHAN SINGH

राज्य मंत्री
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन
विदेश मंत्रालय
भारत सरकार
MINISTER OF STATE
ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
EXTERNAL AFFAIRS
GOVERNMENT OF INDIA



संदेश

जैव-विविधता पृथ्वी पर पौधों और जानवरों की आनुवंशिक संरचना से लेकर इस धरती की सांस्कृतिक विविधता तक समस्त जीव-जगत का आधार है। एक अरब से अधिक लोग अपनी आजीविका के लिए जैव-विविधता पर निर्भर हैं। सुदृढ़ पारिस्थितिकी तंत्र समुदायों के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। वे खाद्य सुरक्षा, स्वच्छ जल, स्वच्छ हवा और औषधियां उपलब्ध कराने के अलावा, आर्थिक और मनोरंजन संबंधी गतिविधियों में भी सहयोग प्रदान करते हैं। वे स्थिर जलवायु बनाए रखकर बीमारियों को भी दूर रखते हैं।

आजकल संरक्षण के प्रयासों को तेजी से बदलती पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुकूल होने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके लिए पारिस्थितिकी तंत्र के प्रति अनुकूलन क्षमता बढ़ाने और जैविक विविधता की रक्षा करने के लिए अभिनव दृष्टिकोण और सहयोग की आवश्यकता है। पारिस्थितिकी तंत्र एवं जलवायु के प्रति अनुकूलन और जैविक विविधता से संबंधित हाल के मुद्दे अक्सर पारिस्थितिकी तंत्र पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिनमें जैव-विविधता हॉटस्पॉट की क्षति, पर्यावास की क्षति, प्रजातियों का विलुप्त होना शामिल हैं। अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों में पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर प्रभाव, नई बीमारियाँ और कीट, संरक्षण कार्यनीतियों के लिए चुनौतियाँ शामिल हैं। पारिस्थितिकी तंत्र और जैव-विविधता पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए प्रभावी कार्यनीति तैयार करने की दृष्टि से इन चिंताओं का समाधान करना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण (एनबीए), जैविक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों के संरक्षण, उनके संधारणीय उपयोग और निष्पक्ष एवं न्यायसंगत साझेदारी से संबंधित मुद्दों पर भारत सरकार के लिए एक सुविधा प्रदाता, नियामक और सलाहकार की भूमिका निभाता है।

वर्ष 2023-2024 की वार्षिक रिपोर्ट में राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय निकाय के स्तरों पर जैव-विविधता अधिनियम, 2002 को लागू करने में हुई प्रगति पर प्रकाश डाला गया है। इस अवधि के दौरान, स्थानीय समुदायों के लाभ के लिए अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर हाल में हुई प्रगतियों के अनुकूल इस अधिनियम में संशोधन की प्रक्रिया में तेजी लाई गई है।

मैं राज्य जैवविविधता बोर्डों और जैवविविधता प्रबंधन समितियों द्वारा जैविक संसाधनों के संरक्षण के लिए जमीनी स्तर पर किए गए उल्लेखनीय कार्य की प्रशंसा करता हूँ। मैं स्थानीय समुदायों के लाभ के लिए इस अधिनियम को अक्षरशः लागू करने हेतु एनबीए के अधिकारियों के निष्ठापूर्वक किए गए प्रयासों की भी सराहना करता हूँ।


(कीर्तवर्धन सिंह)

कार्यालय : 5वां तल, आकाश विंग, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली-110003, दूरभाष: 011-20819418, 011-20819421, फ़ैक्स: 011-20819207, ई-मेल : mos.kvs@gov.in

Office : 5th Floor, Aakash Wing, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, New Delhi-110003, Tel.: 011-20819418, 011-20819421, Fax : 011-20819207, E-mail : mos.kvs@gov.in

कार्यालय : कमरा नं. 141, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001, दूरभाष: 011-23011141, 23014070, 23794337, फ़ैक्स : 011-23011425, ई-मेल : mos.kvs@gov.in

Office : Room No. 141, South Block, New Delhi-110001, Tel. : 011-23011141, 23014070, 23794337, Fax : 011-23011425, E-mail : mos.kvs@gov.in

निवास : 23, बी.आर. मेहता लेन, नई दिल्ली-110001, दूरभाष: 011-23782979

Residence : 23, B.R. Mehla Lane, New Delhi-110001, Tel.: 011-23782979





सत्यमेव जयते



लीना नन्दन
LEENA NANDAN



संदेश

सचिव
भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
SECRETARY
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST
& CLIMATE CHANGE

यह प्रसन्नता का विषय है कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एक परामर्शकारी (एनबीए), सुविधाप्रदाता और विनियामक संस्थान के रूप में, और देश में जैव संसाधनों के संधारणीय प्रबंधन के विशाल लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में, अपनी भूमिका का अच्छी तरह से निर्वहन कर रहा है।

जैव विविधता से प्राप्त होने वाले लाभों का उचित और न्यायसंगत संवितरण, कन्वेंशन ऑन बायोलोजिकल डायवर्सिटी सीबीडी का एक मुख् (य उद्देश्य है। एनबीए ने भारतीय मूल के जैविक संसाधनों के लिए पहुँच और लाभ साझाकरण तंत्र को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लाभसाझाकरण आवेदनों पर कार्यवाही करने के अलावा, एनबीए ने कई 'आउटरीच कार्यक्रम' भी आयोजित किए हैं, जिन्हें देश भर के युवाओं और छात्रों ने सकारात्मक रूप से स्वीकार किया है।

सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने अपने अपने कार्यों को पूरा करने में-उल्लेखनीय कार्य किए हैं। अन्य बातों के अलावा, इसमें जैव विविधता प्रबंधन समितियों का गठन, जन जैव विविधता रजिस्ट्रों को तैयार करना और उनका डिजिटलीकरण करना, जैविक विरासत स्थलों की पहचान करना और इनकी अधिसूचना जारी करना तथा जैव संसाधनों के उपयोग से प्राप्त लाभों को आपस में साझा करना शामिल है।

यह रिपोर्ट एनबीए द्वारा वर्ष 2023-24 के दौरान की गई गतिविधियों का एक वार्षिक विवरण है। यह भारतीय जैव संसाधनों के संरक्षण और आम नागरिकों का देश के जैविक संसाधनों पर अधिकारों को कानूनी निश्चितता प्रदान करने में एनबीए के सक्रिय प्रयासों का द्योतक है। मुझे विश्वास है कि यह वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2023-24 के दौरान एनबीए द्वारा निष्पादित विविध गतिविधियों के संबंध में जन सामान्य को उपयोगी जानकारी प्राप्त होगी।


(लीना नंदन)

नई दिल्ली

23 जुलाई, 2024

इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड़, नई दिल्ली-110 003 फोन : (011)-2081-9408, 2081-9308, फ़ैक्स : (011)-2081-9238

INDIRA PARYAVARAN BHAWAN, JOR BAGH ROAD, NEW DELHI-110 003, PH. : 011-2081-9408, 2081-9308, FAX : 011-2081-9238

E-mail : secy-moef@nic.in, Website : moef.gov.in





प्राक्कथन

मुझे आपके समक्ष 2023–2024 की रिपोर्टिंग अवधि के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है, जिसके दौरान जैव विविधता अधिनियम, 2002 और संबंधित कानूनी दस्तावेजों के प्रभावी कार्यान्वयन के प्रयासों ने और गति पकड़ी है।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी के तत्वावधान में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए) और महाराष्ट्र राज्य जैव विविधता बोर्ड (एमएसबीबी) ने 22 मई, 2023 को जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर, मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस (आईडीबी) 2023 मनाया। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, 2023 का विषय "समझौते से कार्रवाई तक: जैव विविधता का निर्माण" है। इस समारोह में भारत की स्वतंत्रता के 75 वें वर्ष के साथ-साथ संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 में माननीय प्रधान मंत्री द्वारा शुरू किए गए मिशन लाइफ (पर्यावरण के लिए जीवन शैली) के संयोजन में मिलेट्स पर विशेष ध्यान देने के साथ जैव विविधता प्रदर्शनी का उद्घाटन भी देखा गया।

गोवा सरकार और गोवा राज्य जैव विविधता बोर्ड के सहयोग से एमओईएफसीसी, भारत सरकार और एनबीए द्वारा एक और महत्वपूर्ण पहल "जन जैव विविधता रजिस्ट्रों (पीबीआर) के अद्यतन सह सत्यापन पर राष्ट्रीय अभियान" रही है। एनबीए ने राज्य जैव विविधता बोर्डों (एसबीबी) के सहयोग से 29 फरवरी से 2 मार्च 2024 तक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, मुंबई में "पैनेशिया 2024", 11वां प्राकृतिक उत्पाद एक्सपो-इंडिया (दक्षिण एशिया में प्राकृतिक और जैविक उत्पादों पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला) का आयोजन किया।

एनबीए और एमओईएफसीसी ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) और बायोटेक कंसोर्टियम इंडिया लिमिटेड (बीसीआईएल) के सहयोग से राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना (एनबीएसएपी) के अद्यतन और कुनमिंग-मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क (केएमजीबीएफ) के साथ संरेखण में राष्ट्रीय जैव विविधता लक्ष्यों (एनबीटी) को अपनाने पर राष्ट्रीय और क्षेत्रीय परामर्श बैठकों की एक श्रृंखला आयोजित की, जिसे सीबीडी के सीओपी-15 में अपनाया गया था।

मुझे बहुत बड़ी संख्या में हितधारकों और पेशेवरों और विशेष रूप से माननीय एमईएफ और सीसी, एमओईएफसीसी के वरिष्ठ अधिकारियों, प्राधिकरण के सदस्यों, राज्य वन विभागों, एसबीबी और यूटीबीसी के अध्यक्ष और सदस्य सचिवों, विभिन्न एनबीए समितियों के अध्यक्षों और सदस्यों को उनके निरंतर मार्गदर्शन और समर्थन के लिए एनबीए की गहरी प्रशंसा और कृतज्ञता दर्ज करने में बहुत खुशी हो रही है, जिसने एनबीए को अपने जनादेश और सौंपे गए कार्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त करने में सक्षम बनाया है। मैं एनबीए के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए भी एनबीए को आगे ले जाने के उनके बहुमूल्य प्रयासों के लिए अपनी प्रशंसा दर्ज कराना चाहूंगा।

(सी. अचलेन्दर रेड्डी)

अध्यक्ष, एनबीए





अभिस्वीकृति

वर्ष 2023-24 की राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट को जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 28 के प्रावधानों के अनुसार संकलित किया गया है। इस रिपोर्ट में अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन की दिशा में एनबीए की गतिविधियों और महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया है। राज्य जैवविविधता बोर्डों द्वारा किए गए कार्यकलापों को भी इस रिपोर्ट में शामिल किया गया है।

मैं राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा दिए गए बहुमूल्य सुझावों को स्वीकार करता हूँ। वह इस रिपोर्ट को तैयार करने के कार्य को पूरा करने के लिए प्रेरणा और समर्थन का एक निरंतर स्रोत रहे हैं।

मैं राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की गतिविधियों को निरंतर समर्थन देने के लिए सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। मैं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव को भी धन्यवाद देता हूँ कि अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को लागू करने के लिए एनबीए को मार्गदर्शन प्रदान किया गया और विभिन्न परियोजना-आधारित गतिविधियों को निष्पादित करने के लिए मार्गदर्शन दिया गया। मैं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सलाहकार को धन्यवाद देता हूँ जो एनबीए सचिवालय की गतिविधियों को आगे बढ़ाने में बहुमूल्य समर्थन और सलाह प्रदान करते रहे हैं।

मैं इस वार्षिक रिपोर्ट के संकलन में राज्य जैव विविधता बोर्डों के अध्यक्षों और सदस्य सचिवों की पूरक भूमिका को कृतज्ञता के साथ स्वीकार करता हूँ। मैं एनबीए की विस्तृत लेखापरीक्षा करने और लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (वैज्ञानिक लेखापरीक्षा) को भी धन्यवाद देता हूँ।

मैं वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने और प्रकाशित करने में एनबीए सचिवालय के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रयासों की तहे दिल से सराहना करता हूँ।

डॉ. ब. बालाजी
सचिव, एनबीए

Abbreviations

ABS	Access and Benefit-Sharing
ABS CH	Access and Benefit-Sharing Clearing House
AHTEG	Ad Hoc Technical Expert Group
APFD	Andhra Pradesh Forest Department
BCIL	Biotech Consortium India Limited
BD Act	Biological Diversity Act
BHS	Biodiversity Heritage Sites
BIOFIN	Biodiversity Finance Initiative
BMC	Biodiversity Management Committee
BSI	Botanical Survey of India
CASFOS	Central Academy for State Forest Service
CBD	Convention on Biological Diversity
CCMB	Centre for Cellular & Molecular Biology
CDRI	Central Drug Research Institute
CEBPOL	Centre for Biodiversity Policy and Law
CGPDTM	Controller General of Patent, Designs and Trade Marks
CIMAP	Central Institute of Medicinal and Aromatic Plants
CPCB	Central Pollution Control Board
CPIO	Central Public Information Officer
DDG	Deputy Director General
DIG	Deputy Inspector General of Police
DIPP	Department of Industrial Policy and Promotion
DSI	Digital Sequence Information
EC	Expert Committee
EIACP	Environmental Information, Awareness, Capacity building and livelihood Programme
ENVIS	Environmental Information System
EPTRI	Environment Protection Training & Research Institute
FAO	Food and Agriculture Organization
FSI	Forest Survey of India
G20	Group of 20
GEF	Global Environment Facility
GeM	Government e Marketplace
HSN	Harmonized System of Nomenclature
IARI	Indian Agricultural Research Institute
IASE	Institute of Advanced Studies in Education
ICAR	Indian Council of Agricultural research
ICAR	Indian Council of Agricultural Research
ICFRE	Indian Council of Forestry Research and Education
IDB	International day for Biological Diversity
IFGTB	Institute of Forest Genetics and Tree Breeding
IGNFA	Indira Gandhi National Forest Academy
IIFM	Indian Institute of Forest Management
IISER	Indian Institute of Science Education and Research
INSA	Indian National Science Academy
IPBES	Inter-governmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services
IRCC	Internationally Recognized Certificate of Compliance
ITPGRFA	International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture

IWST	Institute of Wood Science and Technology
KMGBF	Kunming Montreal Global Biodiversity Framework
LBF	Local Biodiversity Fund
LBSAP	Local Biodiversity Strategy & Action Plan
LiFE	Lifestyle for Environment
MAT	Mutually Agreed Terms
MHA	Ministry of Home Affairs
MoEFCC	Ministry of Environment, Forest and Climate Change
MPDO	Mandal Parishad Development Officer
MPP	Mandal Praja Parishad
MSSRF	M S Swaminathan Research Foundation
NALSAR	National Academy of Legal Studies and Research
NBA	National Biodiversity Authority
NBSAP	National Biodiversity Strategy and Action Plan
NBT	National Biodiversity Target
NCSCM	National Centre for Sustainable Coastal Management
NESFAS	North East Slow Food & Agrobiodiversity Society
NIC	National Informatics Centre
NIRDPR	National Institute of Rural Development and Panchayati Raj
NMPB	National Medicinal Plants Board
NTC	Normally Traded Commodities
NTFP	Non Timber Forest Products
OECSs	Other Effective area- based Conservation Measures
OLIC	Official Language Implementation Committee
OMLAS	One Million Leaders Asia
PBR	People's Biodiversity Register
PCCF (HoFF)	Principal Chief Conservator of Forests (Head of Forest Force)
PIC	Prior Informed Consent
PLI	Production Linked Incentive
PPVFRA	Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Authority
RTI	Right To Information
SACON	Salim Ali Centre for Ornithology and Natural History
SBB	State Biodiversity Board
SBSAP	State Biodiversity Strategy and Action Plan
SBSTTA	Subsidiary Body on Scientific, Technical and Technological Advice
TDU	The University of Trans-Disciplinary Health Sciences and Technology
TOLIC	Town Official Language Implementation Committee
UKRI	UK Research and Innovation
UNCED	United Nations Conference on Environment and Development
UNDP	United Nations Development Programme
UNEP	United Nations Environment Programme
UNFCCC	United Nations Framework Convention on Climate Change
UTBC	Union Territory Biodiversity Council
WCCB	Wildlife Crime Control Bureau
WDPA	World Database on Protected Areas
WII	Wildlife Institute of India
WWF	World Wildlife Fund
ZPTC	Zilla Parishad Territorial Constituency
ZSI	Zoological Survey of India



अंतर्वस्तु

अध्याय	विषय	पृष्ठ संख्या
	कार्यकारी सारांश	17
1	प्रस्तावना	21
2	प्राधिकरण, सांविधिक निकायों का गठन और कार्य	23
3	प्राधिकरण की बैठकें	29
4	जैविक संसाधनों तक पहुंच को विनियमित करने और उचित और न्यायसंगत लाभ साझाकरण के लिए गतिविधियाँ अनुमोदन	35
5	जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 3, 4 और 6 में उल्लिखित गतिविधियों को शुरू करने के लिए प्रदान किया गया	47
6	आनुवंशिक संसाधनों और संबद्ध ज्ञान से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकारों के संबंध में किए गए उपाय	51
7	जैविक संसाधनों के हस्तांतरण के लिए प्राधिकरण द्वारा दी गई स्वीकृतिया	53
8	बौद्धिक संपदा अधिकार और जैव विविधता अधिनियम, 2002 और सार्वजनिक भागीदारी से संबंधित जागरूकता	55
9	जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 37, 38, 40 और 64 के अंतर्गत जारी विनियम	77
10	वित्त और लेखा	79
11	वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक योजना	83
12	राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियाँ	85
अनुलग्नक		
1	प्राधिकरण के अध्यक्ष	117
2	संगठन चार्ट	118
3	भर्ती सहित कर्मचारियों की संख्या	119
4	सिटिजन चार्टर	120
5	लेखा परीक्षा रिपोर्ट	122



कार्यकारी सारांश

जैविक विविधता या जैव विविधता पृथ्वी पर जीवन की विविधता है, इसके सभी रूपों में जीन और बैक्टीरिया से लेकर पूरे पारिस्थितिक तंत्र तक शुरू होते हैं। यह अनुमान है कि अस्तित्व में पौधों और जानवरों की लगभग 8.7 मिलियन प्रजातियां हैं। हालांकि, अब तक केवल 1.2 मिलियन प्रजातियों की पहचान और वर्णन किया गया है, जिनमें से अधिकांश कीड़े हैं।

रियो डी जनेरियो में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन, 1992 के परिणामस्वरूप पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीईडी) के दौरान जैव विविधता पर कन्वेंशन (सीबीडी) को अंतर्राष्ट्रीय रूप से बाध्यकारी कानूनी उपकरण, जैविक विविधता पर कन्वेंशन (सीबीडी) को अपनाया गया, जिसका उद्देश्य जैविक विविधता के संरक्षण, सतत उपयोग और आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों का उचित और न्यायसंगत साझाकरण है। नतीजतन, भारत ने 2002 में जैव विविधता (BD) अधिनियम अधिनियमित किया और 2004 में जैव विविधता नियमों को अधिसूचित किया। बीडी अधिनियम 2002 के कार्यान्वयन के लिए एक त्रि-स्तरीय संस्थागत संरचना का गठन किया गया था, जिसमें शीर्ष निकाय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफओरसीसी) के तहत चेन्नई में मुख्यालय वाले राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए) की स्थापना 2003 में राष्ट्रीय स्तर पर अधिनियम की धारा 8 के तहत की गई थी। दूसरा और तीसरा स्तर क्रमशः राज्य स्तर पर राज्य जैव विविधता बोर्ड (एसबीबी) और स्थानीय स्तर पर जैव विविधता प्रबंधन समितियों (बीएमसी) का गठन करता है।

एनबीए अधिनियम के अंतर्गत परिकल्पित कार्यकलापों को विनियमित करता है और जैविक संसाधनों तक पहुंच के लिए दिशानिर्देश जारी करता है तथा जैव विविधता संरक्षण, सतत उपयोग, जैविक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों के उचित और समान बंटवारे से संबंधित मामलों पर भारत सरकार को सलाह देता है।

एनबीए, भारत सरकार के एक स्वायत्त और सांविधिक निकाय के रूप में, एक समर्पित और लक्ष्य-उन्मुख योजनाओं का पालन कर रहा है। रिपोर्टिंग अवधि 2023–2024 के दौरान प्रगति और उपलब्धियों की मुख्य विशेषताएं यहां संक्षेप में उल्लिखित हैं और वार्षिक रिपोर्ट में विस्तार से बताया गया है।

एनबीए ने वर्ष 2023–2024 के दौरान दो बार बैठक आयोजित किया, विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया, बीडी अधिनियम, 2002 की धारा 12 और बीडी नियमों के नियम 10 के अनुसार कार्रवाई शुरू करने और कार्यान्वित करने के लिये एनबीए सचिवालय को निर्देश और सलाह दिया।

एनबीए ने पहुंच और लाभ हिस्सेदारी (एबीएस पर ईसी) पर एक विशेषज्ञ समिति का पुनर्गठन किया है और गैर-वाणिज्यिक अनुसंधान करने के लिए भारत से बाहर जैविक संसाधनों को भेजने/ले जाने के लिए फॉर्म। पहुंच और लाभ शेयरिंग, फॉर्म III और फॉर्म बी आवेदन का मूल्यांकन किया है और गैर-भारतीय जैविक संसाधनों तक पहुंच जैसे विभिन्न सामान्य मुद्दों पर तकनीकी-कानूनी इनपुट प्रदान किए हैं। एनबीए ने जैव विविधता नियम, 2004 की समीक्षा करने और उपयुक्त संशोधनों का सुझाव देने के लिए एक विशेषज्ञ समिति भी गठित किया है; बीडी (संशोधन) अधिनियम, 2023 के परिप्रेक्ष्य में एबीएस विनियम, 2014 और जैव विविधता विरासत स्थलों के प्रबंधन के लिए मॉडल नियम तैयार करना के लिये 21 बार बैठकें की गईं। विस्तृत विचार-विमर्श के बाद विशेषज्ञ समिति ने नियमों और प्रपत्रों में उपयुक्त संशोधन का प्रस्ताव किया।

एनबीए ने लाल चंदन की एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है जो लाल चंदन की खपत से उद्भूत लाभों के संरक्षण, सतत उपयोग और उचित और समान हिस्सेदारी पर व्यापक नीति पर अधिकार प्राप्त समिति की रिपोर्ट में विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई पूर्व में की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की समीक्षा करेगी और उसमें संशोधन का सुझाव देगी। इसके अतिरिक्त, निजी/किसान धारित राशि से लाल चंदन के आवेदनों के निपटान के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने के लिये भी सुझाव देगी। इसके अलावा, राज्य जैव विविधता बोर्ड (एसबीबी) और केंद्र शासित प्रदेश जैव विविधता परिषद

(यूटीबीसी) की मौजूदा प्रशासनिक संरचना का अध्ययन करने और जैविक विविधता अधिनियम के तहत अनिवार्य विभिन्न कार्यों को निष्पादित करने के लिए सुधारों का सुझाव देने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। विशेषज्ञ समिति ने जनवरी 2024 में एक बार बैठक की और रेड सैंडर्स संरक्षण और इसके सतत उपयोग पर विभिन्न मुद्दों पर लाभों आदि के उपयोग को साझा करने, खेती/पट्टा भूमि के लिए प्रक्रियात्मक दिशानिर्देशों और जांच सूची की समीक्षा करने और जब्त किए गए लाल चंदन की और चुनौतियों पर चर्चा किया।

अनुसंधान, वाणिज्यीकरण, जैव-सर्वेक्षण और जैव-उपयोग के लिए प्रयुक्त कतिपय सामग्रियों/संसाधनों/रसायनों की वैज्ञानिक जांच करने और जैव विविधता (संशोधन) अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के अनुसार प्रयोज्यता के उनके दायरे का निर्धारण करने के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार प्राप्त करने तथा सीबीडी की सभी आगामी बैठकों में डीएसआई पर भारत की स्थिति विकसित करने के लिए अंकीय अनुक्रम सूचना (डीएसआई) पर विशेषज्ञ समितियां गठित की गई हैं।

वर्ष 2023-24 के दौरान, अनुसंधान/व्यावसायिक उपयोग, अनुसंधान परिणामों के हस्तांतरण, बौद्धिक संपदा अधिकारों और तीसरे पक्ष के हस्तांतरण के लिए जैविक संसाधनों की पहुंच के संबंध में 1285 आवेदन प्राप्त हुए। इस अवधि के दौरान कुल 969 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। एनबीए को अब तक लाभ साझाकरण (बीएस) घटक के रूप में लगभग 221.14 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है, जिसमें से 18.35 करोड़ रुपये वर्ष 2023-2024 के दौरान प्राप्त हुए हैं। लाल चंदन की लकड़ी तक पहुंच पर प्राप्त बीएस राशि में से एनबीए ने राष्ट्रीय संस्थानों जैसे वन आनुवंशिकी और वृक्ष प्रजनन संस्थान को लकड़ी विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान और ट्रांस-डिसिप्लिनरी हेल्थ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी विश्वविद्यालय प्राधिकरण के अनुमोदन के साथ लाल चंदन पर ईसी की सिफारिश के अनुसार 9551 लाख की रेड सैंडर्स अनुसंधान परियोजनाओं की सहायता किया है; भारत नागोया प्रोटोकॉल का एक पक्षकार होने के नाते, एनबीए ने 2023-24 के दौरान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अनुपालन प्रमाणपत्र बनाने के लिये एबीएस सीएच प्लेटफॉर्म में दी गई 148 स्वीकृतियों का विवरण अपलोड किया है।

राज्य स्तर पर बीडी अधिनियम 2002 का कार्यान्वयन एसबीबी की स्थापना और स्थानीय स्तर पर बीएमसी का गठन करके शुरू किया गया था। 2023-24 के अंत में, कुल 2,77,688 बीएमसी का गठन किया गया है और पूरे देश में 2,68,037 पीबीआर तैयार किए गए हैं। अब तक, देश में सत्रह राज्यों द्वारा सैंतालीस (47) जैव विविधता विरासत स्थलों (बीएचएस) को अधिसूचित किया गया है। राज्यों में कई अन्य बीएचएस की पहले ही पहचान की जा चुकी है और कुछ को अधिसूचना के लिए प्रस्तावित किया गया है। 2023-24 के दौरान, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश राज्यों ने 06 और बीएचएस अधिसूचित किए हैं।

एनबीए ने वर्ष 2023-24 के दौरान संबंधित राज्यों के लिए आउटसोर्सिंग, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, पीयर-टू-पीयर लर्निंग एक्सचेंज विजिट, ज्ञान सामग्री के मुद्रण और प्रसार, विषयगत विशेषज्ञ समिति के गठन और वेबसाइट रखरखाव के घटकों जैसे संस्थागत तंत्र को मजबूत करने की दिशा में सहायता अनुदान द्वारा लगभग सभी एसबीबी को वित्तीय सहायता प्रदान की है। राज्य और स्थानीय निकाय स्तर पर आने वाली समस्याओं और चुनौतियों पर बातचीत करने और समझने के लिए एसबीबी की मासिक समीक्षा बैठकें बुलाई गईं।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तत्वावधान में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए) और महाराष्ट्र राज्य जैव विविधता बोर्ड ने 22 मई, 2023 को जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर, मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस (आईडीबी) 2023 मनाया। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, 2023 का विषय है “समझौते से कार्रवाई तक: जैव विविधता का निर्माण”। इस समारोह में भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में माननीय प्रधान मंत्री द्वारा शुरू किए गए मिशन लाइफ (पर्यावरण के लिए जीवन शैली) के संयोजन में बाजरा पर विशेष ध्यान देने के साथ जैव विविधता प्रदर्शनी का उद्घाटन भी देखा गया और यह भी घोषणा की गई थी कि 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाया जाएगा।

बाजरा प्रदर्शनी का उद्घाटन माननीय केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने जियो वलर्ड कन्वेंशन सेंटर, मुंबई में किया। जियो कन्वेंशन सेंटर में G20 की बैठक में भाग लेने वाले अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने बाजरा प्रदर्शनी का भी दौरा किया है।

आईडीबी 2023 समारोह के एक भाग के रूप में, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी), भारत सरकार और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए) ने गोवा सरकार और गोवा राज्य जैव विविधता बोर्ड के सहयोग से 23 मई 2023 को नेउरा गांव, तिस्वाड़ी जिला, गोवा में “पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्ट्रों (पीबीआर) के अपडेशन सह सत्यापन पर राष्ट्रीय अभियान” के लिए फ्लैग ऑफ समारोह की मेजबानी की। गोवा के माननीय मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत और माननीय केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे ने संयुक्त रूप से अभियान का शुभारंभ किया। कुल 25 एसबीबी और 5 यूटीबीसी ने पीबीआर की निर्धारित संख्या के अद्यतन और सत्यापन का कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। एसबीबी/यूटीबीसी द्वारा कुल 11,921 पीबीआर को अद्यतन और सत्यापित किया गया है।

राज्य जैव विविधता बोर्डों (एसबीबी) के सहयोग से, एनबीए ने वलर्ड ट्रेड सेंटर, मुंबई में 29 फरवरी से 2 मार्च 2024 तक शेशिडो कम्युनिकेशंस “पैनेसिया – 2024, 11वां प्राकृतिक उत्पाद एक्सपो-इंडिया” (दक्षिण एशिया में प्राकृतिक और जैविक उत्पादों पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला) द्वारा आयोजित प्रदर्शनी में भाग लिया। इस सहयोग ने जैव विविधता संरक्षण और टिकाऊ संसाधन प्रबंधन के लिए एक सामूहिक दृष्टिकोण का प्रदर्शन किया, जो जैव संसाधनों के प्राकृतिक उत्पादों को प्रदर्शित करने और प्राकृतिक उत्पादों और उद्योगों से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों के पेशेवरों और प्रदर्शकों के साथ जुड़ने का एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान करता है।

जैव विविधता कन्वेंशन (सीबीडी) में दो अनिवार्य अयोग्य दायित्वों को शामिल किया गया है, अर्थात्, अनुच्छेद 6 के तहत राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना (एनबीएसएपी) तैयार करना और अनुच्छेद 26 के तहत राष्ट्रीय रिपोर्ट तैयार करना। एनबीएसएपी राष्ट्रीय स्तर पर कन्वेंशन के प्रावधानों की योजना बनाने और उन्हें लागू करने के लिए एक प्रमुख साधन है। सीबीडी के COP-15 में कुनमिंग-मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क (केएम-जीबीएफ) को अपनाने के बाद, एक राष्ट्रीय परामर्श बैठक और तीन क्षेत्रीय परामर्श बैठकों में “संपूर्ण सरकार, संपूर्ण समाज दृष्टिकोण” का पालन करते हुए, केएम-जीबीएफ लक्ष्यों और लक्ष्यों के साथ संरेखण में एनबीएसएपी के अद्यतन और राष्ट्रीय जैव विविधता लक्ष्यों (एनबीटी) को अपनाने के लिए एक अंतर और अंतर-मंत्रालयी परामर्श आयोजित किया गया। सभी संबंधित मंत्रालयों, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों, केंद्रीय और राज्य अनुसंधान संस्थानों, विश्वविद्यालयों, उद्योगपतियों, स्थानीय समुदायों, किसानों, गैर सरकारी संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने इस सम्मेलन में भाग लिया।

वर्ष 2023-24 के वार्षिक खाते और 2024-25 के लिए वार्षिक योजना भी 2023-24 की इस वार्षिक रिपोर्ट में शामिल हैं।



प्रस्तावना

जैविक विविधता या जैव विविधता पृथ्वी पर जीवन की विविधता है, इसके सभी रूपों में जीन और बैक्टीरिया से लेकर पूरे पारिस्थितिक तंत्र तक शुरू होते हैं। आज हम जो जैव विविधता देखते हैं वह 4.5 बिलियन वर्षों के विकास का परिणाम है, जो मनुष्यों से तेजी से प्रभावित होती है।

भारत दुनिया के सबसे जैव विविधता वाले क्षेत्रों में से एक है और इसमें दुनिया के 36 जैव विविधता हॉटस्पॉट में से चार शामिल हैं – पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, इंडो-बर्मा और सुंदरलैंड (निकोबार द्वीप समूह) हॉटस्पॉट। 17 मेगाडाइवर्स देशों में से एक, भारत प्रजातियों और पारिस्थितिकी तंत्र विविधता में काफी समृद्ध है। देश के 10 जैव-भौगोलिक क्षेत्रों में जीवों की 1,03,258 से अधिक प्रजातियों और वनस्पतियों की 55,048 प्रजातियों का दस्तावेजीकरण किया गया है। पुष्प विविधता को ध्यान में रखते हुए, भारत में 55,048 ज्ञात पौधों की प्रजातियों में से 12,095 स्थानिक हैं। प्राणिजात के मामले में 28,948 प्रजातियां देश के लिए स्थानिक हैं और भारत में अब तक अभिज्ञात कुल 1,03,258 प्रजातियों में से ये 28% हैं।

जैविक संसाधन लोगों के आर्थिक और सामाजिक विकास दोनों के लिए पारिस्थितिकी तंत्र और समाज में आवश्यक घटक हैं। तथापि, इससे जैव विविधता पर भारी दबाव पड़ा है क्योंकि जनसंख्या में भी तेजी से वृद्धि हुई है और तेजी से आर्थिक विकास हुआ है। परिणामस्वरूप, इसने प्राकृतिक आवासों के विनाश और विखंडन को जन्म दिया है, जो पारिस्थितिकी और इसके निवासियों को बदल देता है, जिससे लाखों लोगों की आजीविका प्रभावित होती है। जवाब में, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) ने नवंबर 1988 में जैविक विविधता पर विशेषज्ञों के तदर्थ कार्य समूह को जैविक विविधता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की आवश्यकता का पता लगाने के लिए बैठक आयोजित किया, जिसका समापन 22 मई 1992 को जैविक विविधता पर सम्मेलन (सीबीडी) के रूप में हुआ। सीबीडी 29 दिसंबर 1993 को तीन मुख्य उद्देश्यों के साथ लागू हुआ: जैविक विविधता का संरक्षण, जैविक विविधता के घटकों का सतत उपयोग और आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों का उचित और न्यायसंगत बंटवारा। भारत ने सीबीडी के तहत दायित्वों को पूरा करने के लिए जैव विविधता अधिनियम, 2002 अधिनियमित किया। यह अधिनियम भारत की संसद द्वारा जैविक संसाधनों के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए अधिनियमित किया गया था और जैविक संसाधनों और उनसे जुड़े ज्ञान के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों के समान साझाकरण के लिए तंत्र भी प्रदान करता है।

एनबीए की स्थापना 2003 में केंद्र सरकार द्वारा भारत के जैविक विविधता अधिनियम (2002) को लागू करने के लिए की गई थी। एनबीए एक स्वायत्त और सांविधिक निकाय है और संरक्षण, जैविक संसाधनों के सतत उपयोग और जैविक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों के उचित और समान बंटवारे के मुद्दों पर केंद्र सरकार के लिए सुविधाजनक, विनियामक और सलाहकार कार्य करता है। राज्य जैव विविधता बोर्ड (एसबीबी) जैव विविधता के संरक्षण, इसके घटकों के सतत उपयोग और जैविक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों के समान साझाकरण से संबंधित मामलों पर केंद्र सरकार द्वारा जारी किसी भी दिशानिर्देश के अधीन राज्य सरकारों को सलाह देने पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

एसबीबी भारतीयों द्वारा किसी भी जैविक संसाधन के वाणिज्यिक उपयोग या जैव-सर्वेक्षण और जैव-उपयोग के अनुरोधों पर अनुमोदन प्रदान करके या अन्यथा विनियमित करते हैं। स्थानीय स्तर पर स्थापित जैवविविधता प्रबंधन समितियां (बीएमसी) पर्यावासों के परिरक्षण, भू-नस्लों, लोक किस्मों और कृषकों के संरक्षण, पशुओं और सूक्ष्मजीवों के पालतू स्टॉक और नस्लों तथा जैविकीय विविधता से संबंधित ज्ञान को क्रमबद्ध करने सहित जैवविविधता के संरक्षण, सतत उपयोग और प्रलेखन को बढ़ावा देने के लिए उत्तरदायी हैं।

बीडी अधिनियम की धारा 28 के अनुसार, वार्षिक लेखा परीक्षित विवरणों के साथ हर साल 31 अगस्त से पहले संसद में एक वार्षिक रिपोर्ट रखी जानी है। इस संबंध में, एनबीए ने वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने के लिए मील के पत्थर निर्धारित किए हैं।



डॉ. एस. राजेश कुमार



प्राधिकरण, सांविधिक निकायों का गठन और कार्य

2.1. राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की संरचना

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए) का प्रमुख अध्यक्ष होता है, जो जैव विविधता के सतत प्रबंधन में ज्ञान और अनुभव रखने वाला एक प्रसिद्ध व्यक्ति है। इसमें भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों के दस पदेन सदस्य और पांच गैर-सरकारी सदस्य शामिल हैं जो जैव विविधता प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं के विशेषज्ञ हैं।

2.1.1. बीडी अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (4) के खंड (ए) के तहत नियुक्त अध्यक्ष

इस अवधि के दौरान, एनबीए की अध्यक्षता श्री सी अचलेन्दर रेड्डी, आईएफएस (सेवानिवृत्त) अध्यक्ष ने की, जो 13 वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर भारत सरकार द्वारा स्थापित सेंटर फॉर इनोवेशन इन पब्लिक सिस्टम्स, (एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया का एक स्वायत्त केंद्र), हैदराबाद के पूर्व निदेशक थे।

2.1.2. बीडी अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (4) के खंड (बी) के तहत नियुक्त एमओईएफऔरसीसी और जनजातीय मामलों के मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने वाले पदेन सदस्य

केंद्र सरकार द्वारा तीन पदेन सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, अर्थात् पर्यावरण एवं वन मंत्रालय और एमओईएफ & सीसी का प्रतिनिधित्व करने वाले दो – अपर वन महानिदेशक और भारत सरकार के संयुक्त सचिव, और एक संयुक्त सचिव या समकक्ष रैंक के अधिकारी के रैंक में जनजातीय कार्य मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करता है।

2.1.3. बीडी अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (4) के खंड (सी) के तहत नियुक्त अन्य पदेन सदस्य

केंद्र सरकार सात अन्य पदेन सदस्यों की नियुक्ति करती है जो संयुक्त सचिव या समकक्ष रैंक के अधिकारी के रैंक में हैं और इन क्षेत्रों में विशेषज्ञ होंगे –

कृषि अनुसंधान और शिक्षा जैव प्रौद्योगिकी महासागर विकास कृषि और सहयोग भारतीय चिकित्सा प्रणाली और होम्योपैथी विज्ञान और प्रौद्योगिकी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान

- i. कृषि अनुसंधान और शिक्षा
- ii. जैव प्रौद्योगिकी
- iii. समुद्र विकास
- iv. कृषि और सहयोग
- v. भारतीय चिकित्सा प्रणाली और होम्योपैथी
- vi. विज्ञान और प्रौद्योगिकी
- vii. वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान

2.1.4. बीडी अधिनियम, 2002 की धारा 8 की उप-धारा (4) के खंड (डी) के तहत नियुक्त गैर-सरकारी सदस्य

पांच गैर-सरकारी सदस्यों को वैज्ञानिकों और उद्योग के प्रतिनिधियों, संरक्षणवादियों और जैविक संसाधनों के ज्ञान-धारकों के बीच चुना जाता है, जिन्हें जैविक विविधता के संरक्षण, जैविक संसाधनों के सतत उपयोग और जैविक संसाधनों से उत्पन्न होने वाले लाभों के समान बंटवारे से संबंधित मामलों में ठोस ज्ञान और अनुभव होता है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण की संरचना नीचे तालिका-1 में दी गई है।

तालिका 1: राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के सदस्य

क्रमांक	पदेन सदस्य
1	जनजातीय मामलों के मंत्रालय में संयुक्त सचिव या समकक्ष रैंक का अधिकारी श्रीमती आर जया, आईएएस, कमरा नंबर 736, ए-विंग, 7वीं मंजिल, शास्त्री भवन, नई दिल्ली 110 001
2	अपर महानिदेशक (वन), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय श्री सौमित्र दासगुप्ता, आईएएस, अतिरिक्त वन महानिदेशक, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली 110 003
3	पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में इस विषय से संबंधित संयुक्त सचिव श्री रघु कुमार कोडाली सलाहकार और वैज्ञानिक जी, सीएस -III डिवीजन, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली 110 003
4	कृषि अनुसंधान और शिक्षा, कृषि मंत्रालय में विषय से संबंधित संयुक्त सचिव या समकक्ष रैंक का एक अधिकारी श्री पंकज यादव, आईएएस संयुक्त सचिव (बीज और जीसी), कृषि और सहकारिता विभाग, कमरा नंबर 244, कृषि भवन, डॉ राजेंद्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली 110 001।
5	जैव प्रौद्योगिकी विभाग में विषय से संबंधित संयुक्त सचिव या समकक्ष रैंक का एक अधिकारी डॉ. मनोज कुमार मोदी, वैज्ञानिक एफ, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक नंबर 2, लोधी रोड, नई दिल्ली 110 003
6	संयुक्त सचिव या समुद्र विकास विभाग में इस विषय से संबंधित समकक्ष रैंक का एक अधिकारी डॉ. एम.वी. रमनामूर्ति, निदेशक, नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च (एनसीसीआर), एनआईओटी कैम्पस, वेलाचेरी – तांबरम मेन रोड, पल्लीकरनी, चेन्नई, तमिल नाडु –600100

क्रमांक		पदेन सदस्य
7	संयुक्त सचिव या भारत सरकार के समकक्ष रैंक का एक अधिकारी जो कृषि और सहकारिता विभाग में इस विषय से संबंधित है	डॉ. तिलक राज शर्मा, उप महानिदेशक (फसल विज्ञान), फसल विज्ञान विभाग, भाकृअनुप, कृषि भवन, नई दिल्ली 110 001
8	संयुक्त सचिव या भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी विभाग में विषय से संबंधित समकक्ष रैंक का अधिकारी	प्रो (डॉ) तनुजा मनोज नेसारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड, आयुष विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, तीसरी मंजिल, आयुष भवन, बी ब्लॉक, जीपीओ कॉम्प्लेक्स, आईएनए, नई दिल्ली 110 023
9	संयुक्त सचिव या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग में विषय से संबंधित समकक्ष के एक अधिकारी	डॉ अखिलेश गुप्ता, वैज्ञानिक जी, प्रमुख योजना, समन्वय और प्रदर्शन प्रबंधन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, प्रौद्योगिकी भवन, न्यू महारौली रोड, नई दिल्ली 110 016
10	संयुक्त सचिव या विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में विषय से संबंधित समकक्ष रैंक के अधिकारी	डॉ संजय कुमार निदेशक , हिमालय जैव संसाधन प्रौद्योगिकी संस्थान, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, पालमपुर, हिमाचल प्रदेश 176 061
गैर-सरकारी सदस्य		
1	डॉ अलका राव, प्रधान वैज्ञानिक, सीएसआईआर- माइक्रोबियल प्रौद्योगिकी संस्थान (सीएसआईआर-आईएमटेक), चंडीगढ़ - 160036	
2	डॉ. जॉयकुमार मैतेई लेशराम, प्रोफेसर और डीन, कृषि महाविद्यालय, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इंफाल, मणिपुर	
3	श्री विनोद कुमार यादव, अमलताश कुंज, फ्लैट 7, एसी-148, स्ट्रीट 47, एक्शन एरिया I, न्यूटाउन, कोलकाता - 700161	
4	डॉ. गौरी जोशी, 401, बलवंत आश्रम, निर्माण एलीट के पीछे, लॉ कॉलेज रोड, एरंडवाने, पुणे, महाराष्ट्र - 411004	
5	डॉ. हंचिनल आर. रामप्पा, 1, हौदिन रोड, उल्सूर, बेंगलुरु - 560001	

2.2. एनबीए के कार्य

- ◆ जैव विविधता के संरक्षण, इसके घटकों के सतत उपयोग और जैविक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों के उचित और न्यायसंगत बंटवारे से संबंधित मामलों पर भारत सरकार को सलाह देना।
- ◆ बीडी अधिनियम 2002 की धारा 3, 4 और 6 के अनुसार गतिविधियों को विनियमित करना और जैविक संसाधनों और/या संबंधित ज्ञान और निष्पक्ष और न्यायसंगत साझाकरण तक पहुंच के लिए दिशानिर्देश जारी करना। (कुछ व्यक्तियों/नागरिकों/संगठनों को जैविक संसाधन और/या उपयोग के लिए संबद्ध ज्ञान प्राप्त करने के लिए एनबीए के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होती है)।
- ◆ भारत से प्राप्त किसी भी जैविक संसाधन या भारत से अवैध रूप से प्राप्त ऐसे जैविक संसाधनों से जुड़े ज्ञान पर भारत के बाहर किसी भी देश में बौद्धिक संपदा अधिकार प्रदान करने का विरोध करने के लिए आवश्यक उपाय करना।
- ◆ विरासत स्थलों के रूप में अधिसूचित किए जाने वाले जैव विविधता महत्व के क्षेत्रों के चयन में राज्य सरकारों को सलाह देना और उनके प्रबंधन के लिए उपाय सुझाना।
- ◆ जन जैव विविधता रजिस्टर तैयार करने के लिए राज्य जैव विविधता बोर्डों के माध्यम से जैव विविधता प्रबंधन समितियों को मार्गदर्शन और तकनीकी सहायता प्रदान करना।
- ◆ ऐसे अन्य कार्य करना जो जैव विविधता अधिनियम के प्रावधानों को पूरा करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं।

2.3. राज्य जैव विविधता बोर्ड (एसबीबी)

एसबीबी की स्थापना राज्य सरकारों द्वारा अधिनियम की धारा 22 के अनुसार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा की जाती है। एनबीए केंद्र शासित प्रदेशों में एसबीबी की शक्तियों और कार्यों का उपयोग करता है। एनबीए अपनी सभी या किन्हीं शक्तियों या कार्यों को ऐसे व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह को प्रत्यायोजित कर सकता है जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया गया है। एसबीबी में एक अध्यक्ष, संबंधित विभागों का प्रतिनिधित्व करने वाले पांच पदेन सदस्य और जैविक विविधता के संरक्षण, जैविक संसाधनों के सतत उपयोग से संबंधित अनुभव रखने वाले पांच विशेषज्ञ शामिल हैं और जो उनके उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों का उचित और न्यायसंगत साझाकरण से संबंधित अनुभव रखते हैं।

2.3.1. एसबीबी के कार्य

- ◆ जैव विविधता के संरक्षण, इसके घटकों के सतत उपयोग और जैविक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों के उचित और न्यायसंगत बंटवारे से संबंधित मामलों पर केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अधीन राज्य सरकारों को सलाह देना।
- ◆ भारतीयों द्वारा किसी भी जैविक संसाधनों के वाणिज्यिक उपयोग या जैव-सर्वेक्षण और जैव-उपयोग के अनुरोध को अनुमोदन प्रदान करके या अन्यथा, विनियमित करना।
- ◆ अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक या राज्य सरकारों द्वारा यथा निर्धारित अन्य कार्यों का निष्पादन करना।

2.4. जैव विविधता प्रबंधन समितियां (बीएमसी)

बीडी अधिनियम की धारा 41 के अनुसार, स्थानीय निकाय अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर जैव विविधता के संरक्षण, सतत उपयोग और प्रलेखन को बढ़ावा देने के लिए बीएमसी का गठन करेंगे जिसमें पर्यावासों का संरक्षण, भू-प्रजातियों, लोक किस्मों और कृषकों का संरक्षण, पालतू स्टॉक और जानवरों और सूक्ष्मजीवों की नस्लें, और जन जैव विविधता रजिस्टर (पीबीआर) के रूप में जैविक विविधता से संबंधित ज्ञान का क्रमबद्ध करना शामिल है। प्रत्येक बीएमसी में एक अध्यक्ष और

स्थानीय निकाय द्वारा नामित छह व्यक्ति होते हैं जिनमें से एक तिहाई महिलाएं होती हैं और 18% अनुसूचित जाति / जनजाति श्रेणी से संबंधित होते हैं। मार्च 2024 तक, पूरे भारत में 2,77,688 बीएमसी हैं।

2.4.1. बीएमसी के कार्य

स्थानीय लोगों के परामर्श से लोक जैव विविधता रजिस्टर (पीबीआर) तैयार करना, रखरखाव करना और उसका अधिप्रमाणन करना।

अनुमोदन प्रदान करने के लिए राज्य जैव विविधता बोर्ड या एनबीए द्वारा भेजे गए किसी भी मामले पर सलाह प्रदान करना।

जैविक संसाधनों का उपयोग करने वाले स्थानीय वैद्यों और चिकित्सा चिकित्सकों के बारे में आंकड़ों का रखरखाव करना।

2.5. केन्द्र और राज्य सरकारों की भूमिका

- ◆ राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, राज्य जैव विविधता बोर्डों और जैव विविधता प्रबंधन समितियों की स्थापना करना।
- ◆ जैविक विविधता के संरक्षण, संवर्धन और सतत उपयोग के लिए राष्ट्रीय रणनीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों का विकास करना।
- ◆ राज्य सरकारों को निर्देश जारी करना कि वे उन जैव विविधता से समृद्ध पर्यावासों की सुरक्षा के लिए तत्काल सुधारात्मक उपाय करें, जिन्हें अत्यधिक उपयोग, दुरुपयोग या उपेक्षा का खतरा
- ◆ प्रासंगिक क्षेत्रीय या क्रॉस-सेक्टरल योजनाओं, कार्यक्रमों और नीतियों में जैविक विविधता के संरक्षण, संवर्धन और टिकाऊ उपयोग का एकीकरण करना। एनबीए द्वारा संस्तुत जैविक विविधता से संबंधित स्थानीय लोगों के ज्ञान का सम्मान और संरक्षण करने का प्रयास करना।
- ◆ पर्यावरण और जैव विविधता पर परियोजनाओं के प्रभाव का आकलन करना और संरक्षण पर जीवित संशोधित जीवों के उपयोग/रिलीज के जोखिम या प्रतिकूल प्रभाव को विनियमित, प्रबंधित या नियंत्रित करना, और जैविक विविधता और मानव स्वास्थ्य के सतत उपयोग के बीच की कड़ी का अध्ययन करना।
- ◆ केंद्र सरकार, एनबीए के परामर्श से,
 - i. खतरे वाली प्रजातियों को सूचित करें और उनके संग्रह, पुनर्वास और संरक्षण को प्रतिबंधित या विनियमित करें।
 - ii. संस्थानों को जैविक संसाधनों की विभिन्न श्रेणियों के लिए भंडार के रूप में नामित करें।
 - iii. सामान्य रूप से वस्तुओं के रूप में कारोबार किए जाने वाले कुछ जैविक संसाधनों को छूट दें।

राज्य सरकारें स्थानीय निकायों के परामर्श से जैव विविधता विरासत स्थलों को अधिसूचित करती हैं और सभी विरासत स्थलों (केंद्र सरकार के परामर्श से) के प्रबंधन और संरक्षण के लिए नियम बनाती हैं और प्रभावित लोगों को क्षतिपूत/पुनर्वास के लिए योजनाएं शुरू करती हैं।



प्राधिकरण की बैठकें

रिपोर्टिंग अवधि के दौरान, प्राधिकरण की दो बैठकें हुईं और बीडी अधिनियम, 2002 की धारा 12 और बीडी नियम, 2004 के नियम 10 के अनुसार कार्रवाई करने के लिए एनबीए सचिवालय को सलाह दी गई। इसके अलावा, प्राधिकरण ने एबीएस पर विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के साथ एबीएस आवेदनों पर विचार किया और निर्णय दिए और एनबीए सचिवालय को सलाह दी। चर्चा की गई कार्यसूची और आयोजित बैठकों के परिणामों का उल्लेख नीचे किया गया है।

3.1. प्राधिकरण की 68वीं बैठक

प्राधिकरण (शासी निकाय) की 68वीं बैठक 1 और 2 दिसंबर 2023 को आईएनएसए, नई दिल्ली में श्री सी. अचलेन्दर रेड्डी, आईएफएस (सेवानिवृत्त) अध्यक्ष, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। बैठक में विचार-विमर्श किए गए, विचार-विमर्श किए गए महत्वपूर्ण विषय निम्नलिखित थे:

- i) राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी प्राधिकरण ने जैव विविधता नियमों में संशोधन और प्रपत्रों एवं शुल्कों की अधिसूचना पर विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार किया। प्राधिकरण ने अधिकार प्राप्त समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को सिद्धांत रूप में अनुमोदित कर दिया और इसको रिकार्ड किया।
- ii) प्राधिकरण ने अनुबंध II में संलग्न कुछ संशोधनों के अधीन बीडी नियमों में मसौदा संशोधनों को सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित किया। संशोधित नियम भविष्यलक्षी रूप से लागू होते हैं। (प्रो. आर.आर. हंचीनाल)
- iii) सदस्यों ने एनबीए सचिवालय को निर्देश दिया कि संशोधित मसौदा नियमों को सभी सदस्यों को टिप्पणियों के लिए पांच दिन का समय देकर अग्रेषित किया जाए। यदि कोई टिप्पणी प्राप्त होती है तो उसे संकलित किया जाएगा और प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।
- iv) प्राधिकरण के सदस्यों ने निर्णय लिया कि रेड सैंडर्स से संबंधित आवेदनों को रेड सैंडर्स पर चुनाव आयोग के समक्ष रखा जा सकता है और सिफारिशों पर प्राधिकरण की अगली बैठक में विचार किया जा सकता है।
- v) प्राधिकरण ने निर्णय लिया कि एनबीए लाल चंदन की खेती के स्रोत से लाल चंदन की खेती के स्रोत तक पहुंच के लिए प्रक्रियात्मक दिशा-निर्देश तैयार करेगा और प्रारूप दिशा-निर्देशों को प्राधिकरण की अगली बैठक में विचारार्थ रखा जाएगा।
- vi) प्राधिकरण ने निर्णय लिया कि रेड सैंडर्स तक पहुंच के लिए एक अलग प्रक्रिया और जांच सूची (i) खेती की गई या निजी/पट्टा भूमि और (ii) जब्त किए गए लाल चंदन के लिए एनबीए द्वारा अनुमोदन प्रदान करने और जब्त/नीलाम किए जाने के लिए लाल चंदन की रक्षा के लिए स्रोत जब्त किए जाने और इसे प्राधिकरण के विचार के समक्ष रखा जाएगा।
- vii) प्राधिकरण ने लाल चंदन पर विशेषज्ञ समिति को सौंपे गए कार्य अर्थात् “विशेषज्ञ समिति द्वारा अपनी पहले की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर की गई कार्रवाई की समीक्षा करना; सिफारिशों में अंतराल की पहचान करने और आगे का रास्ता सुझाने और रेड सैंडर्स से संबंधित किसी भी अन्य विषय वस्तु के सुझाव” पर भी ध्यान दिया।
- viii) प्राधिकरण ने एनबीए कार्यालय भवन के लिये भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को तेज करने के लिये एनबीए सचिवालय को निर्देश दिया।

- ix) प्राधिकरण ने निर्णय लिया कि एमओईएफसीसी के अधिकारी और सचिव, एनबीए इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए पंचायती राज मंत्रालय के संयुक्त सचिव के साथ बैठक करेंगे।
- x) प्राधिकरण ने निर्णय लिया कि एनबीए एसबीबी और यूटीबीसी को सलाह दे सकता है कि वे बैंकों में स्थानीय जैव विविधता निधि (एलबीएफ) खाता खोलने के महत्व के बारे में बीएमसी के बीच जागरूकता पैदा करें।
- xi) प्राधिकरण के सदस्यों ने जैव विविधता के संरक्षण के उपायों के स्थानीय स्तर के कार्यान्वयन में बीएमसी को शामिल करने और पीबीआर में आर्द्रभूमि जैव विविधता को शामिल करने के लिए एनबीए द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की।
- xii) प्राधिकरण ने यह भी निर्णय लिया कि एनबीए रामसर स्थलों में अपने संरक्षण प्रयासों के लिए बीएमसी को मजबूत करने की दिशा में अमृत धरोहर की रणनीति को लागू करने के लिए एमओईएफसीसी से अतिरिक्त बजट का अनुरोध कर सकता है।
- xiii) प्राधिकरण ने एसबीबीयूटीबीसी को प्रदान किए गए सहायता अनुदान के पुनर्वैधीकरण के लिए कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया, जिसका उपयोग उस वित्तीय वर्ष में नहीं किया गया है और जिसका उपयोग अगले अगले वित्तीय वर्ष में किया जाएगा।
- xiv) प्राधिकरण ने एसबीबीयूटीबीसी से पहले से स्वीकृत और प्राप्त प्रस्तावों के लिए सचिव, एनबीए को 5.00 लाख रुपये तक के पुनर्वैधीकरण के लिए अनुमोदन देने की वित्तीय शक्ति प्रत्यायोजित की।
- xv) प्राधिकरण ने निर्णय लिया कि उल्लंघन के सभी मामलों को संशोधित अधिनियम और नियम लागू होने तक स्थगित रखा जाएगा।
- xvi) प्राधिकरण ने निर्णय लिया कि जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 3 और धारा 6 का उल्लंघन करने वाले 47 आवेदनों (फॉर्म I— 21 और फॉर्म III—26) को जैव विविधता (संशोधन) अधिनियम, 2023 और संशोधित नियमों के लागू होने तक स्थगित रखा जाएगा।
- xvii) सदस्यों ने आवेदन अर्थात् मेसर्स मोनसेंटो होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स ईस्ट वेस्ट सीड्स इंडिया लिमिटेड, मेसर्स एचएम क्लॉज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा पैतृक और अलग-अलग लाइनों के लिए अग्रिम भुगतान लगाने पर पुनर्विचार करने के लिए किए गए प्रस्तुतीकरण को स्थगित कर दिया।
- xviii) प्राधिकरण ने मेसर्स मोनसेंटो होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स ईस्ट वेस्ट सीड्स इंडिया लिमिटेड, मेसर्स एचएम क्लॉज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के आवेदनों की जांच करने और प्राधिकरण को विचार के लिए अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए अध्यक्ष के रूप में डॉ हंचिनल रामप्पा और सदस्य के रूप में डॉ जॉयकुमार लैशराम की एक उप-समिति बनाने का निर्णय लिया।
- xix) प्राधिकरण ने निर्णय लिया कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की संख्या वार्षिक आधार पर सरकारी ई-मार्केट प्लेस (जीईएम) के माध्यम से बढ़ाकर 50 की जाएगी।
- xx) प्राधिकरण ने वार्षिक रिपोर्ट 2022-2023 के साथ-साथ नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय द्वारा किए गए खातों की लेखा परीक्षा और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय द्वारा प्रमाणन जारी करने को मंजूरी दी, जिसे दोनों सदनों में संसद के पटल पर रखने के लिए एमओईएफसीसी को भेजा जाएगा।
- xxi) प्राधिकरण एनबीए के इस प्रस्ताव पर सहमत हुआ कि पूर्व परामर्शदाता, युवा व्यावसायिक, अध्यक्ष/सह-अध्यक्ष, विभिन्न विशेषज्ञ समितियों के सदस्य और संविदा कर्मचारी आदि, जिन्होंने विगत में एनबीए के साथ काम किया है और जिनका ट्रैक रिकॉर्ड सिद्ध हो चुका है, को विज्ञापन लिए बिना लगातार 6 महीने से 12 महीने तक काम पर रखा जा सकता है।

xxii) प्राधिकरण के सदस्यों ने प्रत्येक परियोजना प्रस्ताव के लिए अध्यक्ष, एनबीए द्वारा स्वीकृत की जाने वाली वित्तीय सीमा को 7 लाख रु से बढ़ाकर 10 लाख रु करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया। प्राधिकरण ने विचार-विमर्श के बाद निम्नानुसार निर्णय लिया:

- a) आगामी 5वें चक्र में इंटर्न की संख्या 25 से बढ़ाकर 40 की जा सकती है।
- b) पांचवें चक्र के इंटर्न के लिए स्टाइपेंड को 23,500/- रुपये प्रति माह तक बढ़ाया जा सकता है।
- c) इंटर्न को शामिल होने के दौरान और इंटर्नशिप से उनके गृहनगर से मुक्त होने के बाद तीसरे एसी ट्रेन (आने-जाने) में यात्रा भत्ता की अनुमति होगी।
- d) चतुर्थ चक्र के इंटर्न जो वर्तमान में विभिन्न एसबीबी/यूटीबीसी के साथ हैं, एक और वर्ष के लिए जारी रह सकते हैं बशर्ते एसबीबी/यूटीबीसी और इंटर्न दोनों इसके लिए सहमत हों। रु. 25,000/- प्रति माह का स्टाइपेंड दिया जायेगा।

xxiii) प्राधिकरण के सदस्यों ने रामबाण 2024 –11वें प्राकृतिक उत्पाद एक्सपो इंडिया बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) के लिए सेशीडो कंयूनिकेशन्स के साथ सहयोग करने के लिए एनबीए के प्रस्ताव को मंजूरी दी। एक्सपो 29 फरवरी-1 मार्च 2024 के दौरान वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, मुंबई में आयोजित किया गया था, जिसमें त्रिपुरा और असम जैसे उत्तर-पूर्वी राज्यों सहित एसबीबी की सहायता से अद्वितीय जैव-संसाधन और प्राकृतिक उत्पादों को प्रदर्शित करने वाले पांच प्रदर्शनी स्टालों का आयोजन किया गया था।

xxiv) प्राधिकरण के सदस्यों ने निर्णय लिया कि इनमें से एक स्टॉल विशेष रूप से संबंधित एसबीबी की मदद से उत्तर पूर्वी राज्यों की अद्वितीय जैव विविधता समृद्धि को चित्रित करेगा। यह भी निर्णय लिया गया है कि प्राधिकरण के सदस्य डॉ. जॉयकुमार लैशराम इस संबंध में समन्वय करेंगे।



प्राधिकरण की 68वीं बैठक में विचार-विमर्श करते प्राधिकरण के सदस्य

3.2. प्राधिकरण की 69वीं बैठक

प्राधिकरण की 69वीं बैठक 28 मार्च 2024 को अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में श्री सी. अचलेन्दर रेड्डी, आईएफएस, (सेवानिवृत्त), अध्यक्ष, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की अध्यक्षता में हाइब्रिड मोड में आयोजित की गई थी। बैठक में विचार-विमर्श और लिए गए महत्वपूर्ण विषय इस प्रकार थे:

- a) प्राधिकरण के सदस्यों ने निर्णय लिया कि एनबीए बीडी (संशोधन) अधिनियम, 2023 के ढांचे के भीतर एबीएस अनुप्रयोगों और विविध मामलों के प्रभावी निपटान के लिए, जहां भी आवश्यक हो, एक तदर्थ तंत्र का पालन करेगा।
- b) सदस्यों ने निर्णय लिया कि फॉर्म के लिए आवेदन शुल्क मौजूदा दरों के अनुसार लिया जा सकता है।
- c) प्राधिकरण के सदस्यों ने निर्णय लिया कि एनबीए संशोधित बीडी नियमों और संशोधित एबीएस विनियमों को अधिसूचित करने और परिचालन में लाने तक एबीएस विनियम, 2014 के अनुसार लाभ-साझाकरण घटक का निर्धारण कर सकता है।



प्राधिकरण की 69वीं बैठक में विचार-विमर्श करते प्राधिकरण के सदस्य

- d) अंतराल अवधि के दौरान की गई कार्रवाई को बाद की बैठकों के दौरान प्राधिकरण के ध्यान में लाया जाएगा।
- e) प्राधिकरण ने निर्णय लिया कि जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 3, 4 और 6 का उल्लंघन करने वाले 49 आवेदनों (फॉर्म I-23, फॉर्म II- 1 और फॉर्म III-25) को जैव विविधता (संशोधन) अधिनियम, 2023 और संशोधित नियमों के लागू होने तक स्थगित रखा जाएगा।
- f) इसकी सूचना आवेदकों को दी जा सकती है।
- g) प्राधिकरण ने निर्णय लिया कि एनबीए से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना पहले से की गई पहुंच को नियमित करने के लिए एक समय-अवधि प्रदान करने के लिए एनबीए एमओआईएफसीसी से संपर्क करेगा।
- h) प्राधिकरण के सदस्यों ने धारा 7 इकाई डॉ. महेश मानसिंग पाटिल, निदेशक, मेसर्स एवेस फूड टेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर फॉर्म बी आवेदन (INBAB202304265) को मंजूरी दे दी।
- i) प्राधिकरण के सदस्यों ने सराहना की और निर्णय लिया कि एनबीए को नालसार विश्वविद्यालय के साथ सीईबीपीओएल चरण- II परियोजना शुरू करनी चाहिए और नालसार विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके केंद्र की स्थापना करनी चाहिए।

- j) प्राधिकरण के सदस्यों ने युवा पेशेवरों काम पर रखने के लिए दिशानिर्देश 2024 को मंजूरी दी।
- k) प्राधिकरण के सदस्यों ने निर्णय लिया कि टीडीयू, बेंगलुरु में औषधीय पौधों पर प्रस्तावित हर्बेरियम का आकलन करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए सीमैप, लखनऊ, सीडीआरआई, एनएमपीबी, आईसीएआर के प्रतिनिधियों के साथ-साथ एनबीए के गैर-सरकारी सदस्यों सहित सदस्यों की एक समिति गठित की जा सकती है। रिपोर्ट को प्राधिकरण की अगली बैठक में विचारार्थ रखा जाएगा। डॉ हंचिनल आर रामप्पा को प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया जाए और जल्द से जल्द टीडीयू, बेंगलुरु के दौरे की व्यवस्था की जाए।
- l) प्राधिकरण के सदस्यों ने वृक्षारोपण मशीन की खरीद के लिए पहले से स्वीकृत 4.00 करोड़ रुपये में से एपीएफडी को वन गेस्ट हाउस के नवीनीकरण पर 60.00 लाख रुपये खर्च करने की अनुमति देने की पुष्टि की।
- m) प्राधिकरण के सदस्यों ने फॉर्म-1 आवेदन में आवेदक में से एक का नाम बदलने के लिए कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की और सचिवालय की कार्रवाई की पुष्टि की।
- n) प्राधिकरण के सदस्यों ने पहले से जारी आदेशों के अनुसार सचिव को विभागाध्यक्ष के रूप में और प्रशासनिक अधिकारी को कार्यालय प्रमुख के रूप में शक्तियों के प्रत्यायोजन का अनुमोदन और अनुसमर्थन किया। मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) अर्थात् राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण का अध्यक्ष, जो एक स्वायत्त और सांविधिक निकाय है, प्रवृत्त अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार समय-समय पर प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करता रहेगा।
- o) प्राधिकरण के सदस्यों ने ईपीबीआर बायोमिस परियोजना में हुई प्रगति पर ध्यान दिया और एनबीए के अध्यक्ष को, आवश्यकतानुसार, परियोजना और वित्तीय बजट का विस्तार करने के लिए अधिकृत किया।
- p) प्राधिकरण के सदस्यों ने पशुधन सेवा विभाग, कृषि एवं पशुधन मंत्रालय, नेपाल सरकार को अग्रिम भुगतान एकत्र किए बिना प्रजनन उद्देश्य के प्रजनन उद्देश्य के लिए मुराह भैंसों तक पहुंचने के लिए अनुमोदन प्रदान करते हुए एनबीए द्वारा लिए गए निर्णय का अनुसमर्थन किया।
- q) प्राधिकरण के सदस्यों ने संसाधन जुटाने को मजबूत करने के लिए कार्य समूह/व्यवसाय संबंधी विशेषज्ञ समिति के कार्यालय आदेश को अनुमोदित किया।
- r) प्राधिकरण के सदस्यों ने 68वीं प्राधिकरण की बैठक के निर्णय के अनुसार उप-समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को पैरेन्टल और पादप आनुवंशिक संसाधनों की अलग-अलग लाइनों के लिए लगाए गए अग्रिम भुगतान के पुनर्मूल्यांकन पर विचार करने के लिए अनुमोदित किया।



जैविक संसाधनों तक पहुंच को विनियमित करने और उचित और न्यायसंगत लाभ साझाकरण के लिए गतिविधियाँ

4.1. अभिगम और लाभ साझाकरण (एबीएस) पर विशेषज्ञ समिति (ईसी)

अनुसंधान, जैव-सर्वेक्षण और जैव-उपयोग तथा वाणिज्यिक उपयोग के लिए जैविक संसाधनों और/अथवा संबद्ध ज्ञान तक पहुंच हेतु पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने, जैव संसाधनों पर अनुसंधान अथवा सूचना पर आधारित आविष्कार के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार प्राप्त करने के लिए अनुसंधान के परिणामों को अंतरित करने और प्राप्त किए गए जैविकीय संसाधनों को तृतीय पक्ष को अंतरण, जो एनबीए द्वारा प्राप्त होते हैं, का मूल्यांकन इस विशेषज्ञ समिति द्वारा किया जाता है जो तदुपरांत प्राधिकरण के विचार के लिए उपयुक्त सिफारिशें करता है।

वर्ष के दौरान, एबीएस पर पुनर्गठित ईसी की बैठक 17.01.2024 को चेन्नई में हुई। बैठक की अध्यक्षता डॉ. पी. एल. गौतम ने की और सह-अध्यक्षता डॉ. एस. बालाजी, आईएफएस (सेवानिवृत्त) ने की। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय और माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, दक्षिणी क्षेत्र, चेन्नई द्वारा मैसर्स एबीएस द्वारा दायर एबीएस आवेदन, जो क्रमशः मेसर्स इन्वेंटप्राइस और डाबर इंडिया लिमिटेड द्वारा फाइल किये गये थे, की पुन जांच करने के निदेश के अनुसार अनुपालन को पूरा करने के लिए एनबीए द्वारा यह बैठक बुलाई गई थी। दोनों आवेदकों को समिति के समक्ष अपने आवेदन प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। इस संबंध में मैसर्स इन्वेंटप्राइज का एक प्रतिनिधि समिति के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुआ और उसने अपने तर्कों को संक्षिप्त में प्रस्तुत किया। मेसर्स डाबर इंडिया लिमिटेड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड के माध्यम से उपस्थित हुआ और अपनी दलीलें प्रस्तुत कीं।

उक्त आवेदनों के अलावा, उक्त आवेदनों में शामिल विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए उपयुक्त मार्गदर्शन प्राप्त करने हेतु विशेषज्ञ समिति के समक्ष 11 एबीएस आवेदन प्रस्तुत किए गए थे। इनमें से सात (7) आवेदन फार्म I के तहत और तीन (3) आवेदन फार्म III के तहत और एक (1) आवेदन फार्म बी के तहत आवेदन किया गया था। एबीएस अनुप्रयोगों के अलावा, एबीएस पर ईसी के समक्ष चर्चा के लिए तीन (3) सामान्य मुद्दों को लिया गया था। विशेषज्ञ समिति के समक्ष रखी गई कार्यसूची की कुल 14 मदें थीं। चर्चा के दौरान समिति ने मैसर्स इन्वेंटप्राइज और सुश्री द्वारा दायर एबीएस आवेदनों पर कुछ स्पष्टीकरण मांगे, जिस पर आवेदक ने सूचना प्रस्तुत करने के लिये समय मांगा। समिति ने छह एजेंडा मदों पर भी चर्चा की, लेकिन समय की कमी के कारण इसे अगली कार्यकारी परिषद की बैठक के लिए टाल दिया।

तदनुसार, एबीएस पर ईसी की 69वीं बैठक की निरंतरता में, समिति ने 2 मार्च 2024 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड के माध्यम से बैठक को बढ़ा दिया ताकि आवेदकों क्रमशः मेसर्स इन्वेंटप्राइज और मेसर्स डाबर इंडिया लिमिटेड द्वारा दी गई जानकारी की विशेष रूप से जांच की जा सके।



एबीएस पर विशेषज्ञ समिति के सदस्यों की बैठक 17.01.2024 को चेन्नई में हुई



चेन्नई में 17.01.2024 को आयोजित बैठक में एबीएस पर विचार-विमर्श करते हुए विशेषज्ञ समिति के सदस्य



चेन्नई में 17.01.2024 को आयोजित बैठक में एबीएस पर विशेषज्ञ समिति के सदस्य विचार-विमर्श करते हुए

4.2 जैव विविधता नियम, 2004 की समीक्षा करने और उसमें उचित संशोधनों का सुझाव देने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन; संसद में बीडी (संशोधन) अधिनियम, 2023 के परिप्रेक्ष्य में एबीएस विनियम, 2014; और जैव विविधता विरासत स्थलों के प्रबंधन के लिए मॉडल नियम तैयार करना:

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार, एनबीए ने निम्नलिखित अधिदेश के साथ एक विशेषज्ञ समिति (ईसी) का गठन किया: (क) जैव विविधता नियम, 2004 की समीक्षा करना; बीडी के परिप्रेक्ष्य में जैविक संसाधनों और संबद्ध ज्ञान और लाभ साझाकरण विनियम, 2014 तक पहुंच पर दिशानिर्देश (संशोधन विधेयक, 2022; जैव विविधता अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए पहुंच और लाभ साझाकरण और अन्य संबंधित मुद्दों पर नागोया प्रोटोकॉल और नियमों और पहुंच और लाभ साझाकरण (एबीएस) विनियमों, यदि कोई हो, में उपयुक्त संशोधनों का सुझाव देना; और (ख) जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 37 के तहत आवश्यक जैव विविधता विरासत स्थलों के प्रबंधन के लिए मॉडल नियम तैयार करना।

विशेषज्ञ समिति और एनबीए द्वारा गठित इसकी उप-समिति ने 21 बैठकें की हैं जिनका उल्लेख नीचे किया गया है। बीडी (संशोधन) अधिनियम के अनुसार बीडी अधिनियम में संशोधनों के आलोक में मौजूदा नियमों पर विचार-विमर्श के दौरान अधिकार प्राप्त समिति अपने सदस्यों के समृद्ध और विविध अनुभव का लाभ प्राप्त करती है जिसमें विभिन्न प्रक्रियाओं, पिछले कई वर्षों में हितधारकों द्वारा उठाए गए मुद्दों से निपटने में एनबीए अधिकारियों का जैविक संसाधनों और संबंधित ज्ञान तक पहुंच को विनियमित करने के लिए उनके अनुप्रयोगों को संसाधित करना, राज्य जैव विविधता बोर्ड (एसबीबी) केंद्र शासित प्रदेश जैव विविधता परिषदों और संबंधित विभागों से जुड़े ईसी सदस्यों के क्षेत्र का व्यावहारिक अनुभव शामिल है।

जैविक विविधता (संशोधन) अधिनियम, 2023 के अनुसार किए गए संशोधनों को ध्यान में रखते हुए, मौजूदा बीडी नियमों पर ईसी द्वारा किए गए विस्तृत विचार-विमर्श और उसके उपयुक्त संशोधन किए गए। इसके बाद, ईसी ने 29 सितंबर, 2023 को एनबीए को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें जैविक विविधता नियमों के मसौदे में प्रस्तावित संशोधन और एनबीए को फॉर्म और फीस के लिए मसौदा अधिसूचना शामिल थी।

तालिका-2: विशेषज्ञ समिति और उप-समिति की बैठकें

क्रमांक	बैठक	तारीख और समय	बैठक का माध्यम/स्थान
1	बैठक 1	05.04.2023	वर्चुवल माध्यम
2	बैठक 2	03.05.2023	वर्चुवल माध्यम
3	बैठक 3	16.06.2023	वर्चुवल माध्यम
4	बैठक 4	13.07.2023 & 14.07.2023	नई दिल्ली
5	बैठक 5	27.07.2023	वर्चुवल माध्यम
6	बैठक 6	12.08.2023 & 13.08.2023	हाइब्रिड माध्यम
7	बैठक 7	18.08.2023 & 19.08.2023	वर्चुवल माध्यम
8	बैठक 8	25.08.2023	वर्चुवल माध्यम
9	बैठक 9	29.08.2023	वर्चुवल माध्यम
10	बैठक 10	31.8.2023	वर्चुवल माध्यम
11	बैठक 11	02.09.2023 & 03.09.2023	हाइब्रिड माध्यम
12	बैठक 12	05.09.2023	वर्चुवल माध्यम

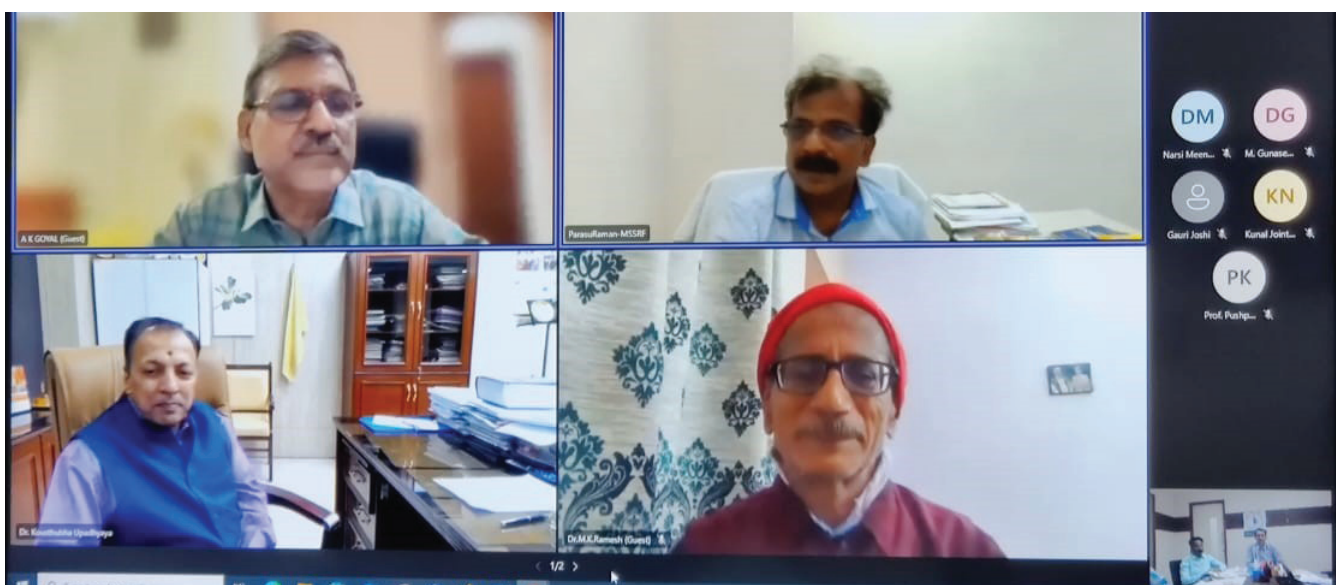
क्रमांक	बैठक	तारीख और समय	बैठक का माध्यम/स्थान
13	बैठक 13	12.09.2023	वर्चुवल माध्यम
14	बैठक 14	23.09.2023 & 24.09.2023	वर्चुवल माध्यम
15	उप- समिति की बैठक	26.09.2023	वर्चुवल माध्यम
16	बैठक 15	17.10.2023	वर्चुवल माध्यम
17	बैठक 16	28.10.2023	वर्चुवल माध्यम
18	बैठक 17	15.11.2023	वर्चुवल माध्यम
19	बैठक 18	26.11.2023 & 27.11.2023	वर्चुवल माध्यम
20	बैठक 19	24.01.2024	वर्चुवल माध्यम
21	बैठक 20	21.02.2024	वर्चुवल माध्यम



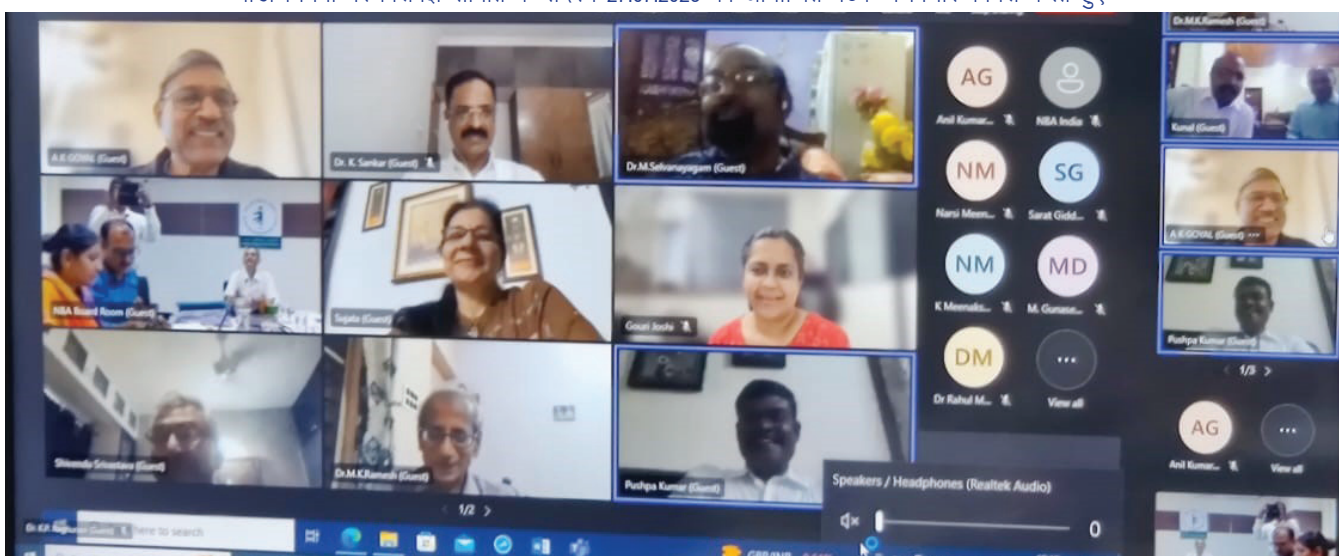
13.07.2023 को आयोजित बैठक में विचार-विमर्श करते हुए बीडी नियमों पर विशेषज्ञ समिति के सदस्य



सचिव, एनबीए और 16.06.2023 को आयोजित बीडी नियमों पर विशेषज्ञ समिति की बैठक में भाग लेने वाले एनबीए कर्मचारी



बीडी नियमों पर विशेषज्ञ समिति के सदस्य 27.07.2023 को आयोजित बैठक में विचार-विमर्श करते हुए



17.10.2023 को आयोजित बैठक में विचार-विमर्श करते हुए बीडी नियमों पर विशेषज्ञ समिति के सदस्य

4.3 लाल चंदन पर पुनर्गठित विशेषज्ञ समिति:

लाल चंदन पर पुनर्गठित विशेषज्ञ समिति (ईसी) की पहली बैठक श्री चंदन शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। श्री बी. विजयन, आईएएस (सेवानिवृत्त) ने दिनांक 05 और 06 जनवरी, 2024 को चेन्नई में विशेषज्ञ समिति द्वारा "लाल चंदन के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों के संरक्षण, सतत उपयोग और उचित और समान साझाकरण पर व्यापक नीति" पर अपनी रिपोर्ट में की गई पूर्व सिफारिशों के कार्यान्वयन की समीक्षा करने और उसमें संशोधन का सुझाव देने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। इसके अतिरिक्त, यह निजी/किसानों की जोतों से लाल चंदन के आवेदनों के निपटान के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने के लिये भी गठित की गई।

विशेषज्ञ समिति ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जैसे प्रक्रियात्मक दिशानिर्देशों में संशोधन और खेती और जब्त लाल चंदन तक पहुंच के लिए एनबीए द्वारा अनुमोदन प्रदान करने के लिए चेकलिस्ट। इसमें, तिरुपति, आंध्र प्रदेश में लाल चंदन और पूर्वी घाटों की जैव विविधता पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी आयोजित करने के लिए तौर-तरीकों पर चर्चा करने और प्रस्तावित करने के लिए एक उप-समिति का गठन करने का भी निर्णय लिया गया।

तदनुसार, एनबीए ने 16.02.2024 को श्री राजीव गांधी की अध्यक्षता में एक उप-समिति का गठन किया। श्री. पी. मल्लिकार्जुन राव, आईएएस (सेवानिवृत्त), पूर्व पीसीसीएफ (एचओएफएफ), आंध्र प्रदेश सात सदस्यों के साथ और इसे 12.03.2024 को आंशिक रूप से संशोधित किया गया था। उप-समिति ने रेड सैंडर्स पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने के तौर-तरीकों पर चर्चा करने के लिए 05 मार्च, 2024 को एक आभासी बैठक बुलाई। यह निर्णय लिया गया कि चर्चा के आधार पर एक अवधारणा नोट तैयार किया जाए और इसे उप-समिति की अगली बैठक में चर्चा करने के लिए सदस्यों के बीच साझा किया जाए।



रेड सैंडर्स पर विशेषज्ञ समिति के सदस्य 5-6 जनवरी 2024 को पहली बैठक में विचार-विमर्श करते हुए

4.4 एसबीबी/यूटीबीसी पर विशेषज्ञ समिति

जैव विविधता नियम, 2004 के नियम 11 के साथ पठित जैविक विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एनबीए ने राज्य जैव विविधता बोर्ड (एसबीबी) और केंद्र शासित प्रदेश जैव विविधता परिषद (यूटीबीसी) की मौजूदा प्रशासनिक संरचना का अध्ययन करने और जैविक विविधता अधिनियम के तहत अनिवार्य विभिन्न कार्यों को निष्पादित करने के लिए सुधारों का सुझाव देने के लिए आठ महीने की अवधि के लिए 14 अगस्त 2023 के कार्यालय आदेश के माध्यम से एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया।



एनबीए के अध्यक्ष और सचिव के साथ एसबीबी/यूटीबीसी पर विशेषज्ञ समिति के सदस्य

विशेषज्ञ समिति की पहली बैठक 18 सितंबर 2023 को चेन्नई में श्री राजेन हबीब ख्वाजा, आईएएस (सेवानिवृत्त), पूर्व सचिव, पर्यटन मंत्रालय और खान मंत्रालय, पूर्व संयुक्त सचिव/अतिरिक्त सचिव, एमओईएफसीसी और सह-अध्यक्ष, डॉ. राजीव के श्रीवास्तव, आईएएस (सेवानिवृत्त), पूर्व प्रधान मुख्य वन संरक्षक, तमिलनाडु सरकार की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी।



18 सितंबर 2023 को आयोजित पहली बैठक में एसबीबी/यूटीबीसी पर विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष, सह-अध्यक्ष और अध्यक्ष एनबीए

बैठक के अनुवर्ती कार्यवाई के रूप में, विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष और सह-अध्यक्ष ने 14 नवंबर 2023 को इंदिरा पर्यावरण भवन, नई दिल्ली में एमओईएफसीसी कार्यालय में एमओईएफसीसी की सचिव सुश्री लीना नंदन से मुलाकात की और एसबीबी और यूटीबीसी के कामकाज से संबंधित मामलों पर चर्चा की।

विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष और सह-अध्यक्ष ने दिल्ली जैव विविधता परिषद का भी दौरा किया और दिल्ली जैव विविधता परिषद के प्रभावी कार्यक्रम के लिए संगठनात्मक और संरचनात्मक ढांचे पर स्पष्टता सुनिश्चित करने के लिए मिशन दृष्टिकोण पर चर्चा की।

विशेषज्ञ समिति में निहित विचारार्थ विषयों (टीओआर) को पूरा करने और जैव विविधता अधिनियम में उल्लिखित कार्यों के प्रभावी निष्पादन के लिए व्यापक रिपोर्ट तैयार करने की चल रही प्रक्रिया को पूरा करने के लिए, विशेषज्ञ समिति का कार्यकाल चार महीने की और अवधि के लिए यानी 14.04.2024 से 13.08.2024 तक बढ़ा दिया गया था।



एसबीबीध्यूटीबीसी पर विशेषज्ञ समिति के सदस्य 18 सितंबर 2023 को आयोजित पहली बैठक में विचार-विमर्श करते हुए

4.5 अनुसंधान, वाणिज्यीकरण, जैव-सर्वेक्षण और जैव-उपयोग के लिए उपयोग की जाने वाली कुछ सामग्रियों/संसाधनों/रसायनों की वैज्ञानिक जांच के लिए और जैव विविधता (संशोधन) अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के अनुसार प्रयोज्यता के उनके दायरे का निर्धारण करने के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार प्राप्त करने के लिए विशेषज्ञ समिति

राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण जैव विविधता नियम, 2004 के नियम 11 के साथ पठित जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुसंधान, वाणिज्यीकरण, जैव-सर्वेक्षण और जैव-उपयोग के लिए प्रयुक्त कतिपय सामग्रियों/संसाधनों/रसायनों की वैज्ञानिक जांच करने और जैव उपयोग के विभिन्न प्रावधानों के अनुसार उनके प्रयोज्यता के दायरे का निर्धारण करने के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार प्राप्त करने के लिए जैविक विविधता (संशोधन) अधिनियम 09-10-2023 को समिति के लिए विशिष्ट विचारार्थ विषयों के साथ एक विशेषज्ञ समिति (ईसी) का गठन करता है।

पहली बैठक 07 नवंबर 2023 को चेन्नई में आवेदक द्वारा आवेदन में सूचीबद्ध सामग्रियों के पेशेवरों और विपक्षों पर चर्चा करने के लिए आयोजित की गई थी और क्या उन्हें जैविक संसाधन और या मूल्य वर्धित उत्पादों के रूप में माना जाए, इस पर भी चर्चा करने के लिये आयोजित की गई थी। आगे की चर्चाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए, समिति ने जैविक विविधता (संशोधन) अधिनियम 2023 के ढांचे के भीतर जैविक संसाधनों/रसायनों/डेरिवेटिव और मूल्य वर्धित उत्पादों (वीएपी) में भेद/पहचान करने के लिए संभावित वैज्ञानिक ढांचे के साथ श्रेणियों पर चर्चा/मूल्यांकन और सुझाव देने के लिए समिति के सदस्यों के भीतर दो उप-समितियों का गठन किया। पहली बैठक का कार्यवृत्त सभी सदस्यों को वितरित कर दिया गया था। एनबीए ने उप-समिति के लिए 14-11-2023 को एक कार्यालय आदेश जारी किया। दोनों उप-समितियों ने विचार-विमर्श किया और अपनी सिफारिशें तैयार कीं और सदस्यों के साथ आदान-प्रदान किया।

दूसरी बैठक 31 जनवरी 2024 को हाइब्रिड मोड के माध्यम से आयोजित की गई, उप-समिति ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कीं और सदस्यों ने विस्तार से विचार-विमर्श किया और अपने सुझाव और विचार दर्ज किए। पहली बैठक का कार्यवृत्त सभी सदस्यों को वितरित कर दिया गया था। एनबीए ने 22-02-2024 को एक कार्यालय आदेश द्वारा वर्तमान विशेषज्ञ समिति का कार्यकाल बढ़ा दिया।

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने 13.02.2024 को नालसर, हैदराबाद में नारक्या मामले (फ्रेसेनियस काबी ऑन्कोलॉजी लिमिटेड और डॉ. जयंत चट्टोपाध्याय बनाम महाराष्ट्र राज्य और वन संरक्षक, कोल्हापुर वन्य जीवन) में दिए गए फैसले के निहितार्थों पर चर्चा करने के लिए श्री के. प्रवीण राव, आईएफएस (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में एक विशेष बैठक बुलाई जिसमें साई प्रकाश आईएफएस (सेवानिवृत्त) पूर्व पीसीसीएफ और एचओएफएफ, महाराष्ट्र और डॉ. किरण कुमार, वरिष्ठ वैज्ञानिक, सीसीएमबी, हैदराबाद विशेष रूप से आमंत्रित थे। श्री जी साई प्रकाश और डॉ किरण कुमार द्वारा प्रस्तुति के बाद माननीय सदस्यों ने इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की और डॉ किरण कुमार से अनुरोध करते हुए एक और बैठक करने की सिफारिश की कि कैम्पटोथेसिन वैज्ञानिक आंकड़ों के साथ एक जैविक संसाधन है या नहीं, इस पर एक रिपोर्ट करने के अनुरोध के साथ एक और बैठक की जाये। विशेष बैठक का कार्यवृत्त सदस्यों को भेज दिये गये।



अध्यक्ष, सामग्री पर चुनाव आयोग के सह-अध्यक्ष और 18 सितंबर 2023 को आयोजित पहली बैठक में एनबीए के अध्यक्ष



सामग्री पर विशेषज्ञ समिति के सदस्य 7 नवंबर 2023 को आयोजित पहली बैठक में विचार-विमर्श करते हुए

4.6 डिजिटल अनुक्रम सूचना पर विशेषज्ञ समिति (डीएसआई)

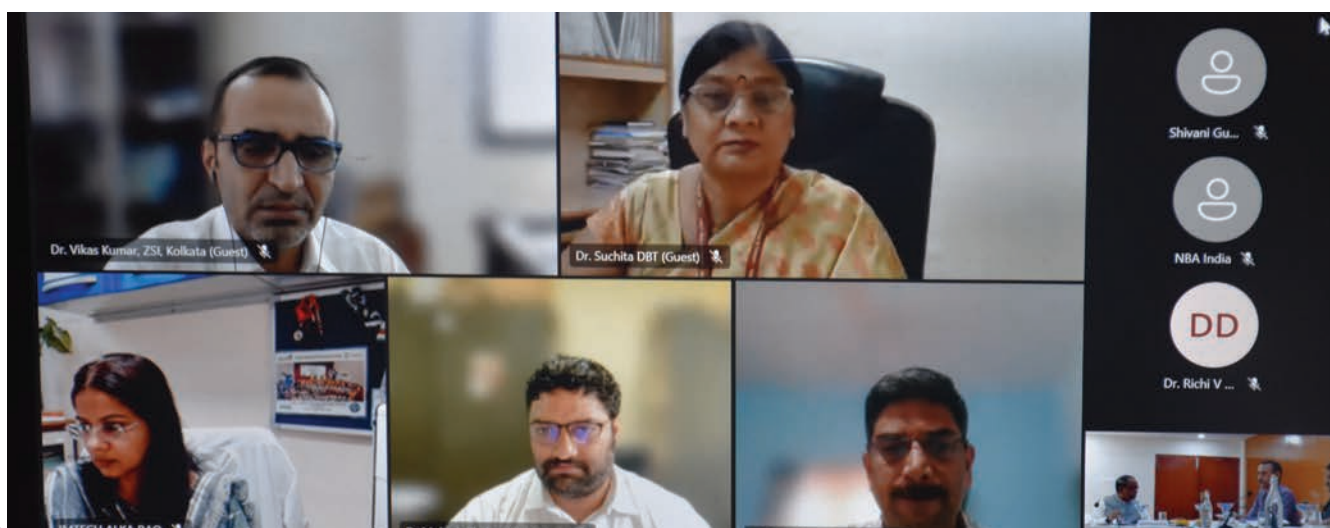
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने एनबीए से डिजिटल अनुक्रम सूचना (डीएसआई) पर एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का अनुरोध किया था। तदनुसार, एनबीए ने दिनांक 10-11-2010 के कार्यालय ज्ञापन सं 2/2009- एनबीए/टेक/ईसी/9/14/36/20-21 दिनांक 18.04.2020 ने डीएसआई पर एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया। विशेषज्ञ समिति ने 2021 में अपनी अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की और तब से समिति का कार्यकाल समाप्त हो गया है।

कुनमिंग-मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क (GBF) को दिसंबर 2022 में मॉन्ट्रियल में आयोजित COP-15 में अपनाया गया था। केएम-जीबीएफ में, लक्ष्य 13 को प्रभावी कानूनी, नीतिगत, प्रशासनिक और क्षमता-निर्माण उपायों को बनाने के लिए निर्धारित किया गया है ताकि आनुवंशिक संसाधनों, संबद्ध पारंपरिक ज्ञान और डिजिटल अनुक्रम जानकारी के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों का उचित और न्यायसंगत साझाकरण सुनिश्चित किया जा सके।

डीएसआई के क्षेत्र में तेजी से वैज्ञानिक विकास को देखते हुए और कुनमिंग-मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क (जीबीएफ) के लक्ष्य संख्या 13 के आलोक में, जैव विविधता नियमों 2004 के नियम 11 के साथ पठित जैविक विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उपधारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में कार्यालय आदेश NBA/Tech/EC/9/14/41/23&24/1788 दिनांक 14.10.2023 के अंतर्गत एक विशेषज्ञ समिति का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया गया है। समिति के विचारार्थ विषय डिजिटल अनुक्रम सूचना (डीएसआई) पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब तक किए गए मौजूदा कार्यों की समीक्षा करना था। एक उपयुक्त शब्दावली का सुझाव देने के लिए जो डीएसआई और संबंधित विषय वस्तु को प्रतिबिंबित करेगा; डीएसआई के दायरे पर सलाह देने के लिए जिसे प्रस्ताव में संदर्भित विषय वस्तु समूहीकरण के आधार पर एबीएस कानूनों के तहत विनियमित किया जा सकता है; डीएसआई और डीएसआई आधारित प्रक्रियाओं और उत्पादों की पता लगाने की क्षमता का आकलन करने की चुनौतियों और व्यवहार्यता को समझने



डिजिटल अनुक्रम सूचना पर विशेषज्ञ समिति के सदस्य 6 नवंबर 2023 को आयोजित पहली बैठक में विचार-विमर्श करते हुए



के लिए; जैव विविधता पर कन्वेंशन के पक्षकारों के 16 वें सम्मेलन सहित आगामी सभी बैठकों में डीएसआई पर भारत की स्थिति को विकसित करने में योगदान देना और अंतर्राष्ट्रीय विचार-विमर्श में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले एमओईएफसीसी/एनबीए/अन्य के अधिकारियों का मार्गदर्शन करने के लिए डीएसआई पर एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करना

2023–24 के दौरान, 6 नवंबर, 2023 को जिनेवा, स्विट्जरलैंड में 14 से 18 नवंबर 2023 तक आयोजित आनुवंशिक संसाधनों पर डिजिटल अनुक्रम सूचना (WGDSI-1) के उपयोग से लाभ-साझाकरण पर तदर्थ ओपन-एंडेड वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक सहित सभी आगामी बैठकों में डीएसआई पर भारत की स्थिति विकसित करने के लिए एक बैठक आयोजित की गई थी।

4.7. अनुपालन का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रमाणपत्र (IRCC) बनाना

आनुवंशिक संसाधनों तक पहुंच और उनके उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों के उचित और न्यायसंगत बंटवारे पर नागोया प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 17 के तहत, पार्टियों को पहुंच के समय एक परमिट या इसके समकक्ष जारी करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि साक्ष्य के रूप में आनुवंशिक संसाधनों तक पहुंच पूर्व सूचित सहमति पर आधारित थी और पारस्परिक रूप से सहमत शर्तें स्थापित की गई थीं। चूंकि भारत नागोया प्रोटोकॉल का पक्षकार है, एनबीए ने अब तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अनुपालन प्रमाणपत्र (आईआरसीसी) सृजित करते हुए एबीएस सीएच प्लेटफॉर्म में प्रदान किए गए 3497 अनुमोदनों का ब्योरा अपलोड किया है। 3497 में से 148 आईआरसीसी 2023–24 के दौरान बनाए गए हैं।

4.8 जर्नल में प्रकाशन के लिए नोवल प्रजातियों के दावे के लिए अन्य देश के भंडार में सूक्ष्मजीवों का जमाव:

प्राधिकरण ने एजेंडा मद 37.14.02 के तहत मार्च 2016 में आयोजित अपनी 37वीं बैठक में निर्णय लिया कि भारतीय शोधकर्ताओं/वैज्ञानिकों को पत्रिकाओं में प्रकाशन के लिए नवीन प्रजातियों के दावे के लिए अन्य देश के भंडार में सूक्ष्मजीवों के जमाव के लिए निर्धारित प्रारूप अर्थात् फॉर्म-सी में एनबीए को पूर्व सूचना देनी चाहिए। हालांकि, यदि कोई गैर-भारतीय व्यक्ति ६ संस्था विदेशी भंडार से जमा भारतीय जैविक संसाधन का उपयोग करने का इरादा रखती है, तो उसे बीडी अधिनियम, 2002 की धारा 3 के अनुसार एनबीए का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए। एनबीए को वर्ष 2023–2024 के दौरान ऐसी 26 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं और प्राधिकरण द्वारा अनुसमर्थन के बाद इसका विवरण एनबीए वेबसाइट में अपडेट कर दिया गया है।



जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 3, 4 और 6 में निर्दिष्ट गतिविधियों को शुरू करने के लिए प्रदान किया गया अनुमोदन

जैव विविधता अधिनियम, 2002 के उद्देश्य जैविक संसाधनों का संरक्षण, इसके घटकों का सतत उपयोग और इसके उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों का उचित और न्यायसंगत साझाकरण है। तदनुसार, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए) को अनुसंधान के लिए जैविक संसाधनों और/या संबद्ध ज्ञान तक पहुंच की गतिविधियों को विनियमित करने के लिए यह अनिवार्य किया गया है – जैव-सर्वेक्षण और जैव-उपयोग; व्यावसायिक उपयोग; आईपी अधिकार प्राप्त करना; अनुसंधान के परिणामों का हस्तांतरण और एक्सेस किए गए जैविक संसाधनों और/या संबंधित ज्ञान का हस्तांतरण। आवेदक द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं को अधिनियम की धारा 3, 4 और 6 में, जैविक विविधता नियम 2004 और एबीएस विनियम 2014 के 14, 17 और 18 में उल्लिखित किया गया है।

बीडी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, अधिनियम में परिकल्पित कुछ गतिविधियों को करने के लिए भारतीय और गैर-भारतीय दोनों व्यक्तियों और संस्थाओं द्वारा जैविक संसाधनों और संबद्ध ज्ञान तक पहुंच एक पूर्वापेक्षा है। उन्हें एनबीए को प्रत्येक गतिविधि के लिए निर्दिष्ट चार अलग-अलग प्रकार के फॉर्मों में आवेदन करने की आवश्यकता होती है और अनुमोदन प्रदान करने के लिए निर्धारित समय सीमाएं हैं। यह उल्लेख किया जाता है कि बीडी अधिनियम जैविक संसाधनों तक पहुंचने के लिए संबंधित अधिकारियों से अनुमोदन प्राप्त करने का आदेश देता है जिसका उद्देश्य जैविक संसाधनों के सतत उपयोग को सुनिश्चित करना और भविष्य की पीढ़ियों के लिए इसका संरक्षण करना है।

5.1 एबीएस अनुप्रयोगों का वर्गीकरण और स्थिति:

एनबीए का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए, भारतीय और गैर-भारतीय व्यक्ति या संस्था दोनों के व्यक्तियों और संस्थाओं को बीडी नियमों में निर्धारित आवेदन दायर करने की आवश्यकता होती है और इस उद्देश्य के लिए गठित एक विशेषज्ञ समिति के माध्यम से इसकी जांच की जा रही है। विभिन्न श्रेणियों के आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी तालिका 3 में प्रदान की गई है।

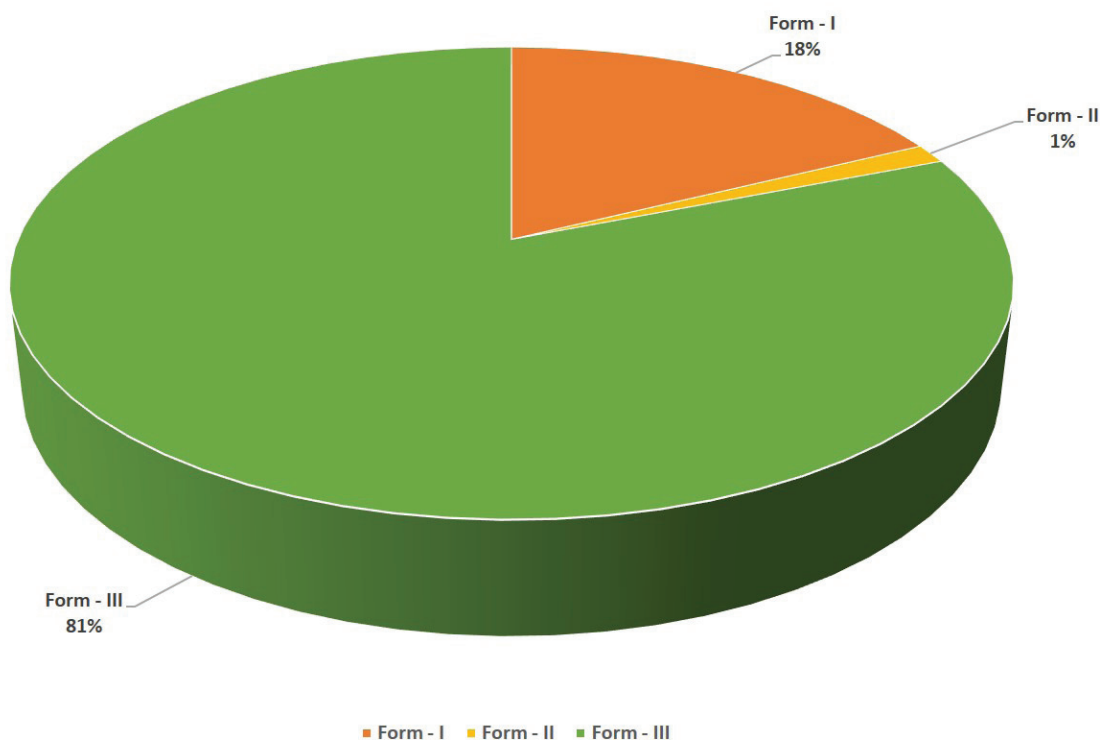
तालिका – 3 एबीएस आवेदनों की श्रेणी

बीडी अधिनियम, 2002 की धाराएँ	प्रपत्र संख्या	आवेदन का उद्देश्य	किसके द्वारा
धारा 3	I	अनुसंधान, वाणिज्यिक उपयोग, जैव-सर्वेक्षण या जैव-उपयोग के लिए जैविक संसाधनों और/या संबद्ध पारंपरिक ज्ञान तक पहुंच	शेयर पूंजी या प्रबंधन में गैर-भारतीय भागीदारी वाली गैर-भारतीय, एनआरआई, विदेशी इकाई या भारतीय इकाई
धारा 4	II	अनुसंधान के परिणामों का स्थानांतरण	शेयर पूंजी में गैर-भारतीय भागीदारी वाले किसी भी गैर-भारतीय, एनआरआई, विदेशी इकाई या भारतीय इकाई के लिए कोई भी भारतीय/गैर-भारतीय या संस्था
धारा 6	III	बौद्धिक संपदा अधिकार प्राप्त करने के लिए आवेदन मांगना	कोई भी भारतीय/गैर-भारतीय या संस्था

अपनी स्थापना के बाद से, एनबीए को फॉर्म I, II, III, IV और फॉर्म B (तालिका 4) के तहत विभिन्न हितधारकों से 7839 आवेदन प्राप्त हुए हैं। समीक्षाधीन अवधि के दौरान, एनबीए को 1285 आवेदन प्राप्त हुए (आकृति 1), जो सभी प्रकार से पूर्ण थे और इसलिए उन पर कार्रवाई की गई।

तालिका -4 एनबीए द्वारा प्राप्त एबीएस आवेदनों की संख्या

फॉर्म	श्रेणी	वर्ष 2004 से प्राप्त आवेदन
I	अनुसंधान/वाणिज्यिक उपयोग के लिए जैविक संसाधनों और/या संबंधित पारंपरिक ज्ञान तक पहुंच	1388
II	मौद्रिक विचार या अन्यथा के लिए अनुसंधान के परिणामों को स्थानांतरित करना।	104
III	बौद्धिक संपदा अधिकार प्राप्त करने के लिए कोई अनापत्ति मांगना	6347
योग		7839



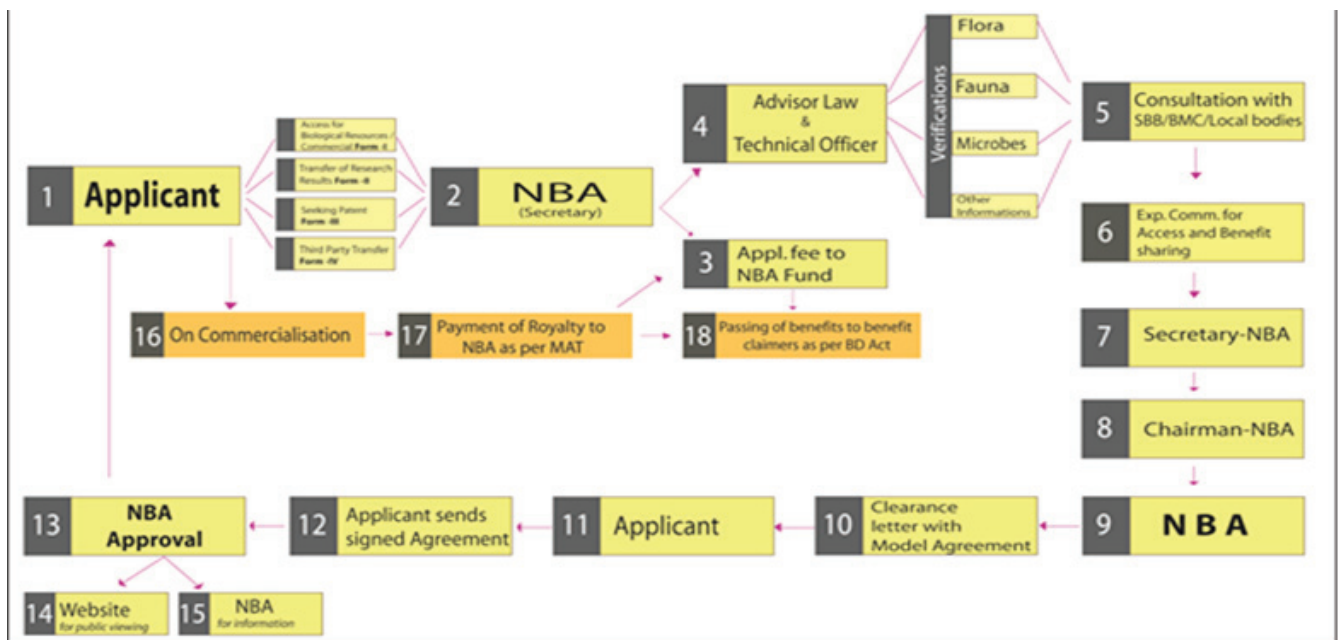
आकृति 1. 2023-24 की अवधि के दौरान विभिन्न श्रेणियों में आवेदनों की प्राप्ति

5.2. एबीएस आवेदनों की ई फाइलिंग

एनबीए ने जैविक विविधता अधिनियम में परिकल्पित गतिविधियों के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आवेदन दाखिल करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल एबीएस ई-फाइलिंग सिस्टम (<http://absefiling-nic-in>) विकसित किया है। पोर्टल आवेदन शुल्क के ऑनलाइन भुगतान और पहुंच और लाभ साझा करने के घटकों के लिए सुविधाएं भी प्रदान करता है।

5.3. जैविक संसाधनों की पहुंच के लिए प्राधिकरण द्वारा दी गई प्रक्रिया और अनुमोदन

एनबीए द्वारा प्राप्त आवेदनों की एनबीए द्वारा जांच की जाती है और जैव संसाधनों पर अनुसंधान के आधार पर आविष्कार के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार प्राप्त करने और तीसरे पक्ष को प्राप्त जैविक संसाधनों के हस्तांतरण के लिए अनुसंधान, जैव-सर्वेक्षण और जैव-उपयोग और वाणिज्यिक उपयोग, अनुसंधान के परिणामों के हस्तांतरण के लिए अनुसंधान के परिणामों के हस्तांतरण के लिए जैविक संसाधनों और रूढ़िवादी ज्ञान के लिए पूर्व अनुमोदन की मांग की जाती है और जैव विविधता प्रबंधन से सहमति या अन्यथा प्राप्त की जाती है राज्य जैव विविधता बोर्ड (एसबीबी) के माध्यम से समितियां (बीएमसी)। एसबीबी के माध्यम से बीएमसी के साथ परामर्श करने के बाद, एनबीए की मंजूरी एनबीए/एसबीबी और आवेदक के बीच एक लिखित समझौते के रूप में दी जाएगी। तथापि, जिन मामलों में निर्णय लेने के लिए विशेषज्ञता की आवश्यकता होगी, उन्हें मूल्यांकन के लिए पहुंच और लाभ सहभाजन संबंधी विशेषज्ञ समिति को भेजा जाएगा। प्राधिकरण के निर्णयों के आधार पर आवेदकों को स्वीकृति प्रदान की जाएगी। निष्पादित करार में लाभ हिस्सेदारी घटक बाध्यताओं सहित निबंधन एवं शर्तें शामिल हैं जिनका निर्धारण एबीएस, 2014 संबंधी दिशा-निर्देशों के आधार पर किया जाएगा। एबीएस अनुप्रयोगों के प्रसंस्करण की एक योजनाबद्ध प्रस्तुति चित्रा 2 में दिखाया गया है।



आकृति 2. एबीएस के प्रसंस्करण की एक योजनाबद्ध प्रस्तुति

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, एनबीए को 1285 आवेदन प्राप्त हुए जो सभी प्रकार से पूर्ण हैं और इसे प्रसंस्करण के लिए ले लिया गया है। आवेदनों के प्रसंस्करण के चरणों को तालिका 5 में दिखाया गया है।

तालिका 5: 2023-2024 के दौरान प्राप्त एबीएस आवेदनों के प्रसंस्करण के चरण

विवरण/फार्म	प्रपत्र I	प्रपत्र II	प्रपत्र III	कुल
प्राप्त	126	5	1131	1262
निष्पादित	46	1	604	651
प्रक्रियाधीन	74	3	494	571
बन्द / प्रत्याहरण	6	1	33	40
हस्ताक्षरित / अनुमोदित अनुबंध	29	1	304	334
रिपोर्टिंग अवधि के दौरान पिछले वर्षों में प्राप्त आवेदनों पर प्रगति				
प्रक्रियाधीन	30	6	224	260
हस्ताक्षरित / अनुमोदित अनुबंध	93	5	523	621
बन्द / प्रत्याहरण	8	1	73	82

5.4. लाभ दावेदारों को लाभ साझा करने की राशि की वसूली और वितरण

एनबीए को अब तक लाभ साझाकरण (बीएस) घटक के रूप में लगभग 221.14 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है, जिसमें से 18.35 करोड़ रुपये वर्ष 2023-2024 के दौरान प्राप्त हुए हैं।

लाल चंदन की लकड़ी तक पहुंच पर प्राप्त बीएस राशि में से एनबीए ने ट्रांस-डिसिप्लिनरी हेल्थ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी विश्वविद्यालय प्राधिकरण के अनुमोदन के अनुसार लाल चंदन पर ईसी की सिफारिश के अनुसार, राष्ट्रीय संस्थानों जैसे वन आनुवंशिकी और वृक्ष प्रजनन संस्थान, लकड़ी विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान को 9551 लाख की रेड सैंडर्स अनुसंधान परियोजनाओं की सहायता की है।

आनुवंशिक संसाधनों और संबद्ध ज्ञान से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकारों के संबंध में किए गए उपाय

6.1. शुरू किए गए उपाय

जैविक/आनुवंशिक संसाधन और उनसे संबद्ध ज्ञान जैवपूर्वक्षण के लिए बुनियादी घटकों का गठन करते हैं, जो दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते अनुसंधान एवं विकास क्षेत्र में से एक है। यह मूल्य वर्धित उत्पादों के निर्माण में योगदान देता है जो बदले में भारी आर्थिक क्षमता रखते हैं। बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) का उपयोग इस मूल्यवान जानकारी पर एकाधिकार अधिकार बनाने के लिए एक कानूनी उपकरण के रूप में किया जाता है और इस तरह व्यावसायिक सफलता सुनिश्चित करता है। हालांकि, पेटेंट के अनुदान के माध्यम से निजी संपत्ति के अधिकारों का निर्माण भविष्य के अनुसंधान के लिए बाधा पैदा कर सकता है। भले ही ऐसे अनन्य अधिकारों के धारकों के काफी लाभ हैं, लेकिन उन्हें वास्तविक संरक्षकों और जैविक संसाधनों और संबंधित ज्ञान के धारकों के साथ साझा नहीं किया जाएगा। जैव विविधता कन्वेंशन (सीबीडी) का उद्देश्य प्रयोक्ताओं और प्रदाताओं के बीच आईपीआर के माध्यम सहित ऐसे अनुसंधान और बाद में जैव संसाधनों के वाणिज्यीकरण से उत्पन्न होने वाले लाभों का समान साझाकरण करना है। यह पूर्व सूचित सहमति (पीआईसी) के माध्यम से पहुंच के लिए एक अंतरराष्ट्रीय जनादेश के निर्माण और पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों (एमएटी) के आधार पर लाभ साझा करके इन हितधारकों के प्रतिस्पर्धी हितों को संतुलित करने का प्रयास करता है। भारत ने सीबीडी के तीन उद्देश्यों अर्थात् जैविक संसाधनों का संरक्षण, इसके घटकों का सतत उपयोग और जैविक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों का उचित और समान साझाकरण को लागू करने के लिए जैव विविधता अधिनियम, 2002 अधिनियमित किया। जैव विविधता अधिनियम की धारा 6 में भारत में होने वाले या प्राप्त होने वाले किसी जैव संसाधन के संबंध में किसी अनुसंधान अथवा सूचना के आधार पर आविष्कार हेतु किसी बौद्धिक संपदा अधिकार के लिए आवेदन करने वाले किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण (एनबीए) से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य है। ऐसा अनुमोदन चाहने वाला कोई भी व्यक्ति फॉर्म III में एनबीए को आवेदन करेगा।

29 अक्टूबर, 2010 को अपनाए गए नागोया प्रोटोकॉल का उद्देश्य सीबीडी के तीसरे उद्देश्य—आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग पर लाभों की उचित और समान साझेदारी को सुदृढ़ करना है। इस संबंध में, लेख 15 तथा 16 नागोया प्रोटोकॉल में कहा गया है कि प्रत्येक पक्ष यह प्रदान करने के लिए उचित, प्रभावी और आनुपातिक विधायी, प्रशासनिक या नीतिगत उपाय करेगा कि उसके अधिकार क्षेत्र में उपयोग किए गए 'आनुवंशिक संसाधनों' और 'आनुवंशिक संसाधनों से जुड़े पारंपरिक ज्ञान' को पूर्व सूचित सहमति के अनुसार एक्सेस किया गया है और पारस्परिक रूप से सहमत शर्तें स्थापित की गई हैं, जैसा कि घरेलू पहुंच और लाभ—साझाकरण कानून या दूसरे पक्ष की नियामक आवश्यकताओं द्वारा आवश्यक है। इसके अलावा, पार्टियां गैर-अनुपालन की स्थितियों को संबोधित करने के लिए उचित, प्रभावी और आनुपातिक उपाय करेंगी और जहां तक संभव हो और उचित रूप से, घरेलू पहुंच और लाभ—साझाकरण कानून या नियामक आवश्यकताओं के कथित उल्लंघन के मामलों में सहयोग करेंगी।

पेटेंट आवेदनों की प्रभावी निगरानी के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण और भारतीय पेटेंट कार्यालय पिछले कुछ वर्षों से मिलकर काम कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, जैव विविधता (BD) अधिनियम, 2002 की धारा 6 के लिए आवश्यक है कि भारत से प्राप्त जैविक संसाधन पर किसी भी शोध या जानकारी के आधार पर किसी भी बौद्धिक संपदा अधिकार के लिए आवेदन करने वाले किसी भी व्यक्ति को एनबीए की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, जबकि पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 10 (4) (ii) (D) के लिए आवेदक को आविष्कार में उपयोग किए गए जैविक संसाधनों के स्रोत और उत्पत्ति का

खुलासा करने की आवश्यकता है। इस प्रकार, जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 6 की भावना को पेटेंट के लिए जैव प्रौद्योगिकी आवेदनों की जांच के लिए दिनांक 25 मार्च, 2013 के दिशा-निर्देशों और पेटेंट महानियंत्रक के कार्यालय द्वारा दिनांक 18 दिसंबर, 2012 को औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) के अंतर्गत डिजाइन और व्यापार चिन्ह (सीजीपीडीटीएम) द्वारा जारी किए गए पारंपरिक ज्ञान और जैविक सामग्री से संबंधित पेटेंट आवेदनों के प्रसंस्करण के लिए दिशा-निर्देशों में शामिल किया गया है। इन दोनों दिशा-निर्देशों और सीजीपीडीटीएम द्वारा जारी 2012 के परिपत्र सं 1 में यह अपेक्षित है कि भारत से प्राप्त जैविक सामग्री पर आधारित आविष्कारों के लिए पेटेंट तब तक प्रदान नहीं किया जाएगा जब तक कि आवेदक द्वारा एनबीए अनुमोदन की प्रति प्रस्तुत नहीं कर दी जाती है। इसके अतिरिक्त, इस अपेक्षा को फार्म-1 में एक घोषणा के रूप में भी शामिल किया गया है जिसे पेटेंट आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किया जाना है। ये सभी उपाय यह सुनिश्चित करते हैं कि भारत से प्राप्त जैविक संसाधनों पर आधारित आविष्कारों के लिए पेटेंट एनबीए से अनुमोदन प्राप्त किए बिना प्रदान नहीं किया जाएगा।



डॉ. एस. राजेश कुमार

जैविक संसाधनों के हस्तांतरण के लिए प्राधिकरण द्वारा दी गई स्वीकृतियां

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण को अनुसंधान के लिए जैविक संसाधनों और/या संबद्ध ज्ञान तक पहुंच से संबंधित गतिविधियों को विनियमित करने के लिए अनिवार्य किया गया है: जैव-सर्वेक्षण और जैव-उपयोग; व्यावसायिक उपयोग; आईपी अधिकार प्राप्त करना; अनुसंधान के परिणामों का हस्तांतरण और तीसरे पक्ष को एक्सेस किए गए जैविक संसाधनों का हस्तांतरण। आवेदक द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं को अधिनियम की धारा 19 और 20 में उल्लिखित किया गया है; जैव विविधता नियम 2004 और एबीएस विनियम 2014 के 14, 17, 18, 19 और 20 के तहत भारत सरकार ने एक बयान जारी किया है। एनबीए एबीएस दिशानिर्देश, 2014 के विनियम 13 के अनुसार आपातकालीन उद्देश्य के लिए गैर-वाणिज्यिक/बुनियादी अनुसंधान करने के लिए भारत के बाहर जैविक संसाधनों को भेजने/ले जाने के लिए भारतीय शोधकर्ताओं/वैज्ञानिकों को विनियमित करता है।

इन गतिविधियों के लिए, एनबीए को विभिन्न हितधारकों से आवेदन प्राप्त होते हैं अर्थात्, गैर-भारतीय व्यक्ति या संस्थाय भारतीय व्यक्ति या संस्था जिसकी जांच सक्षम प्राधिकारी द्वारा या इस उद्देश्य के लिए गठित विशेषज्ञ समिति के माध्यम से की जाती है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी तालिका 6 में प्रदान की गई है।

तालिका 6: एबीएस अनुप्रयोगों की श्रेणी

अनुभाग	फॉर्म	वर्ग	2004 से प्राप्त आवेदन
बीडी अधिनियम 2002 की धारा 20	फॉर्म IV	एक्सेस किये गये जैविक संसाधनों और/या संबंधित ज्ञान का तृतीय पार्टी स्थानांतरण	100
एबीएस विनियम 2014 की धारा 13	फॉर्म बी	जैविक संसाधनों का उपयोग करके भारतीय शोधकर्ताओं सरकारी संस्थानों द्वारा भारत के बाहर आपातकालीन उद्देश्य के लिये गैर वाणिज्यिक अनुसंधान या अनुसंधान का संचालन करना	270

रिपोर्टिंग अवधि के दौरान, एनबीए को विभिन्न हितधारकों से फॉर्म IV (2) और फॉर्म बी (21) के 23 आवेदन प्राप्त हुए हैं। आवेदनों के प्रसंस्करण के चरणों को तालिका 7 में दिखाया गया है।

तालिका 7: 2023-24 में फॉर्म IV और फॉर्म बी के एबीएस आवेदनों के प्रसंस्करण के चरण

विवरण	फॉर्म IV	फॉर्म B	कुल
प्राप्त	2	21	23
निष्पादित	0	12	12
प्रक्रियाधीन	2	4	6
बन्द प्रत्याहरण	0	5	5
हस्ताक्षरित अनुमोदिद अनुबंध	0	12	12
रिपोर्टिंग अवधि के दौरान पिछले वर्षों में प्राप्त आवेदनों पर प्रगति			
निष्पादित	0	2	2
हस्ताक्षरित/स्वीकृत अनुबंध	0	2	2
बन्द/प्रत्याहरित	2	2	4



बौद्धिक संपदा अधिकार और जैव विविधता अधिनियम, 2002 और सार्वजनिक भागीदारी से संबंधित जागरूकता

8.1 विभिन्न बैठकों/संगोष्ठियों/सम्मेलनों के आयोजन/भाग लेने और परिणाम/उपलब्धियों पर प्रस्तुति

1. श्री सी. अचलेन्दर रेड्डी, आईएफएस, (सेवानिवृत्त) अध्यक्ष, एनबीए 01.04.2023 को "जैव विविधता और जलवायु विज्ञान के लिए धर्मवन उत्कृष्टता केंद्र" के उद्घाटन में सम्मानित अतिथि थे। डॉ. रजत कुमार, आईएएस, विशेष मुख्य सचिव, तेलंगाना सरकार और सदस्य सचिव, तेलंगाना एसबीबी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। केंद्र का दृष्टिकोण जैव विविधता और जलवायु विज्ञान में एक वैश्विक नेता बनना है, जो पृथ्वी पर सभी जीवन के लिए एक स्थायी भविष्य बनाने के लिए अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देता है।
2. श्री सी. अचलेन्दर रेड्डी, आईएफएस, (सेवानिवृत्त) अध्यक्ष, एनबीए ने 19.04.2023 को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी (आईजीएनएफए) देहरादून में जैविक विविधता अधिनियम के कार्यान्वयन: वरिष्ठ आईएफएस अधिकारियों (1991 बैच) के मुद्दे और चुनौतियां पर उद्घाटन सत्र के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में एक वार्तालाप प्रस्तुत किया। 36 अधिकारियों ने 2 दिवसीय कार्यशाला में भाग लिया और जैव विविधता शासन और मिशन लाइफ के महत्व पर एनबीए के अध्यक्ष के साथ बातचीत भी किया।



श्री. सी. अचलेन्दर रेड्डी, आईएफएस, (सेवानिवृत्त) अध्यक्ष, एनबीए 19 अप्रैल 2023 को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी (आईजीएनएफए) देहरादून में जैविक विविधता अधिनियम के कार्यान्वयन: मुद्दे और चुनौतियां पर उद्घाटन सत्र में वरिष्ठ आईएफएस अधिकारियों के साथ



इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी (आईजीएनएफए) देहरादून में वरिष्ठ आईएफएस अधिकारियों के लिए कार्यशाला 19 अप्रैल 2023

3. डॉ. ब. बालाजी आईएफएस, सचिव, एनबीए ने 19.04.2023 को ईपीटीआरआई, हैदराबाद का दौरा किया और हर्बल गार्डन देखा, जहां 100 औषधीय पौधों का रखरखाव किया जा रहा है और किसानों को वितरित करने के लिए बीज प्रचारित किए जा रहे हैं। प्रयोगशाला सुविधाओं और एनविस केंद्र का भी दौरा किया और वैज्ञानिकों के साथ बातचीत की। उन्होंने लाइफ मिशन प्रतिज्ञा भी ली।
4. एनबीए ने 19.04.2023 को ईपीटीआरआई, हैदराबाद और तेलंगाना एसबीबी के माध्यम से बीएमसी सदस्यों के लिए एक प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया। डॉ. ब. बालाजी आईएफएस, सचिव, एनबीए ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया और बीएमसी की भूमिकाओं और कार्यों, पीबीआर के प्रलेखन, जैविक संसाधनों के संरक्षण और सतत उपयोग आदि के महत्व पर जोर दिया। तेलंगाना राज्य के 14 जिलों का प्रतिनिधित्व करने वाले लगभग 50 सदस्यों ने इस आयोजन में भाग लिया।



ईपीटीआरआई, हैदराबाद के अधिकारी डॉ. ब. बालाजी, आईएफएस, सचिव, एनबीए को औषधीय पौधों के महत्व के बारे में समझाते हुए



ईपीटीआरआई, हैदराबाद में डॉ. ब. बालाजी, आईएफएस, सचिव, एनबीए (केंद्र) के साथ तेलंगाना बीएमसी के सदस्य जिन्होंने प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम में भाग लिया।

5. श्री सी. अचलेन्दर रेड्डी, आईएफएस, (सेवानिवृत्त) अध्यक्ष, एनबीए ने 21/04/2023 को नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च, हैदराबाद में "गोवा पर्यटन संवर्धन, प्रबंधन और विनियमन विधेयक, 2023" नामक गोवा पर्यटन पर मसौदा कानून पर बुलाई गई एक तकनीकी चर्चा में भाग लिया।
6. एमओईएफसीसी ने संरक्षित क्षेत्रों पर विश्व डेटा बेस (डब्ल्यूडीपीए) पर राज्य वन अधिकारियों की एक बैठक का आयोजन किया, डॉ. ब. बालाजी आईएफएस/सचिव, एनबीए ने 25.04.2023 को एमओईएफसीसी, नई दिल्ली में अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपायों पर एक प्रस्तुति दी।
7. एनबीए ने एमएसएसआरएफ के सहयोग से पर्यावरण के लिए जीवन शैली (लाइफ) के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 28.04.2023 को एक मेगा कार्यक्रम का आयोजन किया। श्री आर सक्करापाणी, माननीय खाद्य और नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता संरक्षण और मूल्य नियंत्रण मंत्री, तमिलनाडु सरकार, श्री सी अचलेन्दर रेड्डी, आईएफएस, (सेवानिवृत्त), एनबीए के अध्यक्ष, डॉ जे राधाकृष्णन, आईएएस, अतिरिक्त मुख्य सचिव, तमिलनाडु सरकार, डॉ सौम्या स्वामीनाथन, एमएसएसआरएफ के अध्यक्ष, डॉ बी बालाजी, सचिव एनबीए और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उद्घाटन समारोह के दौरान मंच पर उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में लगभग 250 प्रतिभागी – किसान, बीएमसी सदस्य और कॉलेज के छात्र एकत्र हुए।
8. एनबीए और हरियाणा एसबीबी ने संयुक्त रूप से 27-29 अप्रैल, 2023 के दौरान फ्रेंड्स एक्जीबिशन एंड प्रमोशंस प्राइवेट लिमिटेड (FEP) द्वारा आयोजित हिसार, हरियाणा में तीन दिवसीय मेगा प्रदर्शनी "सक्षम हरियाणा 2023" में एनबीए और एसबीबी की विभिन्न गतिविधियों को दर्शाने वाला एक स्टॉल लगाया। इस विशाल प्रदर्शनी का उद्घाटन श्री अनिल कुमार मणि, सीनियर डिप्टी मेयर, हिसार, हरियाणा ने किया। डॉ. एस. राजेश कुमार और डॉ. एम. राजीव गांधी, एनबीए का प्रतिनिधित्व करने वाले युवा पेशेवरों के साथ-साथ हरियाणा एसबीबी के कर्मचारियों ने स्कूली बच्चों और अन्य आगंतुकों को एनबीए गतिविधियों के बारे में

बताया। इसके अलावा, श्री रणवीर गंगवा, माननीय उपसभापति के सुपुत्र श्री संजीव गंगवा के कर कमलों द्वारा 29 अप्रैल, 2023 को महाराजा अग्रसैन भवन, हिसार में आयोजित समापन समारोह में दिया गया एनबीए और हरियाणा एसबीबी को संयुक्त रूप से "बेस्ट इंटरएक्टिव स्टाल अवार्ड" मिला।

9. 2 और 16 मई 2023 को राज्य जैव विविधता बोर्डों (एसबीबी) और केंद्र शासित प्रदेश जैव विविधता परिषदों (यूटीबीसी) के साथ दो बैठकें आयोजित की गईं, जिससे कि 22 मई को "मिशन लाइफ" के उत्सव के साथ-साथ विश्वविद्यालय/कॉलेजों के वनस्पति विज्ञान/जूलॉजी/जीव विज्ञान के छात्रों की मदद से पीबीआर अपडेशन सह सत्यापन की राष्ट्रव्यापी पहल शुरू करने के लिए राज्य जैव विविधता बोर्डों (एसबीबी) और केंद्र शासित प्रदेश जैव विविधता परिषदों (यूटीबीसी) के साथ योजनाओं पर चर्चा की जा सके।
10. 23 मई, 2023 को शुरू किए गए पीबीआर के सह सत्यापन को अद्यतन करने के राष्ट्रीय अभियान के एक भाग के रूप में, मेरी लाइफ वेब पोर्टल का उपयोग करने की मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) और तकनीकों को प्रदर्शित करने के लिए 17 मई 2023 को सभी एसबीबी और यूटीबीसी के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। पीबीआर अद्यतन और सत्यापन के लिए प्रारूप एसबीबी और यूटीबीसी के साथ साझा किया गया था।
11. श्री सी. अचलेन्दर रेड्डी, आईएफएस, (सेवानिवृत्त) अध्यक्ष, एनबीए ने 25 मई, 2023 को एनआईआरडीपीआर में जैव विविधता वित्त – कुनमिंग-मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क पर एक प्रतिष्ठित श्रृंखला व्याख्यान दिया।
12. एनबीए ने राज्य जैव विविधता बोर्डों के सहयोग से 23 मई से 04 जून 2023 तक जन जैव विविधता रजिस्ट्रों के अपडेशन सह सत्यापन पर एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया। अभियान के हिस्से के रूप में पूरे भारत में बीएमसी सदस्यों और कॉलेज के छात्रों की सक्रिय भागीदारी के साथ 10465 से अधिक पीबीआर को सत्यापित और अद्यतन किया गया।
13. एनबीए और बीसीआईएल ने बीडी अधिनियम 2002 के कार्यान्वयन पर चर्चा करने के लिए 17.07.2023 को विभिन्न जैव प्रौद्योगिकी संस्थानों और संस्थाओं के वैज्ञानिकों/शोधकर्ताओं के साथ एक हितधारक बातचीत का आयोजन किया जो अपनी दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों के लिए जैविक संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। श्री सी. अचलेन्दर रेड्डी, आईएफएस, (सेवानिवृत्त), अध्यक्ष एनबीए ने वेबिनार का उद्घाटन किया और डॉ. बी. बालाजी, आईएफएस, सचिव, एनबीए ने भारत में एबीएस तंत्र पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी। लगभग 130 वैज्ञानिकों ने ऑनलाइन भाग लिया और अध्यक्ष और सचिव के साथ विशेष रूप से एक्सेस अप्रूवल, डिजिटल अनुक्रम सूचना, सहयोगी अनुसंधान कार्यक्रम, सूक्ष्मजीवों के हस्तांतरण, अनुसंधान के परिणामों आदि पर बातचीत की।
14. एनबीए के अधिकारियों ने 17.07.2023, नई दिल्ली, भारत को आयोजित भारतीय मानक ब्यूरो-पर्यावरण सेवा अनुभागीय समिति, एसएसडी 07 द्वारा आयोजित बैठक में भाग लिया।
15. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के संबंध में एनबीए ने 22.07.2023 को श्री सी. अचलेन्दर रेड्डी, आईएफएस, (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में अंडमान और निकोबार द्वीपों में रेड ऑयल पाम की खेती पर एक उच्च स्तरीय तकनीकी समिति का आयोजन वर्चुअल मोड के माध्यम से किया गया। डॉ. बी. बालाजी, आईएफएस, सचिव, एनबीए ने सदस्यों को आने वाले महीनों में कार्य योजना की जानकारी दी। समिति ने इस मामले पर विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की और आगे का रास्ता तय किया।
16. श्री सी. अचलेन्दर रेड्डी, आईएफएस, (सेवानिवृत्त), अध्यक्ष, एनबीए और डॉ. बी. बालाजी, आईएफएस, सचिव, एनबीए ने 6 से 8 अगस्त 2023 तक एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन (एमएसएसआरएफ) द्वारा आयोजित

खाद्य, पोषण और स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए ताकतवर बाजरा पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया। एनबीए के अध्यक्ष और सचिव, एनबीए ने एनबीए के स्टॉल सहित विभिन्न प्रदर्शनियों का दौरा किया। अध्यक्ष, एनबीए ने अध्यक्ष, पीपीवीएफआरए और अध्यक्ष, एमएसएसआरएफ के साथ जमशेदजी टाटा नेशनल वर्चुअल एकेडमी फेलो (किसानों और अन्य लोगों ने जिन्होंने बाजरा की खेती, विपणन को बढ़ावा देने आदि के लिए अनुकरणीय काम किया है) को सम्मानित किया। सम्मेलन के दौरान, एनबीए के अध्यक्ष ने बाजरा की खेती को बढ़ावा देने के लिए बाजार लिंकेज की आवश्यकता के बारे में जोर दिया, और "मिशन लाइफ" के तहत गतिविधियों पर भी प्रकाश डाला।



राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के प्रदर्शनी स्टॉल का अधिकारियों ने दौरा किया



जमशेदजी टाटा नेशनल वर्चुअल एकेडमी फेलो चेयरपर्सन, पीपीवीएफआरए चेयरपर्सन, एमएसएसआरएफ और चेयरपर्सन, एनबीए (बाएं से दाएं)

17. डॉ. केपी रघुराम, तकनीकी अधिकारी (बीएस), एनबीए ने 17.08.2023 को तेलंगाना एसबीबी के सहयोग से ईपीटीआरआई द्वारा आयोजित कार्यक्रम में तेलंगाना के लाइफ साइंस एजुकेटर्स को कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क और एनबीएसएपी के संशोधन की दिशा में भारत के कदम पर एक व्याख्यान दिया।
18. डॉ. ब. बालाजी, आईएफएस, सचिव, एनबीए ने 22.08.2023 को भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार डॉ. अजय कुमार सूद की अध्यक्षता में न्यूट्रा सेक्टर के टास्क फोर्स में भाग लिया। वाणिज्य मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के कंपनी प्रतिनिधि और प्रतिनिधि ने भी भाग लिया और नियामक अनुपालन, पीएलआई योजना, न्यूट्रा उत्पादों के लिए एचएसएन कोड, नीतिगत पहल जैसी चिंताओं पर चर्चा की। एनबीए के सचिव ने अध्यक्ष और सदस्यों को बीडी अधिनियम में हाल के संशोधनों और व्यापार करने में आसानी के लिए इसके महत्व के बारे में जानकारी दी।
19. एनबीए ने FAO, रोम द्वारा ITPGRFA के माध्यम से आयोजित किसानों के अधिकारों पर वैश्विक संगोष्ठी में भाग लिया और 12 से 15 सितंबर, 2023 तक नई दिल्ली में PPVFRA के माध्यम से कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित किया गया। संगोष्ठी के एक भाग के रूप में, भारत के विभिन्न राज्यों के प्रतिभागियों और भाग लेने वाले देशों के प्रतिनिधियों के साथ ज्ञान सामग्री और बातचीत के प्रदर्शन के लिए एनबीए द्वारा एक प्रदर्शनी स्टाल स्थापित किया गया था।
20. एनबीए ने 23.09.2023 को केंद्रीय राज्य वन सेवा अकादमी (CASFOS), कोयंबटूर के अधिकारी प्रशिक्षुओं के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। वे कर्नाटक और राजस्थान कैडर के हैं। डॉ. ब. बालाजी, आईएफएस, सचिव, एनबीए ने सत्र का उद्घाटन किया और जैव विविधता के क्षेत्र में विशेष रूप से संरक्षण, सतत उपयोग, देश की अर्थव्यवस्था आदि पर वनवासियों की भूमिका पर जोर दिया। डॉ. केपी रघुराम, तकनीकी अधिकारी, एनबीए ने "पहुंच और लाभ साझाकरण के विशेष संदर्भ के साथ जैव विविधता शासन" पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी, जिसके बाद श्री के. चित्ररसु, सलाहकार(विधि) ने "बीडी एक्ट से संबंधित महत्वपूर्ण न्यायालय निर्णयों" पर प्रस्तुति दी और डॉ. जे. सुंदरपांडि, परियोजना अधिकारी, यूएनडीपी बायोफिन प्रोजेक्ट, एनबीए ने "कुनमिंग-मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क और नेशनल बायोडायवर्सिटी स्ट्रैटेजी एंड एक्शन प्लान ऑफ इंडिया" पर प्रस्तुति दी।
21. एमओईएफसीसी क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई, सलीम अली पक्षीविज्ञान और प्राकृतिक इतिहास केंद्र (एसएसीओएन), कोयंबटूर और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए), चेन्नई ने संयुक्त रूप से 29.09.2023 को एनबीए

श्री. पी. सुब्रमण्यम, आईएफएस, डीडीजी (वन), क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई, सभा को संबोधित करते हुए। बाएं से दाएं डायस पर: डॉ. ब. बालाजी, आईएफएस सचिव, एनबीए, श्री. एस. शशिकुमार, आईएफएस, डीआईजी (वन), डॉ. सुब्रमण्यम, वैज्ञानिक, जेडएसआई, और डॉ. पी. प्रमोद, वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक, एसएसीओएन, कोयंबटूर

चेन्नई में “वन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2023 और जैव विविधता संरक्षण” पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। बीएमसी सदस्यों, जेडएसआई/बीएसआई के वैज्ञानिकों, सीएसएसओएस परिवीक्षाधीन अधिकारियों, सदस्य सचिव और एसबीबी के अधिकारियों, वन अधिकारियों, एनजीओ और मीडिया जैसे लगभग 200 हितधारकों ने हाइब्रिड मोड के माध्यम से कार्यशाला में भाग लिया। डॉ. संजय कुमार सुखला, आईएफएस, सदस्य सचिव, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण कार्यशाला के मुख्य अतिथि थे। श्री पी सुब्रमण्यम, आईएफएस, डीडीजी (वन), क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई ने गणमान्य व्यक्तियों और प्रतिभागियों का स्वागत किया। श्री रमेश कुमार पांडे, आईएफएस, आईजी (वन), एमओईएफ-सीसी ने संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के विवरण पर जानकारी दी। डॉ. ब. बालाजी, आईएफएस, सचिव, एनबीए ने प्रतिभागियों को “जैव विविधता संरक्षण और वन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2023” पर जानकारी दी और डॉ. पी. प्रमोद, वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक, एसएसीओएन, कोयंबटूर ने “संरक्षित क्षेत्र के बाहर जैव विविधता संरक्षण” पर एक व्याख्यान दिया। कार्यक्रम के दौरान



डॉ. ब. बालाजी, आईएफएस, सचिव, एनबीए 29.09.2023 को एनबीए, चेन्नई में “वन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2023 और जैव विविधता संरक्षण” पर एक दिवसीय कार्यशाला में सभा को संबोधित करते हुए

गणमान्य व्यक्तियों ने प्रतिभागियों के साथ बातचीत की और बीएमसी सदस्यों, मीडिया, एसबीबी अधिकारियों आदि के सवालों के जवाब दिए। एस. शशिकुमार, आईएफएस, डीआईजी (वन), क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई ने धन्यवाद प्रस्ताव दिया।

22. एनबीए और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, देहरादून, उत्तराखंड ने 03.10.2023 को 12 राज्यों के 46 सम्मानित आईएफएस अधिकारियों को “जैव विविधता संरक्षण और बुद्धिमानीपूर्ण उपयोग” पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। प्रोफेसर एम. के. रमेश, एनबीए के पूर्व सदस्य, श्री जे जस्टिन मोहन, आईएफएस, पूर्व सचिव, एनबीए, और डॉ. प्रदीप सरमकोडम, सदस्य सचिव, गोवा एसबीबी ने जैव विविधता अधिनियम, 2002 के कार्यान्वयन के विशेष संदर्भ में जैव विविधता संरक्षण पर एक व्याख्यान दिया।
23. श्री सी. अचलेन्दर रेड्डी, आईएफएस, (सेवानिवृत्त) अध्यक्ष एनबीए 05.10.2023 को तेलंगाना राज्य जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना 2023-2030 के विमोचन के दौरान सम्मानित अतिथि थे। डॉ. रजत कुमार, आईएएस, विशेष मुख्य सचिव, तेलंगाना सरकार ने योजना जारी की। इस कार्यक्रम में सीआईपीएस, यूएनडीपी और अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। कार्य योजना में जीबीएफ पर कुनमिंग मॉन्ट्रियल घोषणा के प्रमुख कारक, जैव विविधता के संरक्षण के लिए उपयोग किए जाने वाले विभिन्न विभागों की जैव विविधता व्यय समीक्षा जैसे उपकरण आदि शामिल हैं।

24. विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन पर संसदीय स्थायी समिति ने माननीय सांसद श्री जयराम रमेश की अध्यक्षता में 12 माननीय सदस्यों के साथ ललित महल पैलेश होटल में वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, वन (संरक्षण) अधिनियम और जैविक विविधता अधिनियम में किए गए संशोधनों पर चर्चा करने के लिए 15.10.2023 को मैसूरु का दौरा किये। डॉ. ब. बालाजी, आईएफएस, सचिव, एनबीए और डॉ. रघु कुमार कोडाली, सलाहकार, एमओईएफसीसी समिति के समक्ष उपस्थित हुए और अधिनियम में किए गए संशोधनों और विभिन्न हितधारकों, विशेष रूप से गैर-भारतीय संस्थाओं की स्थिति – कंपनी अधिनियम के साथ संरेखित, पेटेंट प्राप्त करने के लिए भारतीयों को पंजीकरण, एबीएस तंत्र पर एसबीबीडीएमसी को मजबूत करने, अपराधों के गैर-अपराधीकरण आदि के बारे में जानकारी दी। बैठक में श्री सी. पी. गोयल, आईएफएस, महानिदेशक वन और विशेष सचिव, भारत सरकार, सुश्री सुप्रिया साहू, आईएएस, अतिरिक्त मुख्य सचिव, तमिलनाडु सरकार, पीसीसीएफ और एचओएफएफ, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के सदस्य सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
25. डॉ. ब. बालाजी, आईएफएस, सचिव, एनबीए और श्री रघु कुमार कोडाली, सलाहकार, एमओईएफसीसी ने 19.10.2023 को वर्चुअल मोड के माध्यम से भारत-यूरोपीय संघ व्यापार और सतत विकास समझौते पर छठे दौर की बातचीत में भाग लिया। श्री अभिषेक देव, आईएएस, अध्यक्ष, एपीडा, वाणिज्य मंत्रालय ने चर्चा की सुविधा प्रदान की। सचिव, एनबीए ने यूरोपीय संघ के प्रतिनिधिमंडल को अनुच्छेद 7 पर भारत के रुख के बारे में जानकारी दी, जैसे एबीएस, डिजिटल अनुक्रम सूचना, नागोया प्रोटोकॉल का अनुपालन, उपयोगकर्ता देश उपाय, आदि। यूरोपीय संघ के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व श्री डैनी ने किया था। समझौते में कुछ अनुच्छेदों पर अभी भी बातचीत की आवश्यकता है।
26. डॉ. ब. बालाजी, आईएफएस, सचिव, एनबीए ने 20.10.2023 को भारत में आक्रामक कीट कीटों के खतरे: चुनौतियां और आगे का रास्ता पर राष्ट्रीय संवाद में एक पैनल विशेषज्ञ के रूप में भाग लिया। यह कार्यक्रम भाकृअनुप-राष्ट्रीय कृषि कीट संसाधन ब्यूरो, बेंगलुरु द्वारा आयोजित किया गया था। सचिव, एनबीए ने आक्रामक प्रजातियों के प्रभाव, आईपीबीईएस के हालिया निष्कर्षों, आईएएस पर सीबीडी के कार्यक्रम, प्रासंगिक नीतियों और अंतरालों, उन्मूलन पर प्रकाश डाला। प्रतिभागियों को जैविक संसाधनों तक पहुंच और भारत के बाहर भेजने, व्यावसायीकरण पर प्रश्नों को भी संबोधित किया गया। आईसीएआर के विभिन्न संस्थानों के लगभग 40 प्रतिभागी थे।
27. भारत – अजरबैजान पाठ आधारित वार्ता वाणिज्यिक, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के लिए अंतर-सरकारी आयोग पर 19-20 अक्टूबर, 2023 को ऑनलाइन के माध्यम से आयोजित की गई। वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार ने अजरबैजान गणराज्य के पारिस्थितिकी और प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की सुविधा प्रदान की। डॉ. ब. बालाजी, आईएफएस, सचिव, एनबीए ने 20.10.2023 को बातचीत की प्रक्रिया में भाग लिया। पाठ में पर्यटन, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा, व्यापार सहयोग, गैर-बाध्यकारी खंड और पर्यावरण शामिल हैं। अनुच्छेद 6 – पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग
28. डॉ. केपी रघुराम, तकनीकी अधिकारी (लाभ साझाकरण), एनबीए ने 30.10.2023 को 7 राज्यों से संबंधित 2022-24 बैच के राज्य वन सेवा अधिकारियों को एक व्याख्यान दिया। वर्चुअल मोड के माध्यम से कुल 69 अधिकारियों ने भाग लिया। जैव विविधता अधिनियम, नियमों, विनियमों के महत्व के बारे में जानकारी दी गई। इसके अलावा वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क, जीवन मिशन, बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष आदि पर कुनमिंग मॉन्ट्रियल घोषणा को भी कवर किया गया।
29. एनबीए ने डॉ. ब. बालाजी, आईएफएस, सचिव, एनबीए की अध्यक्षता में मास्टर प्रजाति डेटा निगमन, पीबीआर के सत्यापन आदि पर चर्चा करने के लिए 30.10.2023 को भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ

इंडिया, एमओईएफसीसी, एनआईसी की ई-पीबीआर विकास टीम के अधिकारियों के साथ एक बैठक का आयोजन किया। कुछ प्रारूपों पर डेटा प्रदान करने, एकीकरण, क्यूरेशन, अद्यतन आदि जैसे सभी संबंधितों के साथ तौर-तरीकों पर चर्चा की गई थी।

30. लोयोला इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रंटियर एनर्जी (LIFE), लोयोला कॉलेज द्वारा एनबीए के सहयोग से 28.11.2023 को जैव विविधता, न्यूट्रास्यूटिकल और स्वास्थ्य पर स्कूली छात्रों के लिए बाजरा पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जागरूकता कार्यक्रम का उद्घाटन डॉ. नल्ली सिल्क्स के अध्यक्ष डॉ. नल्ली कुप्पुस्वामी चेट्टी, सचिव और संवाददाता डॉ. बोनिफेस जयराज, एसजे, और डॉ. ए. लुईस अरोकियाराज एसजे, प्रिंसिपल ने सम्मानित किया और डॉ. एम. सेल्वानायम, निदेशक, लाइफ ने किया। स्कूली छात्रों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए बाजरा स्वास्थ्य लाभ पर हैंड-आउट जारी किए गए। चेन्नई शहर के 15 उच्च माध्यमिक विद्यालयों के 200 से अधिक छात्रों ने कार्यक्रम में भाग लिया।
31. निरंतर टीम के तहत पारिस्थितिकी तंत्र सर्वेक्षण और विश्लेषण ऊर्ध्ववाधर ने 14.12.2023 को बैठक की और प्रशासनिक समिति की पहली बैठक में लिए गए निर्णय के आगे के रास्ते पर चर्चा की। ईपीबीआर के विकास पर बीएसआई और जेडएसआई निदेशकों के साथ चर्चा की गई और उनसे मास्टर प्रजाति डेटाबेस की मांग की गई, आगे बढ़ने के तौर-तरीकों पर भी चर्चा की गई।
32. जर्मनी की सीबीडी-डीएसएमजेडटीम ने 14.12.2023 को कुनिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क के लक्ष्य 13 से संबंधित एबीएस इंडिकेटर पर डॉ. ब. बालाजी, आईएफएस., सचिव, एनबीए और डॉ. रघु कुमार कोडाली, सलाहकार, एमओईएफसीसी का साक्षात्कार लिया। एबीएस तंत्र, प्रदाताओं के साथ लाभ साझा करना, डिजिटल समाधान, आपूर्ति श्रृंखला, बाजार तक पहुंच, अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी अनुसंधान परियोजनाएं, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, गैर-मौद्रिक लाभ जैसे सवालों के जवाब दिए गए।
33. एनबीए ने 19.12.2023 को अपने क्षेत्र के दौरे के एक भाग के रूप में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भोपाल के छात्रों के एक समूह के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया। कार्यक्रम में जैव विविधता अधिनियम, एबीएस, आईपी से संबंधित मामलों से निपटने, कुनिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क, कानूनी मामलों और बीएमसी, पीबीआर, बीएचएस, लाइफ मिशन गतिविधियों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के साथ केस स्टडी जैसे विषयों को शामिल किया गया था।
34. श्रीमती लीना नंदन, आईएएस, सचिव, एमओईएफसीसी की अध्यक्षता में 20.12.2023 को आयोजित निरंतर कार्यक्रम की प्रशासनिक समिति की एक बैठक आयोजित की गई। श्री सीपी गोयल, आईएफएस, डीजी एंड एसएस, श्री तन्मय कुमार, आईएएस, अपर सचिव, श्री नरेश कुमार गंगवार, आईएएस, अपर सचिव, और सभी संस्थागत प्रमुखों और अधिकारियों ने कार्यक्रम में भाग लिया और पिछली बैठकों के निर्णय पर की गई कार्रवाई की जानकारी दी। आईसीएफआई, डब्ल्यूआईआई, आईआईएफएम, बीएसआई, जेडएसआई, जीबी पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित परियोजनाएं सुश्री सुरभि राय, आईएफएस, डीआईजीएफ, सदस्य संयोजक द्वारा प्रस्तुत की गई। परियोजनाओं पर चर्चा की गई और आगे का रास्ता सुझाया गया।
35. एनबीए ने एमएसएसआरएफ के सहयोग से एमएसएसआरएफ, चेन्नई में 27-29 दिसंबर 2023 तक श्रेणी II/III अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। बीएसएसआरएफ के सहयोग से एनबीए द्वारा आयोजित वन अधिकारियों, जेडएसआई के वैज्ञानिकों और कॉलेज व्याख्यानों/प्रोफेसरों के लिए बीडी अधिनियम 2002 और केएमजीबीएफ पर विशेष ध्यान देने के साथ भारत में जैव विविधता शासन पर तीन दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम। श्री सी. अचलेन्द्र रेड्डी, आईएफएस, (सेवानिवृत्त) अध्यक्ष एनबीए ने श्री सुब्रत महापात्र, आईएफएस, पीसीसीएफ और एचओएफएफ, टीएन, डॉ. सौम्या स्वामीनाथन, अध्यक्ष, एमएसएसआरएफ, डॉ. ब. बालाजी, आईएफएस, सचिव एनबीए और अन्य की उपस्थिति में इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया।



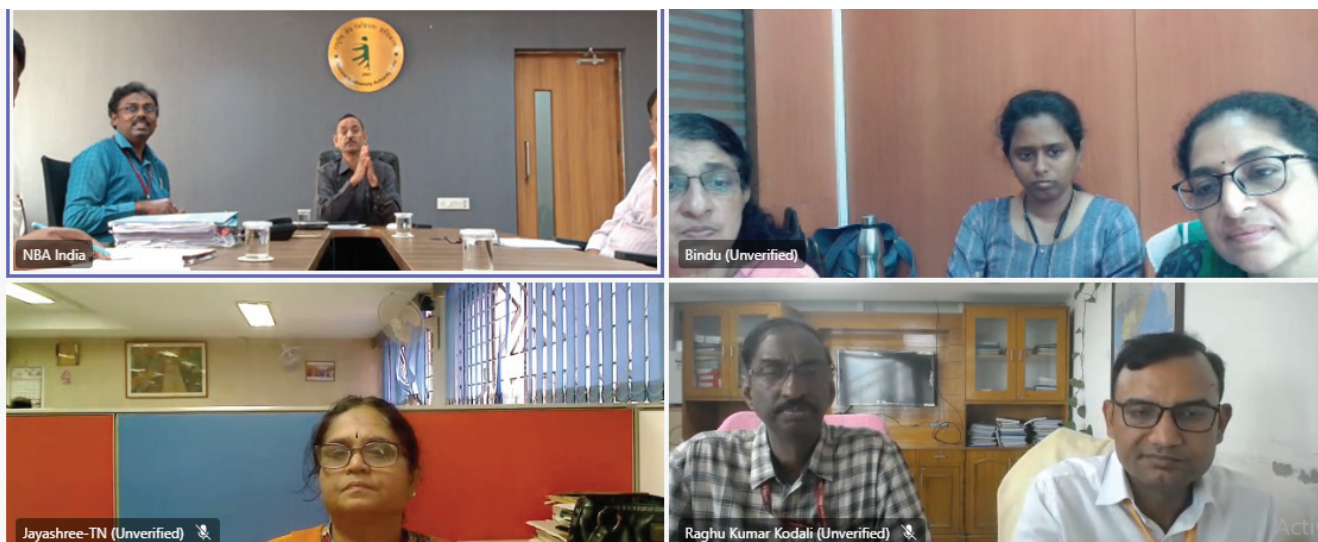
श्री सी. अचलेन्दर रेड्डी, आईएफएस, (सेवानिवृत्त) अध्यक्ष एनबीए, श्री सुब्रत महापात्र, आईएफएस, पीसीसीएफ और एचओएफएफ, टीएन, डॉ. सौम्या स्वामीनाथन, अध्यक्ष, एमएसएसआरएफ, डॉ. ब. बालाजी, आईएफएस, सचिव एनबीए के साथ बीडी अधिनियम 2002 और केएमजीएफ पर विशेष ध्यान देने के साथ भारत में जैव विविधता शासन पर तीन दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागी

36. वैश्विक जैव विविधता सूचना सुविधा पर चर्चा करने के लिए एमओईएफसीसी द्वारा 09.01.2024 को एक बैठक आयोजित की गई, यह जैव विविधता डेटाबेस के लिए एक वैश्विक मंच है। बैठक की अध्यक्षता सुश्री अनुष सिंह, सांख्यिकीय सलाहकार, एमओईएफसीसी ने की। WII, FSI, ICFRE, BSI, ZSI, IFGTB, WWF के अधिकारियों ने भाग लिया। डॉ. अच्युता नंद शुक्ला, एमओईएफसीसी और डॉ. केपी रघुराम, तकनीकी अधिकारी (लाभ साझाकरण), एनबीए ने प्रतिभागियों को एनबीए की ईपीबीआर, ईबर्ड, एनबीआईओ 2012, हाल की डेटा साझाकरण नीति के बारे में जानकारी दी। विदेश स्थित डीबेस के साथ डेटासेट, मेटा डेटा साझा करने, भारत में मेगा सर्वर स्थापित करने के लिए एक समिति बनाने का निर्णय लिया गया।
37. एमओईएफसीसी द्वारा गठित रेड सैंडर्स पर एक समिति ने 09.01.2024 को रेड सैंडर्स वुड के संरक्षण, संरक्षण और सिंगल विंडो क्लियरेंस पर चर्चा करने के लिए इंडस हॉल मओईएफसीसी में बैठक की। बैठक की अध्यक्षता डॉ. रघु प्रसाद, आईएफएस, और वन महानिरीक्षक और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक वन विभाग, डब्ल्यूसीसीबी और अन्य के वरिष्ठ अधिकारियों ने की। रघुराम, तकनीकी अधिकारी (लाभ साझाकरण), एनबीए ने पिछले सात वर्षों में एनबीए में की जा रही गतिविधियों के बारे में एक प्रस्तुति दी, जिसमें एबीएस का उपयोग और भविष्य की कार्य योजना शामिल है।
38. एनबीए ने राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर) के सहयोग से 08 से 12 जनवरी 2024 तक एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद में भारतीय वन सेवा (आईएफएस) अधिकारियों के लिए "आर्द्रभूमि और जैव विविधता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन" पर एक सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। डॉ. जी. नरेंद्र कुमार, आईएएस, महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर ने सत्र का उद्घाटन किया और एक शीर्ष क्षमता निर्माण संगठन के रूप में एनआईआरडीपीआर द्वारा निभाई गई भूमिका के बारे में बताया। श्री। सी. अचलेन्दर रेड्डी, आईएफएस, (सेवानिवृत्त), अध्यक्ष, एनबीए ने अपने विशेष संबोधन के दौरान जैव-अर्थव्यवस्था के ज्ञान की कमी के प्रभाव को समझाते हुए बांस के समयपूर्व फूल आने के कारण महाराष्ट्र में किसानों के सामने आने वाली समस्याओं का हवाला दिया। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में इकोटूरिज्म की अवधारणा को शुरू करने में आने वाली चुनौतियों और सफलता के बारे में दर्शकों को जानकारी दी। डॉ. ब. बालाजी, आईएफएस, सचिव, एनबीए ने अपनी उद्घाटन टिप्पणी के दौरान आर्द्रभूमि के संरक्षण के महत्व के बारे में बात की और जैव विविधता के क्षेत्र में विशेष रूप से संरक्षण, सतत उपयोग, देश की अर्थव्यवस्था आदि पर वनवासियों की भूमिका पर भी जोर दिया। बैठक के दौरान, एनबीए ने एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद के खेल परिसर में आईएफएस अधिकारियों के लिए योग कक्षाएं आयोजित कीं।

39. डॉ. ब. बालाजी, आईएफएस, सचिव, एनबीए और डॉ. केपी रघुराम, तकनीकी अधिकारी (लाभ साझाकरण), एनबीए ने 15.01.2024 को डच सार्वजनिक-निजी संगठन सीड एनएल द्वारा नई दिल्ली में नीदरलैंड दूतावास के साथ मिलकर आयोजित एक ऑनलाइन बैठक में भाग लिया, जिसने भारतीय बीज क्षेत्र में जरूरतों, चुनौतियों और अवसरों पर एक तथ्यान्वेषी अध्ययन शुरू किया। डॉ. मालविका डडलानी, पूर्व संयुक्त निदेशक (सेवानिवृत्त), भाकृअनुप-आईएआरआई ने बीजों की गुणवत्ता, नवाचार और प्रौद्योगिकी, नियामक अनुपालन आदि पर एक प्रस्तुति दी। इस कार्यक्रम में विभिन्न कंपनियों और सरकारी विभागों के लगभग 25 प्रतिभागियों ने भाग लिया।
40. आईसीएफआरई के निदेशक डॉ. विनय कुमार की अध्यक्षता में एकीकृत पोर्टल पर चर्चा करने के लिए निरंतर कार्यक्रम के तहत 24.01.2024 को आईसीएफआरई द्वारा एक बैठक आयोजित की गई। डॉ. के. पी. रघुराम, तकनीकी अधिकारी (बीएस), एनबीए, श्री पी. आनंदकुमार, तकनीकी सहायक (बी), और सुश्री राम्या, यंग प्रोफेशनल, एनबीए ने बैठक में भाग लिया और एनबीए की स्थिति और उपलब्ध डेटासेट, प्रकाशनों और ई-पीबीआर को सूचित किया। प्रभावी संचार के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का अनुरोध किया गया था। बैठक में जेडएसआई, बीएसआई, एनसीएससीएम, सीपीसीबी, आईडब्ल्यूएसटी, आईएफजीटीबी और एफएसआई इत्यादि के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
41. एनबीए ने क्षेत्र के कुछ विशेषज्ञों के साथ नरक्या प्रजाति पर चर्चा करने के लिए 13.02.2024 को एक बैठक का आयोजन किया। श्री सी अचलेन्द्र रेड्डी, आईएफएस, (सेवानिवृत्त), अध्यक्ष, एनबीए ने बैठक की अध्यक्षता की और डॉ. ब. बालाजी, आईएफएस, सचिव, एनबीए ने विशेषज्ञों को कार्यसूची की जानकारी दी। श्री साईप्रकाश, आईएफएस, पूर्व पीसीसीएफ (एचओएफएफ), महाराष्ट्र ने नारक्या पौध की अवैध कटाई और इस मामले पर की गई जांच और अभियोजन के कालक्रम के बारे में एक विस्तृत प्रस्तुति दी। विशेषज्ञों ने इस मामले पर आगे का रास्ता सुझाया।
42. डॉ. बी बालाजी, आईएफएस, सचिव, एनबीए ने भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की बातचीत में भाग लिया और अनुच्छेद X-7 – व्यापार और सतत विकास पर पाठ पर 18.02.2024 को यूरोपीय संघ की टीम श्री डैनियल और श्री ऑक्टिवियन के साथ चर्चा की गई। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सलाहकार श्री रघु कुमार कोडाली, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के आईएफएस श्री आर के जगनिया ने भी समझौतों में भाग लिया।
43. भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) ने 26.02.2024 को अमेरिका के कॉर्नेल विश्वविद्यालय के डॉ. इयान ओवेन्स, डॉ. क्रिस के साथ एक बैठक आयोजित की। डब्ल्यूआईआई की निदेशक सुश्री अनुष सिंह, सांख्यिकी सलाहकार, एमओईएफसीसी और एनबीए अधिकारियों और सलाहकारों ने बैठक में भाग लिया। बैठक में बीडी अधिनियम और डेटा नीति के संदर्भ में कानूनी तौर-तरीकों पर चर्चा होनी थी। बैठक के दौरान, एनबीए ने सूचित किया कि उपयोगकर्ता द्वारा पहुंच के लिए बीडी अधिनियम के तहत पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होती है सरकारी मानदंडों के अनुसार, भारतीय ईबर्ड डेटा कॉपी भारतीय सर्वर में होनी चाहिए। डब्ल्यूआईआई और कॉर्नेल विश्वविद्यालय आने वाले महीनों में उपरोक्त लाइनों पर काम करने के लिए सहमत हुए।
44. एनबीए ने राज्य जैव विविधता बोर्डों (एसबीबी) के सहयोग से 29 फरवरी से 2 मार्च 2024 तक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, मुंबई में शेशिडो कम्युनिकेशंस "पैनेसिया – 2024, 11वें प्राकृतिक उत्पाद एक्सपो-इंडिया (दक्षिण एशिया में प्राकृतिक और जैविक उत्पादों पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला)" द्वारा आयोजित प्रदर्शनी में भाग लिया। यह कुनमिंग-मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क द्वारा जागरूकता बढ़ाने और जैव विविधता संरक्षण में स्थानीय समुदायों को शामिल करने के लिए निर्धारित लक्ष्यों के साथ संरेखित है। विभिन्न राज्यों की समृद्ध जैव विविधता और स्वदेशी उत्पादों को सामूहिक रूप से प्रदर्शित करने और बढ़ावा देने के लिए, एनबीए ने पैनेसिया

– 2024 में पांच स्टालों की बुकिंग करके एक सक्रिय कदम उठाया है। प्रत्येक स्टाल में दो राज्य जैव विविधता बोर्ड (एसबीबी) थे, कुल नौ एसबीबी ने प्रदर्शनी में भाग लिया: – आंध्र प्रदेश, असम, गोवा, हिमाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड।

45. एनबीए ने 21.03.2024 को एनआईसी टीम (केरल और तमिलनाडु), BSI/ZSI के वरिष्ठ वैज्ञानिकों और एमओईएफसीसी अधिकारियों के साथ e-PBR एप्लिकेशन (BIOMIS पोर्टल) के विकास पर चर्चा करने के लिए एक आभासी बैठक का आयोजन किया। डॉ. ब. बालाजी, आईएफएस, सचिव एनबीए ने बैठक की अध्यक्षता की। श्री। रघु कुमार कोडाली, सलाहकार, एमओईएफसीसी और डॉ. अच्युत नंद शुक्ला, वैज्ञानिक-ई, एमओईएफसीसी ने भी बैठक में भाग लिया।



डॉ. ब. बालाजी, आईएफएस, सचिव, एनबीए एनआईसी टीम (केरल और तमिलनाडु) के अधिकारियों, बीएसआई/जेडएसआई और एमओईएफसीसी के वरिष्ठ वैज्ञानिकों के साथ ई-पीबीआर एप्लिकेशन (बायोमिस पोर्टल) के विकास पर विचार-विमर्श करते हुए।

46. एनबीए ने 26 मार्च 2024 को तेलंगाना वन अकादमी, हैदराबाद से महाराष्ट्र राज्य से संबंधित वन रेंज अधिकारी प्रशिक्षुओं (बैच 2023–25) के लिए एक प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया। डॉ. ब. बालाजी, आईएफएस, सचिव, एनबीए ने स्वागत भाषण दिया और श्री सी. अचलेन्दर रेड्डी, आईएफएस, (सेवानिवृत्त), अध्यक्ष, एनबीए ने बैठक में विशेष टिप्पणी की। अधिकारियों को बीडी अधिनियम, आईपीआर प्रक्रिया, बीडी अधिनियम के तहत अपराध, केएमजीबीएफ और एनबीएसएपी के अद्यतन के बारे में प्रस्तुतियां दी गईं।

47. डॉ. त्रिलोचन महापात्र, अध्यक्ष, पौधा किस्म और किसान अधिकार प्राधिकरण संरक्षण ने 7 अगस्त 2023 को राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ बातचीत की।

8.2. सम्मेलनों/बैठकों में भाग लेने के लिए एनबीए के अधिकारियों द्वारा विदेश यात्रा और ऐसी यात्राओं के दौरान साझा की गई जानकारी

1. श्री सी. अचलेन्दर रेड्डी, आईएफएस, (सेवानिवृत्त), अध्यक्ष, एनबीए ने सम्मेलन में भाग लिया और जैव विविधता वित्त पर 5वें वैश्विक सम्मेलन में बायोफिन कार्यान्वयन पर भारत का केस स्टडी प्रस्तुत किया, जो 9–11 मई 2023 को केप टाउन, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया था।
2. श्री सी. अचलेन्दर रेड्डी, आईएफएस, (सेवानिवृत्त), अध्यक्ष, एनबीए ने बॉन, जर्मनी में अंतर सरकारी विज्ञान नीति मंच जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के 10 वें सत्र में भाग लिया।

3. श्री सी. अचलेन्दर रेड्डी, आईएफएस, (सेवानिवृत्त), अध्यक्ष, एनबीए ने 25 से 29 सितंबर 2023 तक किंशासा, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में संसाधन जुटाव पर सीबीडी सलाहकार समिति की बैठक में भाग लिया।



श्री सी. अचलेन्दर रेड्डी, आईएफएस, (सेवानिवृत्त), अध्यक्ष, एनबीए, भारत की कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के किंशासा में संसाधन जुटाव पर सीबीडी सलाहकार समिति में उपस्थिति

4. श्री सी. अचलेन्दर रेड्डी, आईएफएस, (सेवानिवृत्त), अध्यक्ष, एनबीए ने 15.10.2023 को नैरोबी में चल रही सीबीडी की 25वीं बैठक के एसबीएसटीटीए पर पूर्ण सत्र में भाग लिया। यह बैठक कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने और प्रगति की निगरानी आदि के बारे में है।



श्री. सी. अचलेन्दर रेड्डी, आईएफएस, (सेवानिवृत्त), अध्यक्ष, एनबीए डॉ. अच्युत नंद शुक्ला, एमओईएफसीसी, भारत के साथ नैरोबी में सीबीडी के एसबीएसटीटीए की 25वीं बैठक में मौजूद

5. श्री सी. अचलेन्दर रेड्डी, आईएफएस, (सेवानिवृत्त), अध्यक्ष, एनबीए ने बर्न, स्विट्जरलैंड में 23-25 जनवरी, 2024 के दौरान यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा आयोजित कुनमिंग-मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन के लिए जैव विविधता से संबंधित सम्मेलनों के बीच सहयोग पर बर्न-III सम्मेलन में भाग लिया।
6. डॉ. ब. बालाजी, आईएफएस, सचिव, एनबीए ने 11-13 जुलाई को मनौस, ब्राजील में अनुच्छेद 8 (जे) और स्वदेशी लोगों और स्थानीय समुदायों से संबंधित कन्वेंशन के अन्य प्रावधानों पर कार्य और संस्थागत व्यवस्था के नए कार्यक्रम पर तदर्थ तकनीकी विशेषज्ञ समूह (एएचटीईजी) में भाग लिया।
7. डॉ. ब. बालाजी, आईएफएस, सचिव, एनबीए ने टोक्यो, जापान में 23-26 जनवरी 2024 के दौरान जैविक विविधता सम्मेलन के सचिवालय द्वारा आयोजित दक्षिण और पूर्वी एशिया के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीतियों और कार्य योजनाओं पर क्षेत्रीय वार्ता में भाग लिया।

8.3 एनबीए में विदेशी प्रतिनिधियों का दौरा

1. सुश्री सुकन्या कुमार, इंडिया हेड, यूके रिसर्च एंड इनोवेशन (यूकेआरआई), यूके सरकार ने 6 जून 2023 को एनबीए, चेन्नई का दौरा किया और जैव विविधता वित्त पर संभावित साझेदारी पर अध्यक्ष, एनबीए और सचिव, एनबीए के साथ चर्चा की, जो जैव विविधता पर शीर्ष कार्यसूची को संबोधित करने के लिए जैव विविधता और वित्तपोषण को जोड़ने में अनुसंधान पर केंद्रित है।
2. कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी (सीबीडी) के सचिवालय के कार्यवाहक कार्यकारी सचिव डॉ. डेविड कूपर ने 29 जुलाई 2023 को एनबीए, चेन्नई का दौरा किया और अध्यक्ष, एनबीए और सचिव, एनबीए के साथ चर्चा की।

8.4 अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस (आईडीबी)-2023 का आयोजन

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तत्वावधान में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए) और महाराष्ट्र राज्य जैव विविधता बोर्ड ने 22 मई, 2023 को जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर, मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस (आईडीबी) 2023 मनाया। 2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का विषय “समझौते से कार्रवाई तक: जैव विविधता का निर्माण करें” है। यह इस विचार को बढ़ावा देने के लिए है कि वैश्विक स्तर पर सहमत एक कार्य योजना, उन सभी उपायों में लागू की जानी चाहिए जिन पर समझौते में 2030 से पहले विचार किया जाना है।



आईडीबी 2023 के राष्ट्रीय स्तर के समारोह में गणमान्य व्यक्ति

इस समारोह में भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में माननीय प्रधान मंत्री द्वारा शुरू किए गए मिशन लाइफ (पर्यावरण के लिए जीवन शैली) के संयोजन में बाजरा पर विशेष ध्यान देने के साथ जैव विविधता प्रदर्शनी का उद्घाटन भी देखा गया और यह भी घोषणा की गई थी कि 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। इस संबंध में, महाराष्ट्र राज्य जैव विविधता बोर्ड और वन विभाग, महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से 'बाजरा' पर एक भव्य प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था।



माननीय केंद्रीय मंत्री, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन द्वारा बाजरा प्रदर्शनी का उद्घाटन

माननीय केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर, मुंबई में बाजरा प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर अन्य गणमान्य व्यक्तियों में माननीय केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री, श्री अश्विनी कुमार चौबे; पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की सचिव सुश्री लीना नंदन; अध्यक्ष, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, श्री सी. अचलेन्द्र रेड्डी; प्रमुख सचिव वन और राजस्व, श्री बी वेणुगोपाल रेड्डी; प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं एचओएफएफ, महाराष्ट्र, श्री. वाई.एल.पी. राव; प्रधान मुख्य वन संरक्षक, महाराष्ट्र, श्री. शैलेश जी टेम्बुर्निकर, जैव विविधता प्रबंधन समिति के सदस्यों और केंद्र/राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। जियो कन्वेंशन सेंटर में जी-20 की बैठक में भाग लेने वाले अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने बाजरा प्रदर्शनी का भी दौरा किया।



श्री भूपेंद्र यादव, माननीय केंद्रीय मंत्री, एमओईएफसीसी द्वारा उद्घाटन संबोधन

माननीय केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, श्री भूपेंद्र यादव ने अपने उद्घाटन भाषण में बाजरा और इसके औषधीय मूल्यों के महत्व पर जोर दिया और भारतीय जलवायु और मिट्टी के अनुकूल बाजरा को बढ़ावा देने को प्रोत्साहित किया। उन्होंने सूखा प्रतिरोधी बाजरा के महत्व और पोषण की कमी को रोकने में इसकी क्षमता पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र जैव विविधता के संरक्षण में बहुत अच्छा काम करने वाले राज्यों में से एक है। इसने 28,000 जैव विविधता प्रबंधन समितियों का गठन किया है। उन्होंने जैव विविधता के संरक्षण में जन जैव विविधता रजिस्टर के महत्व पर भी जोर दिया।

इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे ने भारत भर में बाजरा और इसकी विविधता के विशेष संदर्भ में जैव विविधता के महत्व पर जोर दिया और सभी से दैनिक जीवन में प्रकृति की भूमिका को स्वीकार करने और इसकी रक्षा करने का अनुरोध किया। उन्होंने यह भी कहा कि हमारी प्रकृति, हमारी संस्कृति, हमारा साहित्य उज्ज्वल भविष्य देगा। महाराष्ट्र सरकार के वन मंत्री श्री सुधीर मुनगंटीवार ने भी एक वीडियो संदेश के माध्यम से सभा को संबोधित किया।



श्री अश्विनी कुमार चौबे, माननीय राज्य मंत्री, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन का संबोधन

इस अवसर पर गणमान्य व्यक्तियों द्वारा 'भारत के जैव विविधता विरासत स्थलों' और "अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपायों" पर एक ब्रोशर जारी किया गया।

प्रदर्शनी में विभिन्न एजेंसियों, संस्थानों और सरकारी विभागों जैसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के तहत संस्थान जैसे भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान, वन विभाग, महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र राज्य जैव विविधता बोर्ड, महाराष्ट्र जीन बैंक परियोजना, महाराष्ट्र बांस बोर्ड, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी और अन्य बाजरा के प्रचार में शामिल विभिन्न सार्वजनिक और निजी संगठनों ने प्रदर्शनी में भाग लिया और लगभग 300 प्रतिभागियों ने मुख्य कार्यक्रम में भाग लिया, इसके अलावा कई अन्य लोगों ने बाद में प्रदर्शनी क्षेत्र का दौरा किया।

इस अवसर पर, माननीय केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, श्री भूपेंद्र यादव ने मैंग्रोव सेल, महाराष्ट्र के वन विभाग द्वारा विकसित महाराष्ट्र के तटीय जिलों के साथ समृद्ध तटीय और समुद्री जैव विविधता को प्रदर्शित करने के लिए समर्पित एक जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाई।



आईडीबी 2023 के राष्ट्रीय स्तर के समारोह में ब्रोशर का विमोचन



बाएं: माननीय मंत्री पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जागरूकता वाहन का शुभारंभ दाएं: अध्यक्ष, एनबीए सभा को संबोधित करते हुए



कार्यक्रम स्थल पर गणमान्य व्यक्ति



समारोह में विभिन्न आयोजन

8.6. जन जैव विविधता रजिस्ट्रों (पीबीआर) के अपडेशन सह सत्यापन पर राष्ट्रीय अभियान – 23 मई – 4 जून 2023

आईडीबी 2023 समारोह के एक भाग के रूप में, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी), भारत सरकार और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए) ने गोवा सरकार और गोवा राज्य जैव विविधता बोर्ड के सहयोग से 23 मई 2023 को नेउरा विलेज, तिस्वाड़ी जिला, गोवा में "पीपुल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्ट्रों (PBR) के अपडेशन कम वेरिफिकेशन पर राष्ट्रीय अभियान" के लिए प्लैग ऑफ समारोह की मेजबानी की। गोवा के माननीय मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत और माननीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे ने संयुक्त रूप से अभियान का शुभारंभ किया।



जन जैव विविधता रजिस्ट्रों (पीबीआर) के अपडेशन सह सत्यापन पर राष्ट्रीय अभियान शुरू करते गणमान्य व्यक्ति

संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (UNFCCC COP26) के अवसर पर, भारत ने विभिन्न पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करने में व्यक्तियों को शामिल करने के लिये "मिशन लाइफ (पर्यावरण के लिये जीवन शैली)" की शुरुआत की। पीबीआर पर राष्ट्रव्यापी अभियान देश भर में 23/05/2023 से 04/06/2023 तक मिशन लाइफ के संयोजन में शुरू किया गया था। इस अभियान में युवाओं, विशेषकर छात्रों और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) में जैव विविधता प्रबंधन समितियों (बीएमसी) की बड़े पैमाने पर भागीदारी शामिल थी।

अभियान के शुभारंभ से पहले, एनबीए द्वारा सभी एसबीबी और यूटीबीसी के साथ 2 और 16 मई, 2023 को दो बैठकें आयोजित की गईं, ताकि गतिविधियों के तरीके, कार्यक्रम और कार्यक्रम की योजना को समझाया जा सके। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को जीवन विज्ञान के विषय से अवर स्नातक या स्नातकोत्तर छात्रों द्वारा अद्यतन और क्षेत्र सत्यापन का अभ्यास करने के लिए पीबीआर की एक विशिष्ट लक्ष्य संख्या सौंपी गई थी। एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) और फील्ड डेटा एकत्र करने के लिए प्रारूप राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साझा किया गया था। प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में तैयार की गई पीबीआर की संबंधित संख्या को ध्यान में रखते हुए विभिन्न एसबीबी और यूटीबीसी

को आनुपातिक रूप से कुल 10,611 पीबीआर आबंटित किए गए थे। 17 मई, 2023 को एसबीबी/यूटीबीसी के प्रतिनिधि अधिकारियों के साथ एक प्रशिक्षण आयोजित किया गया, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन की तकनीकों का प्रदर्शन किया गया, जिसमें वेब पोर्टल, इस उद्देश्य के लिए नामित प्लेरी लाइफ के बारे में विवरण और प्रासंगिक गतिविधि विवरण और फोटो-साक्ष्य अपलोड करने की प्रक्रिया शामिल है। एसबीबी और यूटीबीसी को सलाह दी गई थी कि वे पीबीआर के अद्यतन और सत्यापन के लिए प्रत्येक बीएमसी में भाग लेने वाले छात्र के क्षेत्र दौरे के बारे में वेबसाइट (अनिवार्य) पर गतिविधि के पांच फोटोग्राफिक साक्ष्य और 3 लघु वीडियो (प्रत्येक 45 सेकंड की अवधि) अपलोड करें। अभ्यास के दौरान उपयोग और प्रदर्शन के लिए अनुकूलित बैनर का एक साफ्ट संस्करण एसबीबी/यूटीबीसी को भेजा गया था।

एनबीए ने 13 एसबीबी और 3 यूटीबीसी को वित्तीय सहायता प्रदान की। शेष एसबीबी और यूटीबीसी को एबीएस निधियों का उपयोग करने के लिए अधिकृत किया गया था, जहां लाभार्थी अज्ञात हैं। कुल 25 एसबीबी और 5 यूटीबीसी ने पीबीआर की निर्धारित संख्या के अद्यतन और सत्यापन का कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। एसबीबी/यूटीबीसी द्वारा कुल 11,921 पीबीआर को अद्यतन और सत्यापित किया गया है।



बीएमसी लोगों के जैव विविधता रजिस्ट्रों (पीबीआर) के अद्यतन सह सत्यापन पर राष्ट्रीय अभियान की स्थिति में पीबीआर को अपडेट कर रही है

8.7 पैनेसिया – 2024, 11वां प्राकृतिक उत्पाद एक्सपो-इंडिया

बोर्ड (एसबीबी), एनबीए ने 29 फरवरी से 2 मार्च 2024 तक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, मुंबई में शेशिडो कम्युनिकेशंस “पैनेसिया – 2024, 11वां प्राकृतिक उत्पाद एक्सपो-इंडिया” (दक्षिण एशिया में प्राकृतिक और जैविक उत्पादों पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला) द्वारा आयोजित प्रदर्शनी में भाग लिया। इस सहयोग ने जैव विविधता संरक्षण और टिकाऊ संसाधन प्रबंधन के लिए एक सामूहिक दृष्टिकोण का प्रदर्शन किया, जो प्राकृतिक जैव संसाधनों को प्रदर्शित करने और प्राकृतिक उत्पादों और उद्योगों से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों के पेशेवरों और प्रदर्शकों के साथ जुड़ने का एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान करता है। यह कुनमिंग-मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क द्वारा जागरूकता बढ़ाने और जैव विविधता संरक्षण में स्थानीय समुदायों को शामिल करने के लिए निर्धारित लक्ष्यों के साथ अच्छी तरह से संरेखित करता है।

एनबीए ने 11वें प्राकृतिक उत्पाद एक्सपो-इंडिया पैसेसिया – 2024 में पांच स्टॉल बुक करके एक सक्रिय कदम उठाया है। प्रत्येक स्टाल में दो राज्य जैव विविधता बोर्ड (एसबीबी) थे, कुल नौ एसबीबी अर्थात आंध्र प्रदेश, असम, गोवा, हिमाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड ने प्रदर्शनी में भाग लिया।



पैसेसिया – 2024, 11वें प्राकृतिक उत्पाद एक्सपो-इंडिया में कार्यक्रमों का कोलाज

प्रदर्शनी में प्रत्येक राज्य की सक्रिय और प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, एनबीए ने प्रत्येक 9 एसबीबी (उपरोक्तानुसार) को 75,000/- रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की थी। एसबीबी ने आजीविका हस्तक्षेप और समृद्ध जैव विविधता से प्राप्त मूल्य वर्धित उत्पादों की एक विविध श्रेणी के माध्यम से जैव विविधता संरक्षण के लिए अपने अभिनव दृष्टिकोण का प्रदर्शन किया है। आगंतुकों ने एसबीबी द्वारा स्टालों में प्रदर्शित उत्पादों की गुणवत्ता और विशिष्टता की सराहना की है और स्थिरता के प्रति प्रतिबद्धता की भी सराहना की है।

पैसेसिया नेचुरल प्रोडक्ट्स एक्सपो-इंडिया ने प्राकृतिक उत्पाद उद्योग में हितधारकों के बीच नेटवर्किंग, ज्ञान साझा करने और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य किया है। इस बात पर जोर दिया जाता है कि अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता ढांचे में उल्लिखित लक्ष्यों को आगे बढ़ाने और पारिस्थितिक तंत्र और समुदायों के समग्र कल्याण में योगदान करने के लिए इस तरह की पहल को बढ़ावा देना और भाग लेना जारी रखना आवश्यक है। एनबीए/एसबीबी की सक्रिय भागीदारी की सराहना करते हुए आयोजन समिति ने एनबीए को स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया है।



डॉ. एस. राजेश कुमार

जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 37, 38, 40 और 64 के अंतर्गत जारी विनियम

9.1. जैव विविधता विरासत स्थलों (बीएचएस) की घोषणा

अब तक, देश में सत्रह राज्यों द्वारा सैंतालीस (47) जैव विविधता विरासत स्थलों (बीएचएस) को अधिसूचित किया गया है। राज्यों में कई अन्य बीएचएस की पहले ही पहचान की जा चुकी है और कुछ को अधिसूचना के लिए प्रस्तावित किया गया है। रिपोर्ट के तहत अवधि के दौरान, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश राज्यों ने बीएचएस के छ नंबर अधिसूचित किए हैं। 2023-24 में अधिसूचित बीएचएस की सूची इस प्रकार है (तालिका 8):

तालिका 8: 2023-24 में अधिसूचित जैव विविधता विरासत स्थलों की सूची

क्रमांक	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बीएचएस नाम	अधिसूचना संख्या और तारीख
1	पश्चिम बंगाल	हल्दीर चार द्वीपसमूह	909-EN/T-II-7/003-ii/2003, 16-05-2023
2		बीरम्पुर-बागुरन जलपाई	
3	सिक्किम	तुंगक्योंग ढो(झील)	18/GOS/F&ED/SECY, 02-06-2023
4	उड़ीसा	गुप्तेश्वर वन	FE-ENV1-ENV-0011-2023-2488/ FE&CC, 09-02-2024
5	अरुणाचल प्रदेश	लायागो	SFRI/APBB/31/2016/922 & 921, 29-02-2024
6		थुंगी गोन्पु (कामचो याम)	

9.2 जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 38 के अंतर्गत संकटापन्न प्रजातियों की अधिसूचनाएं

जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 38 केन्द्र सरकार को संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से पौधों और पशुओं की प्रजातियों को, जो विलुप्त होने के कगार पर हैं या निकट भविष्य में विलुप्त होने की संभावना है, संकटापन्न प्रजातियों के रूप में अधिसूचित करने की शक्ति प्रदान करती है ताकि किसी प्रयोजन के लिए उनके संग्रहण को निषिद्ध या विनियमित किया जा सके और उन प्रजातियों के पुनर्वास और संरक्षण के लिए उपयुक्त कदम उठाए जा सकें। अब तक 18 राज्यों और 2 संघ शासित प्रदेशों यथा असम, बिहार, गोवा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा दीव और बांध द्वीप समूह ने बीडी अधिनियम की धारा 38 के तहत संकटापन्न प्रजातियों को अधिसूचित किया है, जिसमें कुल 159 पौधे और 175 पशु प्रजातियां शामिल हैं (तालिका 9)।

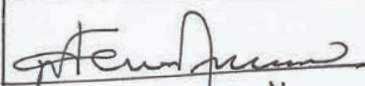
तालिका 9: उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची जिन्होंने बीडी अधिनियम की धारा 38 के अंतर्गत संकटग्रस्त प्रजातियों को अधिसूचित किया है।

क्रमांक	अधिसूचना/आदेश	अधिसूचना की तारीख	संदर्भ	वनस्पति	जीवधारी
1	हिमाचाल प्रदेश	17.03.2009	S.O.783(E)	8	10
2	केरल	15.04.2009	S.O.997(E)	26	13
3	उत्तर प्रदेश	15.04.2009	S.O.998(E)	1	.
4	उत्तराखंड	15.04.2009	S.O.999(E)	16	15
5	मिजोरम	30.09.2009	S.O.2524(E)	8	8
6	उड़ीसा	30.09.2009	S.O.2525(E)	1	13
7	मेघालय	30.09.2009	S.O.2526(E)	6	5
8	गोवा	31.03.2010	S.O.770(E)	2	7
9	कर्नाटक	30.10.2010	S.O.2718(E)	16	16
10	मध्य प्रदेश	07.06.2010	S.O.1329(E)	3	10
11	पश्चिम बंगाल	31.03.2010	S.O.769(E)	2	17
12	बिहार	03.02.2011	S.O.289(E)	1	6
13	तमिल नाडु	01.03.2011	S.O.473(E)	23	16
14	त्रिपुरा	03.02.2011	S.O.290(E)	1	2
15	मणिपुर	26.10.2012	S.O.2611(E)	5	6
16	अंदमान एवं निकोबार	26.10.2012	S.O.2612(E)	5	8
17	पंजाब	04.02.2014	S.O.402(E)	8	5
18	दमन दियु	29.04.2015	S.O.1162 (E)	.	1
19	जम्मू और कश्मीर	02.08.2018	S.O. 3845 (E)	20	10
20	असम	02.08.2018	S.O. 3846 (E)	7	7
	योग			159	175
	कुल योग (वनस्पति, जीवधारी)				334

वित्त और लेखा

NATIONAL BIODIVERSITY AUTHORITY TARAMANI, CHENNAI - 600 113 Receipts and Payments Account for the year ended 31st March, 2024 (Amount in Rs.)					
Receipts	Current Year 2023-24	Previous Year 2022-23	Payments	Current Year 2023-24	Previous Year 2022-23
I. Opening Balances:-			I. Expenditures:-		
A) NBA Account			A) Establishment Expenses		
i) Cash in hand	40,000	40,000	i) Previous year O/s Rs.1733968	2,66,17,932	2,45,46,481
ii) Stamp	1,149	1,868	ii) Current Year Exps Rs.24783964		
iii) Bank Balances:-			iii) Current Asset Rs.100000		
NBA General A/c	45,69,844	1,19,74,634	B) Administrative Expenses		
NBA Salary A/c	1,03,02,638	48,43,917	i) Previous year O/s Rs.15,76,706		
NBA SC SP A/c	72	57,280	ii) Current Year Exps Rs.8,46,04,142	8,65,61,197	8,46,74,641
NBA SC STP A/c	8	6,160	iii) Current Asset Rs. 2,94,768		
NBA Capital A/c	56,850	1,22,74,528	iv) Security Deposit Rs. 85,581		
			v) Stamp Purchased	2,711	5,286
			vi) Stamp Consumed out of opening	311	719
			vii) Funding for awareness programs	12,60,278	3,37,500
B) NBF Account			C) Fixed Assets		
i) Bank Balances(SB A/c & Current A/c)	1,63,37,76,535	1,18,53,61,540		15,99,866	9,112
ii) Fixed Deposit A/c	5,21,79,155	20,85,000	D) NBA Capital A/c	12,300	11955546
C) NBA Fund Admin A/c	1,09,24,172	1,00,468	i) Fixed Asset Rs.9300		
D) Projects			ii) Inventories Rs.3000		
i) NBA Asean Project A/c	43,058	41,793	E) Strengthening of SBBs.	4,01,16,429	3,48,81,306
ii) GEF Bank A/c	95,20,826	92,68,044	F) Constitution of BMCs. & PBRs	50,39,888	99,60,000
iii) Fixed Deposit (GEF)	74,18,643	-	G) Special Compound for SC-SP	-	47,500
II. Grants:-			H) Special Compound for TSP	-	5,000
Grant Received from (MoEF & CC)	15,19,85,000	15,50,00,000	ii) Refund of interest earend on GIA	14,49,819	44,37,154
			A) Interest		
			i) Authority General Rs.412263		
			ii) Interest refund SBB's Rs. 889034		
			iii) Authority Salary Rs.103678		
			iv) Capital A/c Rs.44446		
			v) Interest on Advance Rs. 398	-	276
			B) Sale of Assets/Newspaper	1,75,738	-
			C) Refund of interest earend on GIA to Govt. Capital A/c current year	-	2,44,976
III. Income on Investments			III. Other Payments		
a) Earmarked / Endowment Funds			Deposits/E.M.D.repaid	1,27,000	30,000
			Expenditure incurred from App.fees	26,551	48,359
IV. Interest received			IV. Project A/c		
A) NBA A/c	4,72,191	8,05,443	i) GEF NBSAP Expenditure	1,31,20,828	-
i) Authority General Rs.290081					
ii) Authority Salary Rs.181713					
iii) Capital A/c Rs.397					
iv) Intrerest on Advances	352	398			
B) Interest refunded by SBB's	8,05,759	8,89,034			
C) NBA Fund A/c					
i) Fund A/c Savings bank Interest	98,766	1,18,326			
ii) NBA Sweep A/c interest	9,36,47,633	4,03,93,447			
iii) Fixed Depoist A/c Interest received/Reinvested- (Fund)	35,97,395	94,155			

Receipts	Current Year 2023-24	Previous Year 2022-23	Payments	Current Year 2023-24	Previous Year 2022-23
D) Fixed deposit during the year- GEF (NIC payable)	-	71,75,657			
E) Fixed deposit Interest during the year- GEF(NIC payable)	-	2,42,986			
V. Income to NBF A/c			VI. NBA Fund A/c		
a) Application fee	19,18,677	15,84,011	a) Benefit Sharing the Payment to Stakeholders under Red Sanders (ABS)	95,51,415	23,46,198
b) ABS Upfront payment	13,20,01,558	38,97,30,903	b) Benefit Sharing the Payment to Stakeholders under Other then Red	-	3,90,89,747
c) Benefit Sharing (Red Sanders)	5,15,02,567	10,86,40,033	c) Unclassified now classified	-	6,14,590
			d) Bank Charges	2,869	1,189
VI. Other Income			VI. NBF Admin A/c		
i) Sale of Assets	-	1,69,688	a) Funding to SBB's	32,15,000	-
ii) RTI filing fee	1,456	282	b) Expenses of Expert Committee	14,07,880	-
VII. Income NBF Admin A/c			VII. Closing Balances		
NBF Admin (ABS)	-	1,07,84,896	a) Cash in hand	40,000	40,000
Interest on NBF Admin A/c	2,42,879	38,808	b) Stamps in Hand	838	1,149
			c) Bank Balances (NBA - FUND)		
			i) NBA Fund A/c (Savings)	1,90,33,91,452	1,63,37,76,535
			ii) In Fixed Deposit (Fund) A/c	5,57,76,550	5,21,79,155
VIII. Other Receipts:			d) Bank Balances(NBA A/c)		
i) Earnest Money / Security / Deposit / Ret.Money recd.from Contractors	3,15,000	44,583	i) NBA General A/c	19,75,084	45,69,844
ii) Application fee for Interns recruitment	2,15,097	38,701	ii) NBA Salary A/c	37,62,419	1,03,02,638
iii) Sale of Newspaper	3,525	7,900	iii) NBA SC SP A/c	72	72
iv) Miscellaneous	1	-	iv) NBA SC ST A/c	8	8
IX Project Account			v) NBA Capital A/c	501	56,850
GEF NBSAP A/c	46,90,482	2,52,782	vi) NBF Admin A/c	65,44,171	1,09,24,172
NBA Asean Project A/c-Interest	1,302	1,265	vii) GEF NBSAP A/c	10,90,480	95,20,826
Fixed Deposit (GEF)	2,17,714	-	viii) Asean Project A/c	44,360	43,058
			ix) Fixed Deposit (GEF)	76,36,357	74,18,643
Total	2,17,05,50,304	1,94,20,68,530	Total	2,17,05,50,304	1,94,20,68,530


ACCOUNTS OFFICER


SECRETARY


CHAIRMAN



**NATIONAL BIODIVERSITY AUTHORITY
TARAMANI, CHENNAI -600113**

Income and Expenditure for the year ended 31st March, 2024

INCOME	Sch. No.	Current Year 2023-24	Previous Year 2022-23
Income from Sales / Services	12	-	-
Grants/ Subsidies:			
Grants received as per (Sch.No.13) 15,19,85,000	13	16,44,77,898	17,89,97,330
Un utilized Grants for 2023-24(Sch.No.13) 1,28,32,730			
Total (Sch.No.13) 16,48,17,730			
Less: Capitalization of Fixed Assets during the year 2023-24 16,11,752			
Add: Interest payable to govt. (Schedule 17) 12,71,920			
Net Income from Grants 16,44,77,898			
Fees / Subscription	14	-	-
Income from Investments (Income on Investments from Earmarked / Endowment Funds transferred to Funds)	15	-	-
Income from Royalty, Publication etc.	16	-	-
Interest Earned	17	-	-
Other Income	18	2,20,079	2,16,473
Increase / (decrease) in stock of Finished goods and works in-progress	19	-	-
Audit Fee excess Pro provided 2020-21		-	81,970
Income receivable from Govt.Gratuity & leave salary		24,37,444	3,73,516
TOTAL (A)		16,71,35,421	17,96,69,289
EXPENDITURE			
Establishment Expenses	20	2,99,76,151	2,68,63,543
Other Administrative Expenses etc.	21	9,21,42,855	8,47,79,966
Expenditure on Grants, Subsidies etc.	22	4,51,56,317	4,48,41,306
Interest	23	-	-
Depreciation as per Schedule 8		11,99,542	13,75,158
Accumulated Depreciation created during 2019-20 written off to the extend		-	11,91,195
Capital Grant refunded to MoEF & CC		-	1,00,00,000
Application Fees amount returned		26,551	48,359
Unspent Grant refunded to Govt SCSP		-	52,500
Payable to Government: Un-Utilized Grant		36,07,025	1,28,32,731
Interest/sale of assets payable to Government		12,71,920	16,20,390
TOTAL (B)		17,33,80,361	18,36,05,148
Balance being excess of Income over Expenditure (A-B)		-62,44,940	-39,35,859
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	24		
CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS	25		


ACCOUNTS OFFICER


SECRETARY


CHAIRMAN



**NATIONAL BIODIVERSITY AUTHORITY
TARAMANI, CHENNAI -600113**

Balance Sheet for the year ended 31st March, 2024

<u>CORPUS / CAPITAL FUND AND LIABILITIES</u>	Sch. No.	Current Year 2023-24	Previous Year 2022-23
CAPITAL FUND	1	-10,93,541	35,39,647
RESERVES AND SURPLUS	2	0	0
NATIONAL BIODIVERSITY FUND	3 A	194,25,18,891	165,49,59,019
NATIONAL BIODIVERSITY FUND ADMIN	3 B	8,46,75,173	7,98,81,765
SECURED LOANS AND BORROWINGS	4	0	0
UNSECURED LOANS AND BORROWINGS	5	0	0
DEFERRED CREDIT LIABILITIES	6	0	0
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	7	3,88,51,481	3,94,57,289
TOTAL		206,49,52,004	177,78,37,720
<u>ASSETS</u>			
FIXED ASSETS	8	49,48,609	45,36,399
Advance payment for Building		0	0
NICSI total value of work Rs.4028461			0
Less: Finised Phase I Application Rs.2028366			0
Less: Work-in-Progress Rs. 199152			0
Finished Goods Rs. 1800943			0
INVESTMENTS-FROM EARMARKED/ ENDOW MENT FUNDS	9	0	0
INVESTMENTS - OTHERS	10	0	0
CURRENT ASSETS,LOANS,ADVANCES ETC.	11	206,00,03,395	177,33,01,321
TOTAL		206,49,52,004	177,78,37,720
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	24		
CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS	25		


ACCOUNTS OFFICER


SECRETARY


CHAIRMAN



वर्ष 2024–25 के लिये वार्षिक योजना

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण भारत के जैव विविधता अधिनियम को लागू करने और जैव विविधता पर कन्वेंशन (सीबीडी) द्वारा दिए गए जनादेश को पूरा करने के लिए हर साल कार्रवाई बिंदुओं की एक सूची निर्धारित करता है। 2024–25 के लिए निम्नलिखित गतिविधियों की योजना बनाई गई है और वे राज्य जैव विविधता बोर्डों (एसबीबी) और जैव विविधता प्रबंधन समितियों (बीएमसी) की सक्रिय भागीदारी के साथ और एमओईएफ और सीसी से धन की उपलब्धता के अधीन शुरू की जाएंगी।

- i) जैव विविधता (संशोधन) अधिनियम, 2023 के अनुसार जैव विविधता (संशोधन) नियम और प्रासंगिक दिशा-निर्देश तैयार करना।
- ii) बीएचएस को घोषित करने के लिए दिशानिर्देश और उसका प्रबंधन
- iii) बीएमसी के राज्य-वार नेटवर्क में अब तक हुई प्रगति की समीक्षा और पीबीआर की तैयारी, मौजूदा परिचालन प्रक्रिया में चुनौतियों और कमियों का विश्लेषण करना। बीएमसी की कार्यात्मक स्थिति का आकलन करना और देश के जैव विविधता समृद्ध क्षेत्रों में और उसके आसपास निष्क्रिय बीएमसी के पुनरुद्धार को प्राथमिकता देना।
- iv) 4 राज्यों में पीबीआर तैयार करने के लिए अनुकूलित तंत्र की समीक्षा (स्थल और राज्य-विशिष्ट कार्यप्रणालीय प्राप्त आंकड़ों का अधिप्रमाणीकरण वित्तीय सहायता का उपयोग, सहायता की मात्रा, यदि कोई हो, आदि में संशोधन की आवश्यकता)।
- v) एसबीबी द्वारा प्रलेखित डेटा संकलित करने के लिए एक समान प्रारूप विकसित करने के लिए पीबीआर को डिजिटल बनाना।
- vi) बीएमसी के गठन और पीबीआर तैयार करने के लिए एसबीबी को अनुदान सहायता के लिए सत्यापन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करके पूरे भारत में स्थानीय निकायों का एक डिजिटल डेटाबेस बनाना।
- vii) जैव संसाधनों, उनके संरक्षण और टिकाऊ प्रबंधन से संबंधित विभागों के साथ-साथ वन्यजीव, वानिकी, जैव प्रौद्योगिकी, सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क विभागों के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण और कार्यशालाएं प्रदान करना।
- viii) विभिन्न हितधारकों के लिए गैर सरकारी संगठनों, अनुसंधान संस्थानों, शिक्षाविदों और सरकारी विभागों के माध्यम से जैविक विविधता (संशोधन) अधिनियम, 2023 पर जागरूकता कार्यक्रम, संगोष्ठी और सेमिनार आयोजित करना और आयोजित करना।
- ix) विभिन्न हितधारकों के लिए बीडी (संशोधन) अधिनियम, 2023 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए मीडिया, प्रिंट, संचालन क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से आउटरीच कार्यक्रम आयोजित करना।
- x) आवश्यकता-आधारित सुधार की सुविधा प्रदान करना और जैव संसाधनों की सूची को अद्यतन करना जिन्हें बीडी अधिनियम की धारा 40 के तहत सामान्य रूप से कारोबार वाली वस्तुओं (एनटीसी) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- xi) खतरे वाली प्रजातियों के संरक्षण और पुनर्वास की व्यवस्था और सुविधा प्रदान करना और उन प्रजातियों की सूची को अद्यतन करना जो बीडी अधिनियम की धारा 38 के तहत विलुप्त होने के कगार पर हैं।

- xii) राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायत राज, हैदराबाद के सहयोग से स्थानीय स्व-शासन कार्यकर्ताओं और लोगों के प्रतिनिधियों सहित हितधारकों के व्यापक स्पेक्ट्रम को लाभान्वित करने के लिए जैव विविधता शासन पर क्षमता निर्माण कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना।
- xiii) निर्णय लेने के लिए विषय मामलों और प्राधिकरण की बैठकों पर विचार-विमर्श करने के लिये उपयुक्त और नियमित विशेषज्ञ समिति की बैठकें आयोजित करना।
- xiv) एनआईसी के सहयोग से एनबीए सचिवालय में एबीएस अनुप्रयोगों के वास्तविक समय प्रसंस्करण को लागू करना।
- xv) प्राधिकरण द्वारा अपनाई गई लाल चंदन संबंधी रिपोर्ट में सुझाए गए निर्णयों को कार्यान्वित करना।
- xvi) लाभार्थियों के साथ जैविक संसाधनों औरध्या संबद्ध पारंपरिक ज्ञान के उपयोग से प्राप्त लाभों को साझा करना, जिसमें गोजातीय पशु भ्रूण और लाल चंदन तक पहुंच पर अर्जित लाभ शामिल हैं।
- xvii) मॉन्ट्रियल, कनाडा में दिसंबर, 2022 में पार्टियों के सम्मेलन (CoP 15.2) की पंद्रहवीं बैठक के दूसरे भाग के दौरान आयोजित कुनमिंग-मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क (KMGBF) को अपनाने के बाद राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना को अपडेट करना।

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियाँ

12.1. कानूनी और नियामक ढांचे की समीक्षा

12.1.1 वर्तमान में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा या उसके खिलाफ किए जा रहे मुकदमे

विधि अनुभाग राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण/पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा विभिन्न न्यायालयों/अधिकरणों के समक्ष मुकदमों पर कार्रवाई करने और राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण के लिए उपस्थित काउंसिल की सहायता करने के लिए उत्तरदायी है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण जैव विविधता अधिनियम, 2002 के उल्लंघन से संबंधित मामलों और उक्त अधिनियम के तहत जारी किसी आदेश या निर्देश के संबंध में सक्रिय कदम उठा रहा है।

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा या उसके खिलाफ वर्तमान में चल रही मुकदमे (तालिका 10 & 11)

तालिका 10: एनबीए में विभिन्न न्यायालयों/न्यायाधिकरणों के समक्ष लंबित मामलों की सूची

क्रमांक	न्यायालय	मुकदमा संख्या
1	भारत का सर्वोच्च न्यायालय	SLP(Crl). No.539 of 2014 renumbered Crl App. 1720 of 2015
2	भारत का सर्वोच्च न्यायालय	SLP(Crl). No.629 of 2014 renumbered Crl. App.1721 of 2015
3	भारत का सर्वोच्च न्यायालय	SLP No's 18122 of 2019 - 18127 of 2019
4	भारत का सर्वोच्च न्यायालय	SLP No's. 17471 of 2019 -17476 of 2019
5	भारत का सर्वोच्च न्यायालय	SLP No's. 18141 of 2019 – 18146 of 2019
6	भारत का सर्वोच्च न्यायालय	CA No. 3568 -3569 of 2020
7	भारत का सर्वोच्च न्यायालय	SLP C No. 000544-/2021; Diary No. 334/2021
8	भारत का सर्वोच्च न्यायालय	CA No. 5599-5601 /2023
9	दिल्ली उच्च न्यायालय	W.P. No. 7505 of 2022
10	बंबई उच्च न्यायालय	W.P. No. 3590 of 2018
11	बंबई उच्च न्यायालय	W.P. No. 129 of 2020
12	बंबई उच्च न्यायालय, नागपुर	W.P. No.6360 of 2015
13	बंबई उच्च न्यायालय, औरंगाबाद	PIL No. 63 of 2021
14	बंबई उच्च न्यायालय, नागपुर	Suo Motu PIL No. 2/2021
15	उच्च न्यायालय आसाम, गौहाटी	PIL No. 30 of 2020
16	उच्च न्यायालय, उत्तराखंड	WP(MS) No. 41/2022
17	उच्च न्यायालय, गुजरात, अहमदाबाद	SCA 6176 No. of 2021
18	उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, जबलपुर बेंच	W.P No. 8880 of 2019
19	उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, जबलपुर बेंच	W.P No. 6968 of 2017; OA. No. 31/2017

क्रमांक	न्यायालय	मुकदमा संख्या
20	उच्च न्यायालय महाराष्ट्र प्रदेश, इंदौर बेंच	W.P. No. 6466 of 2020
21	उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश(तेलंगाना)	W.P. No. 23452 of 2018
22	उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश(तेलंगाना)	W.P. No. 28517 of 2021
23	उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश(तेलंगाना)	W.P.(PIL) No. 181 of 2020
24	आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय	C.C. No. 3306 OF 2018
25	आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय	W.P. No. 19953 of 2023
26	आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय	W.P. No. 889 of 2024
27	उच्च न्यायालय कर्नाटक बेंच, धारवाड	CrI. P. No. 100616 of 2014
28	उच्च न्यायालय कर्नाटक बेंच, धारवाड	CrI. P. No.100618 of 2014
29	उच्च न्यायालय कर्नाटक बेंच, धारवाड	W.P. No.102213 of 2022
30	उच्च न्यायालय कर्नाटक, बैंगलोर	W.P. No. 41532 of 2012
31	उच्च न्यायालय कर्नाटक, बैंगलोर	W.P. No. 5546 of 2019
32	उच्च न्यायालय कर्नाटक, बैंगलोर	W.P. No. 14733 of 2020
33	उच्च न्यायालय कर्नाटक, बैंगलोर	W.P. No. 8579 of 2021
34	उच्च न्यायालय कर्नाटक, बैंगलोर	W.P. No. 17459 of 2022
35	उच्च न्यायालय कर्नाटक, बैंगलोर	W.P. No. 17421 of 2022
36	उच्च न्यायालय कर्नाटक, बैंगलोर	W.P. No. 17427 of 2022
37	उच्च न्यायालय कर्नाटक, बैंगलोर	W.P. No. 17271 of 2022
38	उच्च न्यायालय कर्नाटक, बैंगलोर	W.P. No. 17348 of 2022
39	उच्च न्यायालय कर्नाटक, बैंगलोर	W.P. No. 17234 of 2022
40	उच्च न्यायालय कर्नाटक, बैंगलोर	W.P. No. 20728 of 2022
41	उच्च न्यायालय कर्नाटक, बैंगलोर	W.P. No. 21795 of 2022
42	उच्च न्यायालय कर्नाटक, बैंगलोर	W.P. No. 18400 of 2022
43	उच्च न्यायालय कर्नाटक, बैंगलोर	W.P. No. 22235 of 2022
44	उच्च न्यायालय कर्नाटक, बैंगलोर	W.P. No. 22117 of 2022
45	उच्च न्यायालय कर्नाटक, बैंगलोर	W.P. No. 22111 of 2022
46	उच्च न्यायालय कर्नाटक, बैंगलोर	W.P. No. 22275 of 2022
47	उच्च न्यायालय कर्नाटक, बैंगलोर	W.P. No. 22118 of 2022
48	उच्च न्यायालय कर्नाटक, बैंगलोर	W.P. No. 21862 of 2022
49	उच्च न्यायालय कर्नाटक, बैंगलोर	W.P. No. 21785 of 2022
50	उच्च न्यायालय कर्नाटक, बैंगलोर	W.P. No. 21778 of 2022
51	उच्च न्यायालय कर्नाटक, बैंगलोर	W.P. No. 22080 of 2022
52	उच्च न्यायालय कर्नाटक, बैंगलोर	W.P. No. 11450 of 2022

क्रमांक	न्यायालय	मुकदमा संख्या
53	उच्च न्यायालय कर्नाटक, बैंगलोर	W.P. No. 18480 of 2023
54	उच्च न्यायालय कर्नाटक, बैंगलोर	W.P. No. 18746 of 2023
55	उच्च न्यायालय कर्नाटक, बैंगलोर	W.P. No. 18127 of 2023
56	उच्च न्यायालय कर्नाटक, बैंगलोर	W.P. No. 18209 of 2023
57	उच्च न्यायालय केरल	W.P (Civil) No. 41622 of 2018
58	उच्च न्यायालय केरल	W.P (Civil) No. 41903 of 2018
59	उच्च न्यायालय केरल	W.P (Civil) No. 41976 of 2018
60	उच्च न्यायालय केरल	W.P (Civil) No. 42017 of 2018
61	उच्च न्यायालय केरल	W.P. (Civil) No. 33501 of 2019
62	उच्च न्यायालय केरल	W.P. (Civil) NO. 21048 of 2020
63	उच्च न्यायालय केरल	W.P. No. 19290 of 2023
64	उच्च न्यायालय केरल	W.P. No. 779 of 2024
65	उच्च न्यायालय, मद्रास बेंच, मदुरै	W.P(MD) No. 6608 of 2021
66	उच्च न्यायालय केरल	W.P. No. 24688 of 2021
67	उच्च न्यायालय मद्रास	W.P. No. 24698 of 2021
68	उच्च न्यायालय मद्रास	W.P. No. 24696 of 2021
69	उच्च न्यायालय मद्रास	W.P. No. 24694 of 2021
70	उच्च न्यायालय मद्रास	W.P. No. 24693 of 2021
71	उच्च न्यायालय मद्रास	W.P. No. 24691 of 2021
72	उच्च न्यायालय मद्रास	W.P. No. 24688 of 2021
73	उच्च न्यायालय मद्रास	W.P. No. 26977 of 2021
74	उच्च न्यायालय मद्रास	W.P. No. 26969 of 2021
75	उच्च न्यायालय मद्रास	W.P. No. 26965 of 2021
76	उच्च न्यायालय मद्रास	W.P. No. 26962 of 2021
77	उच्च न्यायालय मद्रास	W.P. No. 26957 of 2021
78	उच्च न्यायालय मद्रास	W.P. No. 26956 of 2021
79	उच्च न्यायालय मद्रास	W.P. No. 26953 of 2021
80	उच्च न्यायालय मद्रास	W.P. No. 26948 of 2021
81	उच्च न्यायालय मद्रास	W.P. No. 26944 of 2021
82	नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल , चेन्नई	Application No. 162 of 2023 (SZ)
83	प्रिंसिपल सिविल जज जे.एम.एफ.सी. धारवाड	C.C. No. 579 of 2012

तालिका 11: निपटाये गये मुकदमों की सूची:

क्रमांक	न्यायालय	मुकदमा संख्या
1	नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल , कोलकाता	O.A. No. 64 of 2020
2	नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ,चेन्नई	Appeal No. 61 to 63 of 2021
3	भारत का सर्वोच्च न्यायालय	Civil Appeal No. 5826-5827 of 2019
4	हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय	CWP . No. 3684 of 2023
5	मद्रास उच्च न्यायालय	W.P. No. 30611 of 2023
6	मद्रास उच्च न्यायालय	W.P. No. 30632 of 2023
7	गुवाहाटी उच्च न्यायालय	PIL No. 62 of 2023
8	दिल्ली उच्च न्यायालय	W.P. (C) IPD No. 26 of 2023
9	नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल , चेन्नई	Appeal No. 54 of 2022(SZ)
10	नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल , नई दिल्ली	OA No. 51 of 2024
11	भारत का सर्वोच्च न्यायालय	W.P. (Civil) No. 852 of 2020
12	दिल्ली उच्च न्यायालय	W.P. No. 7493 of 2022
13	आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय	W.P. No. 3096 of 2023
14	भारत का सर्वोच्च न्यायालय	Civil Appeal No. 9077 of 2019

12.1.2 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण द्वारा प्राप्त आरटीआई आवेदनों और आरटीआई अपीलों पर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुरूप विधि अनुभाग द्वारा अक्षरशः कार्रवाई की गई थी और विधिक अनुभाग की सहायता से केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) अथवा प्रथम अपीलीय प्राधिकरण, जैसा भी मामला हो, द्वारा इनका निपटान किया गया था (तालिका 12)।

तालिका 12: रिपोर्टिंग अवधि के दौरान प्राप्त और निपटाई गई आरटीआई की सूची

क्रमांक	तिमाही	सीपीआईओ द्वारा प्राप्त और निष्पादित कुल आरटीआई आवेदन	प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा प्राप्त और निष्पादित कुल प्रथम अपील
1	प्रथम तिमाही 01.04.2023 to 30.06.2023	19	06
2	द्वितीय तिमाही 01.07.2023 to 30.09.2023	11	02
3	तृतीय तिमाही 01.10.2023 to 31.12.2023	30	04
4	चतुर्थ तिमाही 01.01.2024 to 31.03.2024	41	09
	योग	101	21

आरटीआई नोडल लॉगिन पोर्टल में प्राप्त कुल आरटीआई आवेदन 101 हैं और प्राप्त कुल आरटीआई अपीलों में से 21 को आरटीआई अधिनियम, 2005 के अनुसार समय सीमा के भीतर निपटाया गया।

12.1.3 अनुबंध का प्रारूपण

एबीएस अनुबंधों, समझौता ज्ञापन (एमओयू) और अन्य कानूनी दस्तावेजों सहित समझौतों की कानूनी जांच करना और प्राधिकरण को कानूनी सलाह प्रदान करना कानूनी अनुभाग के अन्य कार्यों में से एक है।

12.2 भारत के 75 रामसर स्थलों के लिए अमृत धरोहर की कार्यान्वयन रणनीति

विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर, एमओईएफसीसी ने भारत के सभी 75 रामसर स्थलों के लिए अमृत धरोहर की कार्यान्वयन रणनीति शुरू की है। यह 4 मुख्य घटकों नामत प्रजाति और पर्यावास संरक्षण, प्रकृति पर्यटन, आर्द्रभूमि आजीविका और आर्द्रभूमि कार्बन पर ध्यान केन्द्रित करता है। इन सभी स्थलों के प्रभावी संरक्षण और प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए, क्षेत्र की पारिस्थितिक प्रोफाइल की समझ होना महत्वपूर्ण है।

एमओईएफसीसी के निर्देशों के अनुसार, एनबीए ने 22 एसबीबी और 2 यूटीबीसी की सहायता से देश भर में 75 रामसर साइटों में और उनके आसपास स्थापित बीएमसी से प्रजातियों से संबंधित जानकारी संकलित की है। एनबीए ने इस राष्ट्रीय अभ्यास की समीक्षा और उसमें तेजी लाने के लिये एसबीबी और यूटीबीसी के साथ चार आभासी बैठकें आयोजित की हैं। देश भर में सभी रामसर स्थलों में और उनके आस-पास स्थित 620 बीएमसी द्वारा 548 पीबीआर में पारिस्थितिकीय प्रोफाइल को अद्यतन किया गया है। तदनंतर, निष्कर्षों का प्रसार करने और रामसर स्थलों के आस-पास जैवविविधता संरक्षण प्रयासों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इन एकत्रित आंकड़ों के आधार पर एक विवरणिका जारी की गई है।

12.3 एसबीबी और यूटीबीसी को एनबीए द्वारा दी गई वित्तीय सहायता

वर्ष 2023-24 के दौरान, एनबीए ने राज्य जैव विविधता बोर्डों और केंद्र शासित प्रदेश जैव विविधता परिषदों को उनके कार्यों और बीएमसी को मजबूत करने, संविदात्मक कर्मचारियों को नियुक्त करने, पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्ट्रों (पीबीआर) के दस्तावेजीकरण/अद्यतन करने, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करने, अधिकारियों और बीएमसी सदस्यों के लिए पीयर टू पीयर लर्निंग और एक्सचेंज विजिट करने के लिए और उनकी वेबसाइट आदि का विकास/सुधार करने हेतु 4,95,36,937/- रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की।

मार्च 2024 के अंत में, पूरे देश में कुल 2,77,688 बीएमसी का गठन किया गया है और 2,68,037 पीबीआर तैयार किए गए हैं (तालिका 13)।

तालिका 13: राज्यवार बीएमसी का गठन और तैयार किये गये पीबीआर

राज्य	(31 मार्च 2024 तक)	
	सभी स्तरों पर गठित बीएमसी की कुल संख्या	सभी स्तरों पर प्रलेखित पीबीआर की कुल संख्या
आंध्र प्रदेश	14157	14157
अरुणाचल प्रदेश	1806	1806
आसाम	2549	2549
बिहार	9101	9101
छत्तीसगढ़	12008	4948
गोवा	205	205
गुजरात	14583	14716
हरियाणा	6444	6444

राज्य	(31 मार्च 2024 तक)	
	सभी स्तरों पर गठित बीएमसी की कुल संख्या	सभी स्तरों पर प्रलेखित पीबीआर की कुल संख्या
हिमाचल प्रदेश	3776	3776
झारखंड	4689	4689
कर्नाटक	6554	6554
केरल	1200	1034
मध्य प्रदेश	23557	23557
महाराष्ट्र	28649	28649
मणिपुर	2260	199
मेघालय	6484	6484
मिजोरम	894	894
नागालैंड	1276	1276
उड़ीसा	7256	7256
पंजाब	13599	13599
राजस्थान	11882	11882
सिक्किम	196	196
तमिल नाडु	13615	13615
तेलंगाना	13461	13461
त्रिपुरा	1264	1264
उत्तर प्रदेश	59407	59407
उत्तराखंड	7991	7991
पश्चिम बंगाल	3830	3830
अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	71	71
चंडीगढ़	1	1
दमन और दीयु	44	44
दिल्ली	1	0
जम्मू और कश्मीर	4658	4366
लद्दाख	195	6
लक्षद्वीप	10	10
	15	0
कुल	277688	268037

12.4. एनबीए द्वारा मनाए गए महत्वपूर्ण कार्यक्रम

12.4.1. जैव विविधता संरक्षण इंटरनशिप कार्यक्रम-बीएसआईपी-IV इंटरन-प्रशिक्षण कार्यक्रम

जैव विविधता संरक्षण इंटरनशिप कार्यक्रम-एनबीए कार्यालय, चेन्नई द्वारा 17 से 21 जुलाई 2023 के दौरान बीएसआईपी-IV इंटरन आयोजित किया गया था।



अध्यक्ष और सचिव, एनबीए जैव विविधता संरक्षण इंटरनशिप कार्यक्रम के साथ – बीएसआईपी प्रशिक्षण कार्यक्रम में चौथी साइकिल इंटरन

12.4.2. स्वतंत्रता दिवस समारोह

एनबीए द्वारा टाइसल बायो पार्क परिसर में भारत का 77 वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस अवसर पर डॉ. ब. बालाजी, आईएफएस, सचिव/एनबीए द्वारा 15 अगस्त 2023 को राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया और उन्होंने संबोधन/भाषण दिया।



एनबीए कार्यालय परिसर में 77वें स्वतंत्रता दिवस का समारोह

12.4.3 20वां स्थापना दिवस

एनबीए ने 20वां स्थापना दिवस मनाया. एनबीए द्वारा अपनाए गए मार्ग का स्मरण किया गया और एनबीए ने 1 अक्टूबर 2023 को एनबीए की भविष्य की गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया।



एनबीए, चेन्नई में 20वें स्थापना दिवस का आयोजन

12.4.4 स्वच्छता भारत अभियान

1 अक्टूबर 2023 को गांधी जयंती के अवसर पर, एनबीए कार्यालय परिसर में स्वच्छता भारत अभियान चलाया गया। एनबीए के अधिकारियों और कर्मचारियों ने एनबीए कार्यालय परिसर में सफाई का काम बड़े पैमाने पर किया। अधिक सामाजिक जिम्मेदारी की दिशा में एक संकेत के रूप में, सीएसआईआर रोड से कचरा एकत्र किया गया था और स्वच्छता अभियान का आम आदमी पर प्रभाव पड़ा था।



एनबीए कार्यालय परिसर में स्वच्छ भारत अभियान

12.4.5 राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ

राष्ट्रीय एकता दिवस हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, जो हमारे देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता को संरक्षित और मजबूत करने के लिए हमारे समर्पण को सुदृढ़ करने का कार्य करता है। यह स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय

एकीकरण के वास्तुकार सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष, “मेरी माटी मेरा देश” अभियान के हिस्से के रूप में, जिसका उद्देश्य बहादुर स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करना है जिन्होंने हमारी स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, और जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय एकता की भावना का संदेश फैलाना है। यह प्रतिज्ञा एनबीए के सभी अधिकारियों द्वारा 31 अक्टूबर 2023 को ली गई थी।



राष्ट्रीय एकता दिवस के लिए एनबीए कर्मचारी संकल्प लेते हुए

12.4.6 सतर्कता जागरूकता सप्ताह

सतर्कता जागरूकता सप्ताह भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में केंद्रीय सतर्कता आयोग की भागीदारी सतर्कता पहलों में से एक है। यह एक जागरूकता निर्माण और आउटरीच उपाय है जिसका उद्देश्य सभी हितधारकों को एक साथ लाना है। यह शासन और लोक प्रशासन में नैतिकता और पारदर्शिता की आवश्यकता के बारे में अधिक संवेदनशीलता पैदा करने के लिए मनाया गया है। 2023 में, एनबीए द्वारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह “भ्रष्टाचार को ना कहें: 30 अक्टूबर से 5 नवंबर 2023 के दौरान राष्ट्र के लिए प्रतिबद्धता। यह शपथ एनबीए के सभी अधिकारियों ने ली थी।



सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अवसर पर शपथ लेते हुए एनबीए कर्मचारी

12.4.7 संविधान दिवस

संविधान दिवस जिसे “संविधान दिवस” के रूप में भी जाना जाता है, हमारे देश में हर साल 26 नवंबर को भारत के संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को, भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया, जो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने के भारत सरकार के निर्णय को 19 नवंबर 2015 को अधिसूचित किया। यह प्रतिज्ञा एनबीए के सभी अधिकारियों द्वारा 26 नवंबर 2023 को ली गई थी।



संविधान दिवस के अवसर पर शपथ लेते हुए एनबीए के कर्मचारी

12.4.8 वीआईटी विश्वविद्यालय के शिक्षकों और छात्रों को जैव विविधता अधिनियम पर जागरूकता

एनबीए ने 10 मार्च 2024 को वीआईटी विश्वविद्यालय के संकाय और छात्रों के लिए जैविक विविधता अधिनियम पर अभिविन्यास कार्यक्रम का आयोजन किया।



वीआईटी विश्वविद्यालय के संकाय और छात्रों के लिए जैविक विविधता अधिनियम पर अभिविन्यास कार्यक्रम

12.5. एनबीए/चेन्नई में राजभाषा कार्यान्वयन की गतिविधियां

एनबीए एक संरचना के माध्यम से अपना अधिदेश प्रदान करता है जिसमें प्राधिकरण, सचिवालय, एसबीबी, बीएमसी और विशेषज्ञ समितियां शामिल हैं। इसके अलावा, एनबीए चेन्नई में स्थित सभी केंद्र सरकार के कार्यालयों की तरह राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी नियमों/दिशानिर्देशों के अंतर्गत अपेक्षित वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करने की मंशा भी रखता है। वर्ष 2023-24 के दौरान की गई गतिविधियों का सारांश निम्नलिखित है।

12.5.1. राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठकों का आयोजन

भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए एनबीए में एक राजभाषा कार्यान्वयन समिति (रा.भा.का.स.) का गठन किया गया है। इसकी बैठकें प्रत्येक तिमाही में आयोजित की जाती हैं और बैठकों में लिए गए निर्णयों पर सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं। इसके कार्यवृत्त को सभी अनुभागों में सूचनार्थ और आवश्यक कार्रवाई के लिए परिचालित किया जाता है और इसकी प्रतिलिपि राजभाषा प्रभागधर्यावरण एवं वन मंत्रालय/नई दिल्ली को सूचनार्थ भेजी जाती है। वर्ष 2023-24 के दौरान आयोजित बैठकों की तिथियां तालिका 14 में दी गई हैं—

तालिका 14: वर्ष 2023-24 के दौरान आयोजित बैठकें

क्रमांक	को समाप्त तिमाही	बैठकों की तारीखें	भाग लेने वाले अधिकारियों / कर्मचारियों की संख्या
1	30.06.2023	17.08.2023	05
2	30.09.2023	03.11.2023	06
3	31.12.2023	09.02.2024	06
4	31.03.2024	29.04.2024	07

12.5.2. राजभाषा प्रभाग, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को प्रस्तुत करने के लिये और राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार को ऑनलाइन प्रस्तुत करने के लिये हिंदी की तिमाही प्रगति रिपोर्ट

प्रत्येक तिमाही में हिंदी के प्रगामी उपयोग की तिमाही प्रगति रिपोर्ट तैयार की गई और निर्धारित अवधि के भीतर राजभाषा प्रभाग, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भेजी गई। रिपोर्ट राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय और भारत सरकार को ऑनलाइन भी भेजी गई थी जिसे तालिका 15 में दिया गया है —

तालिका 15: तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना

को समाप्त तिमाही की रिपोर्ट	रिपोर्ट भेजने की तारीख	राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय भारत सरकार को ऑन लाइन रिपोर्ट भेजने की तारीख
30.06.2023	14.07.2023	17.07.2023
30.09.2023	17.10.2023	17.10.2023
31.12.2023	19.01.2024	25.01.2024
31.03.2024	15.04.2024	22.04.2024

12.5.3. वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट:

राजभाषा हिंदी के प्रयोग की वर्ष 2023-24 की वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट 25.04.2024 को राजभाषा प्रभाग/पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भेजी गई थी।

12.5.4. अर्ध वार्षिक रिपोर्ट:

जनवरी-जून 2023 की अवधि के लिए हिंदी के प्रयोग की अर्धवार्षिक रिपोर्ट 5.10.2023 को और जुलाई-दिसंबर 2023 की अवधि के लिए अर्धवार्षिक रिपोर्ट 28.02.2024 को सदस्य सचिव, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, दक्षिण रेलवे, चेन्नई-600003 के कार्यालय को भेजी गई थी।

12.5.5. अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट:

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की दिनांक 20.06.2023 को आयोजित हिंदी सलाहकार समिति की बैठक में लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट 06.09.2023 को मंत्रालय भेजी गई थी और 20.12.2023 को आयोजित पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक में लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई की रिपोर्ट 11.03.2024 को राजभाषा प्रभाग पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भेजी गई थी।

12.5.6. हिंदी कार्यशाला का आयोजन:

राजभाषा मंत्रालय/गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में किए गए प्रावधानों के अनुसार, कर्मचारियों को अपने कार्यालयीन कार्य में हिंदी में करने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिये दिनांक 11.09.2023 को एक हिंदी कार्यशाला आयोजित की गई।

12.5.7. हिंदी पखवाड़ा का आयोजन:

वार्षिक कार्यक्रम में किए गए प्रावधानों के अनुसार और राजभाषा प्रभाग पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के निर्देशानुसार, एनबीए में 11.09.2023 से 22.09.2023 तक हिंदी पखवाड़ा का आयोजन बड़े उत्साह के साथ किया गया था और कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए अनेकों प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था तथा श्री सी. अचलेन्दर रेड्डी/अध्यक्ष/एनबीए की अध्यक्षता में 22.09.2023 को आयोजित समारोह में विजेताओं को पुरस्कार दिए गए।



12.5.8. सेवाकालीन हिंदी प्रशिक्षण:

जुलाई-नवंबर 2023 सत्र में हिंदी प्रवीण पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण के लिए नामित किए गए श्री आर. रमेश/अध्यक्ष के निजी सचिव और श्री के सिद्धरसु/सलाहकार(विधि) ने प्रवीण परीक्षा उत्तीर्ण की थी। इसके अलावा, उन दोनों को जनवरी-मई 2024 सत्र में प्राज्ञ पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण के लिए नामित किया गया है। वे जनवरी-मई 2024 सत्र में प्रशिक्षण में भाग ले रहे हैं।

12.5.9. राजभाषा प्रभाग, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की बैठकों में प्रतिभागिता:

डा. ब. बालाजी, सचिव/एनबीए ने माननीय मंत्री- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अध्यक्षता में 20.06.2023 को आयोजित हिंदी सलाहकार समिति की बैठक में भाग लिया था। इसके बाद डॉ. के.पी. रघुराम/तकनीकी अधिकारी(बीएस)/एनबीए ने अध्यक्ष एनबीए की ओर से दिनांक 20.12.2023 को माननीय राज्यमंत्री, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अध्यक्षता में आयोजित हिंदी सलाहकार समिति की बैठक में भाग लिया था।

12.5.10. हिंदी-अंग्रेजी-हिंदी अनुवाद कार्य:

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के विभिन्न कागजातों का अनुवाद समय-समय पर किया जाता है और धारा 3(3) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है। इसके अलावा तात्कालिक प्रकृति और नियमित प्रकृति के विभिन्न दस्तावेज जैसे एनबीए की वार्षिक रिपोर्टें, अन्य रिपोर्टें, जन शिकायतें, जन सूचना अधिकार 2005 के अंतर्गत हिंदी में प्राप्त विभिन्न पत्र, समय-समय पर एसबीबी से प्राप्त पत्र आदि शामिल हैं, का अनुवाद एक आउटसोर्स प्रशासन कर्मचारी द्वारा किया जाता है।

12.5.11. एनबीए कर्मचारी ने हिंदी निबंध लेखन प्रतियोगिता में पुरस्कार जीता:

सुश्री आर. दिव्या/युवा पेशेवर ने नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास), चेन्नई द्वारा 17.08.2023 को आयोजित हिंदी निबंध लेखन प्रतियोगिता में द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया था। उन्होंने महाप्रबंधक/दक्षिण रेलवे/चेन्नई की अध्यक्षता में 31.08.2023 को आयोजित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में पुरस्कार प्राप्त किया।



नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में हिंदी निबंध लेखन प्रतियोगिता के लिए पुरस्कार प्राप्त करती सुश्री दिव्या

12.6. परियोजनाएं/कार्यक्रम

कुनमिंग-मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क (केएमजीबीएफ) के साथ संरेखण में राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना (एनबीएसएपी) के अद्यतन और राष्ट्रीय जैव विविधता लक्ष्यों (एनबीटी) को अपनाने पर राष्ट्रीय और क्षेत्रीय परामर्श बैठकों पर अद्यतन जानकारी।

जैव विविधता कन्वेंशन (CBD) में दो अनिवार्य अयोग्य दायित्वों को शामिल किया गया है, अर्थात्, अनुच्छेद 6 के तहत राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना (NBSAP) की तैयारी, और अनुच्छेद 26 के तहत राष्ट्रीय रिपोर्ट। एनबीएसएपी राष्ट्रीय स्तर पर कन्वेंशन को लागू करने का मुख्य साधन है। कुनमिंग-मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क (KM-GBF) को अपनाने के बाद, CBD, MoEFCC के COP-15 में O.M.F.NO.C-12023/2/2023-CS के माध्यम से। III (जैव विविधता) प्रभाग दिनांक 29.03.2023 ने राष्ट्रव्यापी परामर्श प्रक्रिया के बाद KMGBF लक्ष्यों और लक्ष्यों के साथ संरेखण में भारत के NBSAP को अद्यतन करने की इच्छा व्यक्त की।

अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में, एनबीएसएपी के अद्यतन और एनबीटी को अपनाने पर एक राष्ट्रीय परामर्श बैठक 28-29 नवंबर 2023 को आईएनएसए, नई दिल्ली में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) और बायोटेक कंसोर्टियम इंडिया लिमिटेड (बीसीआईएल) के सहयोग से आयोजित की गई थी। परामर्श में विभिन्न विभागों, केंद्र सरकार के मंत्रालयों / विभागों, एसबीबी / यूटीबीसी, एनबीएसएपी के कार्यकारी समूह के सदस्यों, विषय विशेषज्ञ / पर्यवेक्षकों, राष्ट्रीय और सुपर-राष्ट्रीय संगठनों, एनबीए के गैर-आधिकारिक सदस्यों, समुदाय के नेतृत्व वाले समूहों, निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों, उद्यमियों और युवा पेशेवरों के 152 प्रतिभागियों ने भाग लिया।



28-29 नवंबर 2023 को आईएनएसए, नई दिल्ली में आयोजित एनबीएसएपी के अपडेशन और एनबीटी को अपनाने से संबंधित राष्ट्रीय परामर्श बैठक में गणमान्य व्यक्ति

विभिन्न हितधारकों की गहन राज्य-स्तरीय और जमीनी स्तर की भागीदारी सुनिश्चित करने और देश में एनबीटी को प्राप्त करने के लिए कार्यान्वयन के साधनों (योजनाओं/कार्यक्रमों के साथ उनके बजट के साथ) पर चर्चा करने के उद्देश्य से, सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की जैव विविधता परिषदों (यूटीबीसी) को शामिल करते हुए क्षेत्रीय परामर्श बैठकें आयोजित की गईं।



28-29 नवंबर 2023 को आईएनएसए, नई दिल्ली में आयोजित एनबीएसएपी के अद्यतनीकरण और एनबीटी को अपनाने पर राष्ट्रीय परामर्श बैठक में गणमान्य व्यक्ति और प्रतिनिधि

एनबीएसएपी के अद्यतनीकरण और केएमजीबीएफ के साथ संरेखण में एनबीटी को अपनाने पर पहला क्षेत्रीय परामर्श 9-10 जनवरी, 2024 को नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च (NALSAR), हैदराबाद में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और बायोटेक कंसोर्टियम इंडिया लिमिटेड (BCIL) के सहयोग से राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया था। परामर्श में विभिन्न विभागों (केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों, एसबीबी/यूटीबीसी, एनबीएसएपी के कार्य समूह के सदस्यों, विषय विशेषज्ञ/पर्यवेक्षकों, संस्थानों, तेलंगाना एसबीबी विशेषज्ञ सदस्य/एनबीए के पदेन सदस्यों, निजी क्षेत्र, युवा संगठन के प्रतिनिधि और छात्रों, किसानों (जैविक कृषि में अनुभवी) के 133 प्रतिभागियों ने भाग लिया।



एनबीएसएपी के अद्यतनीकरण पर प्रथम क्षेत्रीय परामर्श में प्रतिनिधि और KMGBF के साथ संरेखण में NBT का अनुकूलन 9-10 जनवरी, 2024 को नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च (NALSAR), हैदराबाद में आयोजित किया गया था

एनबीएसएपी के अद्यतन और कुनिमिंग-मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क (KMGBF) के साथ संरेखण में एनबीटी के अनुकूलन पर दूसरा क्षेत्रीय परामर्श 6-7 फरवरी, 2024 को IORA, द रिट्रीट, काजीरंगा नेशनल पार्क, कोहोरा, असम में एमओईएफसीसी के मार्गदर्शन में यूएनडीपी और बीसीआईएल के सहयोग से एनबीए द्वारा आयोजित किया गया था, परामर्श में विभिन्न विभागों (केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों, एसबीबी/बीएमसी, एनबीएसएपी के कार्यकारी समूह के



6-7 फरवरी, 2024 को काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, कोहोरा, असम में आयोजित एनबीएसएपी के अद्यतन और कुनिमिंग-मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क (केएमजीबीएफ) के साथ संरेखण में एनबीटी के अनुकूलन पर दूसरे क्षेत्रीय परामर्श में प्रतिनिधि



श्री. अचलेंद्र रेड्डी, आईएफएस (आर), अध्यक्ष, एनबीए 6-7 फरवरी, 2024 को काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, कोहोरा, असम में आयोजित कुनिमिंग-मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क (KMGBF) के साथ संरेखण में एनबीटी के अनुकूलन पर दूसरे क्षेत्रीय परामर्श में प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए

सदस्यों, विशेष आमंत्रितों, संस्थानों, एनबीए के पदेन सदस्यों और अन्य आमंत्रितों के 77 प्रतिभागियों ने भाग लिया। बैठक में भारत में ओईसीएम की मान्यता और रिपोर्टिंग से संबंधित प्रक्रियाओं और आगे के रास्ते पर भी चर्चा की गई।

एनबीएसएपी के अपडेशन और केएमजीबीएफ के साथ संरेखण में एनबीटी के अनुकूलन पर तीसरी क्षेत्रीय परामर्श बैठक 26-27, फरवरी, 2024 को आईआईएफएम, भोपाल में एनबीए और एमओईएफसीसी के मार्गदर्शन में यूएनडीपी और बीसीआईएल के सहयोग से आयोजित की गई थी। इस विचार-विमर्श में विभिन्न विभागों, केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों, एसबीबी/पीसीसीएफ/बीएमसी, एनबीएसएपी के कार्यकारी समूह के सदस्यों, विशेष आमंत्रित लोगों, संस्थानों, एनबीए के पदेन सदस्यों और अन्य आमंत्रितों के 90 प्रतिभागियों ने भाग लिया।



आईआईएफएम, भोपाल में 26-27 फरवरी, 2024 को आयोजित केएमजीएफ के साथ संरेखण में एनबीएसएपी के अपडेशन और एनबीटी को अपनाने पर तीसरी क्षेत्रीय परामर्श बैठक में प्रतिनिधि

15 मार्च, 2024 को एक अंतर-मंत्रालयी परामर्श बैठक आयोजित की गई और उसके बाद 21 मार्च, 2024 को वर्चुअल मोड के माध्यम से एक अंतर-मंत्रालयी परामर्श बैठक आयोजित की गई।

राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और मंत्री-स्तरीय परामर्श बैठकों में केएमजीएफ के राष्ट्रीयकरण, राष्ट्रीय लक्ष्यों, कार्रवाई योग्य बिंदुओं, निगरानी ढांचे और कार्यान्वयन के साधनों (योजनाओं/कार्यक्रमों के साथ-साथ उनके बजट) को अपनाने पर चर्चा की गई। केएमजीबीएफ के अनुरूप एनबीएसएपी को अद्यतन करने और एनबीटी को अपनाने के लिए इन परामर्शों से प्राप्त इनपुट को समेकित करने के लिए आगे का कार्य प्रगति पर है।

12.7. राज्य जैव विविधता बोर्डों की गतिविधियां

12.7.1 आंध्र प्रदेश

वर्ष के दौरान एपीएसबीबी द्वारा एक बोर्ड बैठक आयोजित की गई थी। आईडीबी 2023 कार्यक्रम के दौरान “आंध्र प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड की सफलता की कहानियां” पर एक पोस्टर, आंध्र प्रदेश, भारत के पूर्वी घाटों के पेट्रोकॉर्पस सेंटालिनस स्थानिक और संकटग्रस्त पौधे पर एक ब्रोशर और “आंध्र प्रदेश के कृषि-बागवानी फसल आनुवंशिक संसाधनों की चेकलिस्ट” पर एक पुस्तक प्रकाशित की। आंध्र प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड ने 23 व्यक्तियों/संगठनों का चयन किया है जो आंध्र प्रदेश में जागरूकता पैदा करने और विभिन्न संरक्षण संबंधी गतिविधियों के माध्यम से जैव विविधता के कारण योगदान दे रहे हैं और आंध्र प्रदेश जैव विविधता संरक्षक पुरस्कार 2023 प्रदान किए हैं।



गणमान्य व्यक्तियों द्वारा पोस्टर जारी किया जाना



आईडीबी-2023 पुरस्कार पाने वाले

12.7.2 अरुणाचल प्रदेश

वर्ष के दौरान एक बोर्ड बैठक आयोजित की गई थी। दो जैव विविधता विरासत स्थलों (बीएचएस) को अधिसूचित किया गया है अर्थात् ल्यागो जैव विविधता विरासत स्थल और कमचो याम (थुंगी गोंपू) जैव विविधता विरासत स्थल। ईटानगर शहर जैव विविधता सूचकांक तैयार और जारी किया गया था। बोर्ड ने जीबी पंत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरनमेंट, नॉर्थ-ईस्ट रीजनल सेंटर के सहयोग से आईडीबी 2023 मनाया है। आईडीबी उत्सव के एक भाग के रूप में, ईटानगर जूलॉजिकल पार्क में



अरुणाचल प्रदेश एसबीबी द्वारा आईडीबी 2023, प्रकृति की सैर



एसबीएसएपी के लिए जिला स्तरीय परामर्श कार्यशाला

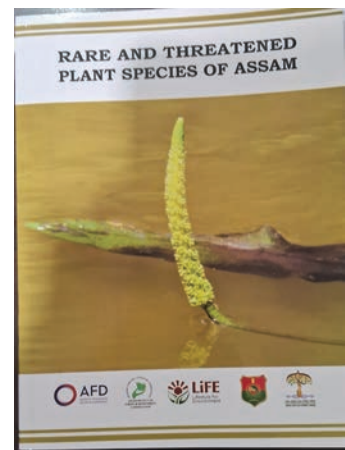
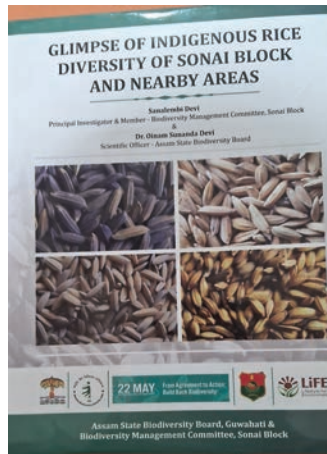
“ईटानगर बायोडायवर्सिटी वॉक” नामक एक प्रकृति सीखने की जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। एसबीएसएपी के लिए जिला स्तरीय परामर्श कार्यशाला अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों में आयोजित की गई थी।

12.7.3 असम

असम एसबीबी ने “असम की दुर्लभ और संकटग्रस्त पौधों की प्रजातियां” और पश्वदेशी चावल की झलक और सोनाई ब्लॉक और आसपास के क्षेत्रों की विविधता पर एक पुस्तिका प्रकाशित की। 2024 के लिए एशियाई जल पक्षी जनगणना असम वन विभाग के सहयोग से असम के सात चयनित आर्द्रभूमि में आयोजित की गई है। कुछ प्रस्तावित बीएसएस के मूल्यांकन और साइट सर्वेक्षण के लिए तीन दिवसीय हितधारकों की बैठक आयोजित की गई थी। विभिन्न जिलों में टीएसजी, बीएमसी के लिए जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई। आईडीबी उत्सव के एक भाग के रूप में, बीएमसी से जुड़ी विभिन्न गतिविधियां जैसे औषधीय पौधों का रोपण, चयनित जल निकायों और गांवों में स्वच्छता अभियान, राज्य भर में जागरूकता सृजन कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।



असम एसबीबी द्वारा प्रशिक्षण सह जागरूकता कार्यक्रम



पुस्तिकाएं

12.7.4 बिहार



वर्ष के दौरान एक बोर्ड बैठक आयोजित की गई थी। कुनमिंग-मांट्रियल प्रोटोकॉल के अनुरूप राज्य जैवविविधता कार्य योजना तैयार करने का कार्य शुरू कर दिया गया है। आईडीबी 2023 बोर्ड द्वारा मनाया गया था। हेरिटेज ट्री फिजिकल



बिहार एसबीबी द्वारा बीएमसी के अध्यक्ष और सदस्य सचिवों और छात्रों के लिए विरासत वृक्ष भौतिक सत्यापन प्रशिक्षण कार्यक्रम वेरिफिकेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बीएमसी के अध्यक्ष और सदस्य सचिवों के लिए और मेरिलाइफ कार्यक्रम के तहत पीबीआर अपडेशन पर छात्रों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

12.7.5 छत्तीसगढ़

बोर्ड ने 22 मई 2023 को आईडीबी 2023 मनाया है। बोर्ड ने पीबीआर की तैयारी के लिए एक प्रशिक्षणध्जागरुकता कार्यशाला का आयोजन किया है। कुल 11 पुरस्कार (4 व्यक्ति, 6 संस्थान और 1 बीएमसी) 4 श्रेणियों के तहत प्रदान किए गए, (1) जंगली प्रजातियों और घरेलू प्रजातियों का संरक्षण, (2) जैव-संसाधनों का सतत उपयोग, (3) जातीय, सांस्कृतिक और जैव विविधता का विरासत संरक्षण (4) सर्वश्रेष्ठ जैव विविधता प्रबंधन समिति।

12.7.6 गोवा

वर्ष के दौरान एक बोर्ड बैठक आयोजित की गई थी। गोवा एसबीबी ने 10 फरवरी 2024 को इंस्टीट्यूट मेनेजेस ब्रगांजा-पणजी गोवा में आईडीबी 2023, विश्व आर्द्रभूमि दिवस और युवा जागृति प्री-आईडीबी 2024 समारोह मनाया। जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में कार्य के लिए संबंधित व्यक्तियों को विभिन्न श्रेणियों के पुरस्कार दिए जाते हैं। गोवा के सदस्य सचिव जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन निधि के लिए राज्य स्तरीय संचालन समिति के लिए और लाइफ मिशन के तहत गतिविधियों को पूरा करने के लिए 'नोडल अधिकारी' हैं। गोवा एसबीबी ने मानव वन्यजीव संघर्ष शमन पर बीएमसी और आम जनता के लिए प्रशिक्षण व्याख्यान का आयोजन किया। गोवा एसबीबी ने राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायत राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर) – भारत के सहयोग से चयनित बीएमसी अध्यक्षों और सचिवों के लिए जैविक विविधता अधिनियम के कार्यान्वयन के संदर्भ में पंचायत स्तर पर जैव विविधता के सतत उपयोग और संरक्षण पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया मिशन लाइफ को बढ़ावा देने के लिए विश्व पर्यावरण दिवस और विश्व साइकिल दिवस मनाने के लिए साइकिल रैली (साइक्लोथॉन) का आयोजन किया गया था। विश्व मैंग्रोव दिवस के उत्सव के दौरान, "मैंग्रोवरू द गार्जियंस ऑफ अवर कोस्ट" पर एक प्रकाशन जारी किया गया था।

12.7.7 गुजरात

वर्ष के दौरान एक बोर्ड बैठक आयोजित की गई थी। आईडीबी 2023 के अवसर पर बीएमसी सदस्यों, स्थानीय समुदायों और संबंधित विभागों के लिए एक दिवसीय राज्य स्तरीय संगोष्ठी, वृक्षारोपण कार्यक्रम, जंगली अनाज की 25 किस्मों पर प्रदर्शनी, पौधों का वितरण किया गया। रामसर स्थल के निकट बीएमसी के सदस्यों की सहायता से बोर्ड द्वारा एशियाई जल पक्षी गणना आयोजित की गई।

12.7.8 हरियाणा

वर्ष के दौरान बोर्ड द्वारा दो बोर्ड बैठकें आयोजित की गईं। आईडीबी 2023 के समारोह के दौरान हरियाणा के प्रत्येक जिले में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। आईडीबी उत्सव के एक भाग के रूप में निबंध, प्रश्नोत्तरी, चित्रकला आदि जैसी विभिन्न प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। हरियाणा एसबीबी ने तकनीकी सहायता समूहों की मदद से हरियाणा के विभिन्न जिलों में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया। हरियाणा एसबीबी ने एशियाई जल-पक्षी जनगणना आयोजित की।

12.7.9 हिमाचल प्रदेश

वर्ष के दौरान एक बोर्ड बैठक आयोजित की गई थी। यह अधिसूचना प्रभागीय वन अधिकारियों को बीडी एक्ट 2002 के तहत मंजूरी देने के लिए शक्तियों के प्रत्यायोजन के लिए जारी की गई थी। बीएमसी के गठन, बीएमसी की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों और पीबीआर की तैयारी की प्रक्रिया पर ग्राम पंचायत सचिवों और पंचायत निरीक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। बीएमसी सदस्यों और प्रगतिशील किसानों के लिए खेती, वैज्ञानिक कटाई, कटाई के बाद की हैंडलिंग और जैव संसाधनों के मूल्य संवर्धन के माध्यम से संरक्षण पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे।

12.7.10 झारखंड

वर्ष के दौरान, बोर्ड की एक बैठक आयोजित की गई थी। कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क पर पत्रक, "जैव विविधता – पृथ्वी पर जीवन की विविधता" पर पुस्तिका बोर्ड द्वारा प्रकाशित की गई थी। आईडीबी 2023 के उत्सव के दौरान, एबीएस और मिशन लाइफ पर वृत्तचित्र जारी किया गया था। विभिन्न प्रतियोगिताओं में लगभग 2300 छात्रों ने भाग लिया, जिनमें से 87 विजेताओं को सम्मानित किया गया। कलाकारों के दो समूहों द्वारा जंगल की आग और जैव विविधता संरक्षण के बारे में नुक्कड़-नाटक संदेश दिया गया ताकि भूमिगत मूल्यवान औषधीय पौधों के कंदों को नष्ट होने से बचाया जा सके। बोर्ड ने बीएमसी सदस्यों के लिए लगभग 411 प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए हैं। बोर्ड ने सरकारी स्कूल परिसर में एक औषधीय पादप उद्यान की स्थापना की है।

12.7.11 कर्नाटक

वर्ष के दौरान एक बोर्ड बैठक आयोजित की गई थी। ग्रामीण विकास और पंचायत राज विभाग के सहयोग से, केबीबी ने पंचायतों के सभी स्तरों पर आईडीबी 2023 मनाया था। केबीबी द्वारा बीएमसी, फ्रंटलाइन वन कर्मचारियों, स्थानीय समुदायों और कॉलेज और स्कूल के छात्रों के लिए 15 जागरूकता / प्रशिक्षण कार्यक्रम / कार्यशालाएं आयोजित की गईं। जैव विविधता संरक्षण और इसके घटकों के सतत उपयोग में योगदान के लिए, एसबीबी ने जैव विविधता पुरस्कार अर्थात जैव विविधता संरक्षण, सर्वश्रेष्ठ बीएमसी और पारंपरिक-जैविक खेती की स्थापना की है।

12.7.12 केरल

रिपोर्टिंग अवधि के दौरान दो बोर्ड बैठकें आयोजित की गईं। केरल एसबीबी ने स्थानीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना तैयार करने के लिए 2.00 लाख रुपये/बीएमसी देकर 25 बीएमसी का समर्थन किया। इसके अलावा, केएम-जीबीएफ और एनबीटी 2023 के साथ संरक्षण में केरल एसबीबी द्वारा तैयार की गई कार्यप्रणाली और दिशानिर्देशों से परिचित होने के लिए 25 बीएमसी के लिए एक राज्य स्तरीय अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया है। केरल एसबीबी द्वारा निर्मित “बेहतर भविष्य के लिए जैव विविधता संरक्षण” नामक एक वीडियो वृत्तचित्र ने केरल सरकार द्वारा स्थापित सर्वश्रेष्ठ वीडियो वृत्तचित्र पुरस्कार प्राप्त किया है। सभी 14 जिलों में जिला स्तरीय बाल जैव विविधता सम्मेलन (सीबीसी) आयोजित किया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 के उत्सव को चिह्नित करने के लिए, बोर्ड द्वारा दुर्लभ और संकटग्रस्त पौधों के रोपण और संरक्षण की गतिविधियाँ की गई हैं। राज्य भर में पंजीकृत जैव विविधता क्लबों को मजबूत करने के लिए, बोर्ड ने कई कार्यक्रम आयोजित किए हैं। बोर्ड ने विश्व ओजोन दिवस और आर्द्रभूमि दिवस मनाया है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, विश्व जल दिवस और विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाने के लिए वेबिनार श्रृंखला का आयोजन किया गया है। केरल एसबीबी ने चित्तूर गवर्नमेंट कॉलेज का “ग्रीन कैम्पस ऑडिट” आयोजित किया है और अपशिष्ट प्रबंधन, वनस्पतियों और जीवों, ऊर्जा उपयोग और परिसर के ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन की मौजूदा प्रथाओं को दर्ज किया है। बोर्ड ने मानसून बाढ़ मैदान मात्स्यिकी के दौरान प्रवासी मछलियों के संरक्षण के लिए परियोजना को लागू किया है और इस तरह नदियों, आईटी सहायक नदियों और संबद्ध जल निकायों में उनकी आबादी में वृद्धि हुई है।

12.7.13 मध्य प्रदेश

वर्ष के दौरान एक बोर्ड बैठक आयोजित की गई थी। बोर्ड द्वारा मध्यप्रदेश राज्य जैव विविधता रणनीति एवं कार्य योजना (एसबीएसएपी) 2018–2030 तैयार की गई है। अब तक, 23577 बीएमसी का गठन किया गया है और सभी बीएमसी में पीबीआर तैयार किए गए हैं। बोर्ड द्वारा मध्य प्रदेश के लाल सूचीबद्ध औषधीय वृक्ष (आरएलएमटी) और आर्द्र भूमि भोपाल की तितलियों पर एक सचित्र मार्गदर्शिका प्रकाशित की गई थी। स्कूल, कॉलेज और बीएमसी स्तर पर मिशन लाइफ जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जैव विविधता संरक्षकों को सम्मानित करने के लिए वार्षिक राज्य जैव विविधता पुरस्कार शुरू किए गए हैं। बोर्ड ने हरित भारत मिशन के अंतर्गत आईआईएसईआर, कोलकाता के सहयोग से जैव विविधता और पारितंत्र सेवाओं की दीर्घकालिक मॉनीटरिंग के लिए जैवविविधता मॉनीटरिंग प्रोटोकॉल विकसित किया है। बोर्ड ने गौरैया संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कृत्रिम घोंसले के बक्से वितरित किए हैं। बोर्ड ने राज्य और जिला स्तर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन करके आईडीबी 2023 का आयोजन किया है।

12.7.14 महाराष्ट्र

बोर्ड ने स्थानीय स्व-सरकार और जैव विविधता विरासत स्थलों के लिए ब्रोशर प्रकाशित किए। बोर्ड ने प्रकृति, वन, पर्यावरण और जैव विविधता के संरक्षण के महत्व पर जन जागरूकता पैदा करने के लिए बर्ड्स ऑफ विदर्भ सोसाइटी और शैक्षणिक संस्थान के सहयोग से प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया। महाराष्ट्र एसबीबी ने वन विभाग की मदद से 11 जल निकायों पर जलपक्षियों की गणना की है। महाराष्ट्र एसबीबी ने छह सामुदायिक नेताओं के साथ भारतीय जैव-सामाजिक अनुसंधान एवं विकास संस्थान द्वारा आयोजित प्रशिक्षण सह एक्सपोजर प्रदर्शनी में भाग लिया है और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से एनटीएफपी और जैव विविधता पुरस्कारों के संरक्षण के लिए छह पुरस्कार प्राप्त किए हैं।

12.7.15 मणिपुर

वर्ष के दौरान एक बोर्ड बैठक आयोजित की गई थी। मणिपुर के वन विभाग के वन्यजीव विंग के सहयोग से आईडीबी 2023 और वन्यजीव सप्ताह के उत्सव के दौरान बोर्ड द्वारा विभिन्न प्रतियोगिताओं/गतिविधियों का आयोजन किया गया।

12.7.16 मेघालय

वर्ष के दौरान बोर्ड की दो बैठक आयोजित की गई थीं। जैव विविधता पर तीन पोस्टर अर्थातय मेघालय में आर्थिक मूल्य की घास की प्रजातियां, खासी और जयंतिया पहाड़ियों के जंगली खाद्य और मेघालय से वर्णित कुछ नई कशेरुक जीव प्रजातियां और मेघालय की जैव विविधता विरासत स्थल पर ब्रोशर आईडीबी 2023 के अवसर पर जारी किया गया था। बीएमसी के प्रचालन, पीबीआर के उन्नयन और राज्य में एबीएस के कार्यान्वयन के लिए मेघालय के विभिन्न जिलों/ब्लॉकों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। एशियाई जल-पक्षी जनगणना उमियम झील के आर्द्रभूमि क्षेत्रों में आयोजित की गई थी। तीसरा जनजाति गौरव दिवस मेघालय एसबीबी द्वारा वन मिलियन लीडर्स एशिया (ओएमएलएस) के सहयोग से मावफलांग सेक्रेड ग्रोव्स में कॉलेज के छात्रों को शामिल करके आयोजित किया गया था। पूरे भारत में पोषण संबंधी समझ को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बीएमसी सदस्यों और अन्य सामुदायिक नेताओं को शामिल करके नॉर्थ ईस्ट स्लो फूड एंड एग्रोबायोडायवर्सिटी सोसाइटी (एनईएसएफएस) के सहयोग से राष्ट्रीय पाषाण माह मनाया गया।



मेघालय एसबीबी द्वारा तीसरा जनजाति गौरव दिवस समारोह

12.7.17 मिजोरम

वर्ष के दौरान एक बोर्ड बैठक आयोजित की गई थी। आईडीबी 2023 22 मई 2023 को आईएसई (इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज इन एजुकेशन) में मनाया गया। समारोह के लिए आईएसई और बीएमसी के 20 गांवों के छात्रों/प्रशिक्षुओं को आमंत्रित किया गया था। आईडीबी-2023 के समारोहों के तहत "सिटी क्लीन अप ड्राइव", "रिवर क्लीन अप ड्राइव", "वृक्षारोपण अभियान", पेंटिंग प्रतियोगिता और जैव विविधता प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की गई। पीयर-टू-पीयर लर्निंग प्रोग्राम के तहत असम एसबीबी (20- 25 नवंबर, 2023), मेघालय एसबीबी (29 जनवरी से 3 फरवरी, 2024) और सिक्किम एसबीबी (27 फरवरी - 7 मार्च, 2024) का दौरा किया। मिजोरम एसबीबी ने चयनित बीएमसी के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण सह जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया था।



मिजोरम एसबीबी द्वारा आईडीबी समारोह का आयोजन

12.7.18. नागालैंड

बोर्ड की एक बैठक आयोजित की गई थी। मेंगुजुमा गांव, कोहिमा के ग्राम अधिकारियों को “बीएमसी के संचालन” पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया था। आजीविका संवर्धन गतिविधि के एक भाग के रूप में, केजोमा गांव में मधुमक्खी पालन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है और खोनोमा गांव के 120 लाभार्थियों को मुर्गी पालन वितरित किया गया है। खोनोमा गांव में मेंढक पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। सुखई गांव में “प्रकृति आधारित इकोटूरिज्म” पर बोर्ड द्वारा क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था।



मधुमक्खी पालन पर प्रशिक्षण पालन



खोनोमा गांव में मेंढक पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण पर जागरूकता कार्यक्रम

12.7.19 उडीसा

बोर्ड की एक बैठक आयोजित की गई थी। अब तक, 4 जैव विविधता विरासत स्थल (बीएचएस) सरकार द्वारा घोषित किए गए हैं। आईडीबी 2023 लोकसेवा भवन, भुवनेश्वर के राज्य पारंपरिक केंद्र में मनाया गया। बीएमसी के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। ओडिशा जैव विविधता बोर्ड ने एन ईगल आई व्यू और द टेल्स ऑफ गंधमर्दन नामक दो वृत्तचित्र फिल्में और पीबीआर तैयार करने के संबंध में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न नामक एक विवरणिका तैयार की है।

12.7.20 पंजाब

बोर्ड को तीन साल की अवधि के लिए फिर से गठित किया गया था। पंजाब एसबीबी ने विशेषज्ञों की बातचीत, छात्रों के लिए प्रतियोगिता, प्रकृति की सैर और जैव विविधता समृद्ध क्षेत्रों की यात्रा, वृक्षारोपण, बीज और बाजरा प्रदर्शनियों, वृत्तचित्र स्क्रीनिंग और रेडियो वार्ता आदि सहित 84 गतिविधियों/कार्यक्रमों का आयोजन करके आईडीबी 2023 मनाया। बीएमसी को मजबूत करने और पीबीआर के उन्नयन की दिशा में पंचायत अधिकारियों और बीएमसी के सदस्यों के लिए जागरूकता और क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए गए। पंजाब राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद के सहयोग से पंजाब जैव विविधता बोर्ड ने एनोजिसस सेरिसिया वर न्यूमुलरिया के पूर्व-सीटू संरक्षण के लिए एक विशेष पहल शुरू की, जिसे जैविक विविधता अधिनियम 2002 की धारा 38 के तहत पंजाब की विलुप्त होने वाली पुष्प प्रजातियों में से एक के रूप में अधिसूचित किया गया है। उक्त विशेष पहल के तहत राजस्थान के विभिन्न हिस्सों से एकत्र की गई प्रजातियों के प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पौधे पीबीबी और पंजाब के सरकारी स्कूलों के कार्यालय में लगाए गए थे। इको क्लब के छात्रों और स्कूलों के प्रभारी शिक्षक को संकटग्रस्त पौधों की प्रजातियों के पूर्व-स्वस्थानी संरक्षण के महत्व के बारे में बताया गया और पौधों की प्रभावी देखभाल सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रबंधन प्रथाओं पर भी प्रशिक्षित किया गया। बोर्ड द्वारा गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर के सहयोग से “विथानिया कोगुलांस के लिए संरक्षण रणनीतियों का विकास; पंजाब का एक लुप्तप्राय उच्च मूल्य औषधीय पौधा” नामक एक विशेष परियोजना लागू की गई है। डब्ल्यूडब्ल्यूएफ इंडिया के सहयोग से पंजाब एसबीबी ने संबंधित आर्द्रभूमि में और उसके आसपास स्थित गांवों के बीएमसी सदस्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राज्य के 2 रामसर आर्द्रभूमि अर्थात् रोपड़ वेटलैंड और कांजली वेटलैंड में एशियाई जल पक्षी जनगणना का आयोजन और संचालन किया।

12.7.21 राजस्थान

आईडीबी समारोह के एक भाग के रूप में, राजस्थान एसबीबी द्वारा विभिन्न कार्यक्रम जैसे, रैली, पोस्टर प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। मलेशिया स्काउट प्रतिनिधियों की एक टीम आईडीबी उत्सव में शामिल हुई और प्रतिज्ञा ली। राजस्थान राज्य के महावृक्ष (बड़े पुराने पेड़ सर्वेक्षण) कार्यक्रम पर एक पोस्टर जारी किया गया था। बोर्ड द्वारा राजस्थान के विभिन्न जिलों में जैव विविधता संरक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

12.7.22 सिक्किम

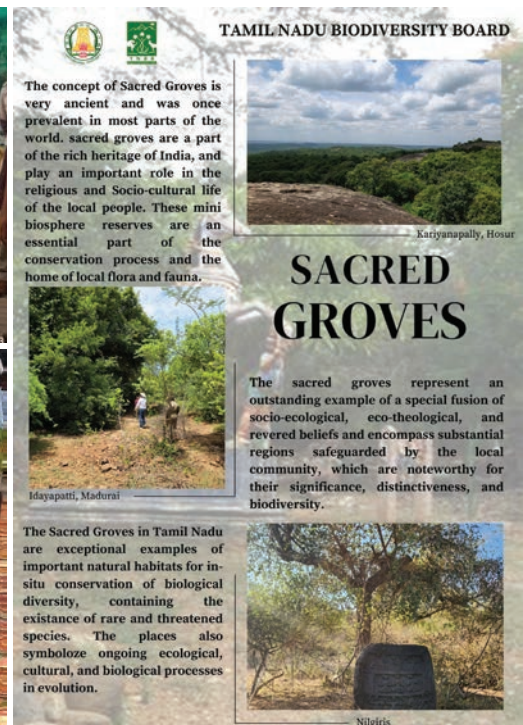
वर्ष के दौरान, एक बीएचएस तुंगक्योंग ढो झील को अधिसूचित किया गया है। बोर्ड ने आईडीबी, 2023 मनाया है। बीएमसी के लिए बोर्ड द्वारा बीडी अधिनियम 2002, उनकी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों और पीबीआर के महत्व पर जागरूकता सह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस के अवसर पर कॉलेज के छात्रों को पर्यावरण की सुरक्षा में युवाओं की भूमिका विषय पर प्रेरक वार्ता दी/रखी गई।

12.7.23 तमिल नाडु

बोर्ड द्वारा सेक्रेड ग्रोव्स पर एक पोस्टर और जैव विविधता विरासत स्थलों (बीएचएस) पर रेडी रेकनर का ब्रोशर जारी किया गया। राज्य और जिला स्तर पर आईडीबी 2023 के उत्सव को चिह्नित करने के लिए, बोर्ड द्वारा सुबह की सैर, शाम की साइकिल रैली, प्रश्नोत्तरी और भाषण प्रतियोगिताओं, सांस्कृतिक प्रदर्शनों, प्रदर्शनियों, समुद्र तट की सफाई गतिविधियों का आयोजन किया गया है। जैव विविधता संरक्षण गतिविधियों, पीबीआर की तैयारी और बीएचएस के महत्व के लिए बीएमसी के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए बीएमसी के सचिवों और सदस्यों के लिए एक ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। तटीय पारिस्थितिकी तंत्र और उनके महत्व और मिशन लाइफ पर जागरूकता कार्यक्रम रामनाथपुरम जिले में आयोजित किया गया था। बोर्ड ने विश्व मौसम विज्ञान दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, मैग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस और विश्व जल दिवस भी मनाया।



तमिलनाडु एसबीबी द्वारा आईडीबी 2023 का आयोजन



12.7.24 त्रिपुरा

बोर्ड की एक बैठक आयोजित की गई थी। कुल 1264 बीएमसी का गठन किया गया और 31 मार्च, 2023 तक पीबीआर को अपडेट किया गया। त्रिपुरा जैव विविधता बोर्ड को 100: ई-ऑफिस प्रणाली चलाने के लिए प्रशंसा प्रमाण पत्र मिला। आईडीबी के उत्सव के उपलक्ष्य में बोर्ड द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, जैसे जैव विविधता जागरूकता चक्र रैली, बर्ड वाचिंग, समाचार पत्र विज्ञापन, स्कूली छात्रों के लिए प्रतियोगिताएं, बीएमसी द्वारा वृक्षारोपण आदि। आईडीबी 2023 की पूर्व संध्या पर आयोजित संगोष्ठी के दौरान एक ई-पुस्तक "त्रिपुरा की मछली विविधता" लॉन्च की गई। बोर्ड द्वारा आर्द्रभूमि का दौरा, मिशन लाइफ पर आर्द्रभूमि और जलग्रहण क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान जैसी विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गईं। त्रिपुरा एसबीबी ने बीएमसी और स्वयं सहायता समूहों को शामिल करते हुए एक वन खाद्य महोत्सव का आयोजन किया। त्रिपुरा एसबीबी द्वारा राष्ट्रीय ट्रांजिट परमिट सिस्टम पोर्टल के बारे में प्रदर्शन के संबंध में वन विभाग के संरक्षण विंग और लघु वन उपज के व्यापारियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई है। त्रिपुरा एसबीबी ने बीएमसी के अध्यक्ष और पंचायत सचिव/पंचायत विस्तार अधिकारियों के लिए ब्लॉकवार प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया।

12.7.25 तेलंगाना

31 मार्च 2024 तक, तेलंगाना जैव विविधता बोर्ड ने कुल 13,461 बीएमसी का गठन किया और सभी बीएमसी में पीबीआर तैयार किए। चार जैवविविधता विरासत स्थलों (बीएचएस) की पहचान की गई है और अधिसूचना के लिए प्रस्तावित हैं। हैदराबाद शहर जैव विविधता सूचकांक 2023 में जारी किया गया। अन्य प्रभावी संरक्षण विधियों (ओईसीएम) की पहचान की गई, जैसे तेलंगाना महिला विश्वविद्यालय, कोटी महिला कॉलेज, कोटी, हैदराबाद, धर्मवाना नेचर आर्क, भोंगीर, यदाद्री जिला। प्रशिक्षण सह क्षमता निर्माण कार्यक्रम बोर्ड द्वारा जैविक विविधता अधिनियम, नियम और पहुंच और लाभ साझाकरण (एबीएस) मुद्दों और बीएमसी के अध्यक्षां, मंडल परिषद विकास अधिकारियों (एमपीडीओ), मंडल प्रजा परिषद (एमपीपी) और जिला परिषद क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र (जेडपीटीसी) के लिए जन जैव विविधता रजिस्ट्रों (पीबीआर) पर जागरूकता पैदा करने के लिए आयोजित किए गए थे। तेलंगाना राज्य जैव विविधता बोर्ड (TSBDB) और ध्रुवांश संगठन के सहयोग से पर्यावरण संरक्षण प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (EPTRI), EIACP हब और RP ने समुदायों, स्कूल और कॉलेज के छात्रों को आर्द्रभूमि और जैव विविधता के महत्व के बारे में संवेदनशील बनाने के लिए विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2024 समारोह का आयोजन किया है। इस आयोजन में वेटलैंड वॉक जैसी गतिविधियां देखी गई हैं; जैसे आर्द्रभूमि और मानव कल्याण पर पोस्टर प्रतियोगिताय वेटलैंड्स पर परियोजना प्रदर्शनी और वेटलैंड्स और इसकी जैव विविधता पर फोटो प्रदर्शनी और "मेरी लाइफ" (पर्यावरण के लिए जीवन शैली) विषय पर स्वागत नृत्य। माननीय पर्यावरण, वन और बंदोबस्ती मंत्री, तेलंगाना सरकार ने नेकनामपुर झील में भारत के मानव निर्मित सबसे बड़े तैरते पक्षी द्वीप का उद्घाटन किया और वृक्षारोपण अभियान में भाग लिया। श्री अचलेन्दर रेड्डी, आईएफएस, (सेवानिवृत्त) अध्यक्ष, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, ने जनगांव नगर पालिका जैव विविधता प्रबंधन समिति का दौरा किया और बीएमसी सदस्यों और नगर पालिका आयुक्त के साथ बीएमसी गतिविधियों और सर्वोत्तम प्रथाओं के बारे में व्यापक चर्चा की। तेलंगाना राज्य जैव विविधता बोर्ड कैलेंडर 2024 का विमोचन किया गया। तेलंगाना राज्य जैव विविधता बोर्ड ने भास्कर ऑडिटोरियम, बीएम बिड़ला सेंटर, हैदराबाद में जैविक विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2023 मनाया है। इस अवसर पर, तेलंगाना राज्य जैव विविधता बोर्ड के जैविक विविधता अधिनियम, 2002, जैव विविधता नियम, 2004 और तेलंगाना राज्य जैव विविधता नियम, 2015 की ऑडियोबुक लॉन्च की गई। इसके अलावा, "कृषि-बागवानी फसलों के आनुवंशिक संसाधनों पर एक ग्रंथ" नामक एक पुस्तक भी जारी की गई थी। बाजरा 2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के आधार पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था: विभिन्न संस्थानों, गैर सरकारी संगठनों और चिकित्सकों द्वारा लगभग नौ स्टाल लगाए गए थे। जैव विविधता प्रबंधन समिति (बीएमसी) के सदस्यों, वैज्ञानिकों, विशेषज्ञ सदस्यों, गैर सरकारी संगठनों, प्रोफेसरों और छात्रों सहित राज्य भर के 500 से अधिक लोगों ने उत्सव में भाग लिया। आईडीबी 2023 के अवसर पर, वर्ष 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली बीएमसी, जैव विविधता संरक्षक, जिला जैव विविधता समन्वयक के लिये पुरस्कार दिए गए।

12.7.26 उत्तराखंड

उत्तराखंड एसबीबी ने वर्ष के दौरान तीन बोर्ड बैठकें आयोजित की हैं। बोर्ड ने 7991 बीएमसी का गठन किया है और सभी बीएमसी में पीबीआर तैयार किए हैं। बोर्ड ने आईडीबी 2023 को शानदार तरीके से मनाया है। बोर्ड ने बीएमसी की सक्रिय भागीदारी के साथ जैव विविधता संरक्षण पर कार्यशाला/प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए।





उत्तराखंड एसबीबी द्वारा आईडीबी 2023 का आयोजन

12.7.27 उत्तर प्रदेश

वर्ष के दौरान दो बोर्ड बैठकें आयोजित की गईं। उत्तर प्रदेश एसबीबी ने “उत्तर प्रदेश के विरासत वृक्ष” पर कॉफी टेबल बुक प्रकाशित की। जैव विविधता संरक्षण पर जागरूकता पैदा करने के लिए, बोर्ड ने स्थानीय लोगों, विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के छात्रों के लिए विभिन्न संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित किए हैं। जैव विविधता प्रबंधन समितियों के सुदृढ़ीकरण और क्षमता निर्माण के अंतर्गत बोर्ड द्वारा कई जिला स्तरीय कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं।

12.7.28 पश्चिम बंगाल

वर्ष के दौरान, एक बोर्ड बैठक आयोजित की गई थी। राज्य ने 2023-24 में 2 नए जैव विविधता विरासत स्थलों को अधिसूचित किया, बीरमपुर-बगुरन जलपाई तटीय खंड, पूर्व मेदिनीपुर और हल्दीर चार, पूर्व मेदिनीपुर। बोर्ड ने सभी स्थानीय निकायों में बीएमसी का गठन किया है और सभी बीएमसी में पीबीआर तैयार किए हैं। बोर्ड विभिन्न संरक्षण गतिविधियों में शामिल है जैसे “Avoy Pukur” कार्यक्रम के माध्यम से स्वदेशी मछलियों का संरक्षण, औषधीय पौधे और स्वदेशी फसलें, और खुली हवा में तितली उद्यान का विकास। बोर्ड ने राज्य के सभी जिलों को कवर करते हुए स्कूलों में प्रकृति अध्ययन कार्यक्रम (बायो-टूर) और राज्य के विभिन्न स्कूलों की दीवारों पर पेंटिंग और विभिन्न जैव विविधता मुद्दों पर बीएमसी सदस्यों/लाइन विभागों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया है।



पश्चिम बंगाल एसबीबी द्वारा आईडीबी 2023 का आयोजन

12.7.29 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जैव विविधता परिषद ने 70-ग्राम स्तर बीएमसी और नगर पालिका स्तर बीएमसी में एक का गठन किया है और सभी 71 बीएमसी में पीबीआर तैयार किए हैं। आईडीबी 2023 के उत्सव के दौरान, जैव विविधता की रक्षा के महत्व के बारे में स्थानीय समुदायों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए परिषद द्वारा स्वच्छता अभियान, जैव विविधता नारे के साथ कपास की थैलियां बनाना, वृक्षारोपण कार्यक्रम जैसी गतिविधियाँ आयोजित की गई हैं।

12.7.30 जम्मू और कश्मीर

इस अवधि के दौरान एक बोर्ड बैठक आयोजित की गई थी। जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा जम्मू और कश्मीर जैव विविधता परिषद का पुनर्गठन किया गया। जैव विविधता विरासत स्थलों की पहचान (बीएचएस) और अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपायों (ओईसीएम) के लिए परिषद द्वारा एक उप समूह का गठन किया गया था। जम्मू और श्रीनगर



जम्मू और कश्मीर जैव विविधता परिषद द्वारा आईडीबी 2023 का आयोजन

शहरों के लिए स्थानीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना (LBSAP) 25 अप्रैल 2023 को जारी की गई थी। 31 मार्च 2024 तक, कुल 4658 बीएमसी का गठन किया गया है और 4366 पीबीआर तैयार किए गए हैं।

12.7.31 लद्दाख

आईडीबी 2023 के समारोह को चिह्नित करने के लिए, ग्रामीणों ने पंचायत, चुमाथांग के सभी बीएमसी और अन्य गांव के हितधारकों के सहयोग से अपनी अमूल्य प्राकृतिक विरासत को बचाने के लिए अपने गांव को कूड़ा मुक्त क्षेत्र घोषित किया। लद्दाख जैव विविधता परिषद ने GoI-UNDP-GEF SECURE हिमालय परियोजना के सहयोग से गोवा राज्य में चांगथांग परिदृश्य के बीएमसी का एक प्रदर्शन दौरा किया। एशियाई जल पक्षी जनगणना लद्दाख के तीन महत्वपूर्ण गर्म झरनों यानी चुमाथांग, पुगा और पनामिक के साथ-साथ त्सो कार, त्सोमोरीरी, हानले दलदल, यारब त्सो, सुमूर दलदल, डिस्क्रेट आर्द्रभूमि, चुचोट दलदल, स्पितुक दलदल, शे तालाब जैसे अन्य महत्वपूर्ण पक्षी स्थलों और शे और फे गांवों में सिंधु नदी के किनारे की गई थी।

12.7.32 लक्षद्वीप

लक्षद्वीप जैव विविधता परिषद ने 31 मार्च 2024 तक 10 पीबीआर तैयार किए। आईडीबी समारोह 2023 के एक भाग के रूप में, विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं जो इस प्रकार हैं— केंद्र शासित प्रदेश स्तर की लघु फिल्म निर्माण और ई-पोस्टर बनाने की प्रतियोगिताएं और द्वीप स्तर की स्पॉट फोटोग्राफी प्रतियोगिता, कछुए के घोंसले के शिकार के आवास और लैगून और समुद्र तट की सफाई को जागरूकता सृजन कार्यक्रम के रूप में बढ़ाना।

12.7.33 पुदुचेरी

वर्ष के दौरान परिषद की एक बैठक आयोजित की गई थी। पुदुचेरी जैव विविधता परिषद ने आईडीबी 2023 मनाया। जैव विविधता संरक्षण से संबंधित विषय पर बोर्ड द्वारा आयोजित सम्मेलन में लगभग 240 प्रतिभागियों ने भाग लिया।



डॉ. एस. राजेश कुमार

अनुलग्नक 1

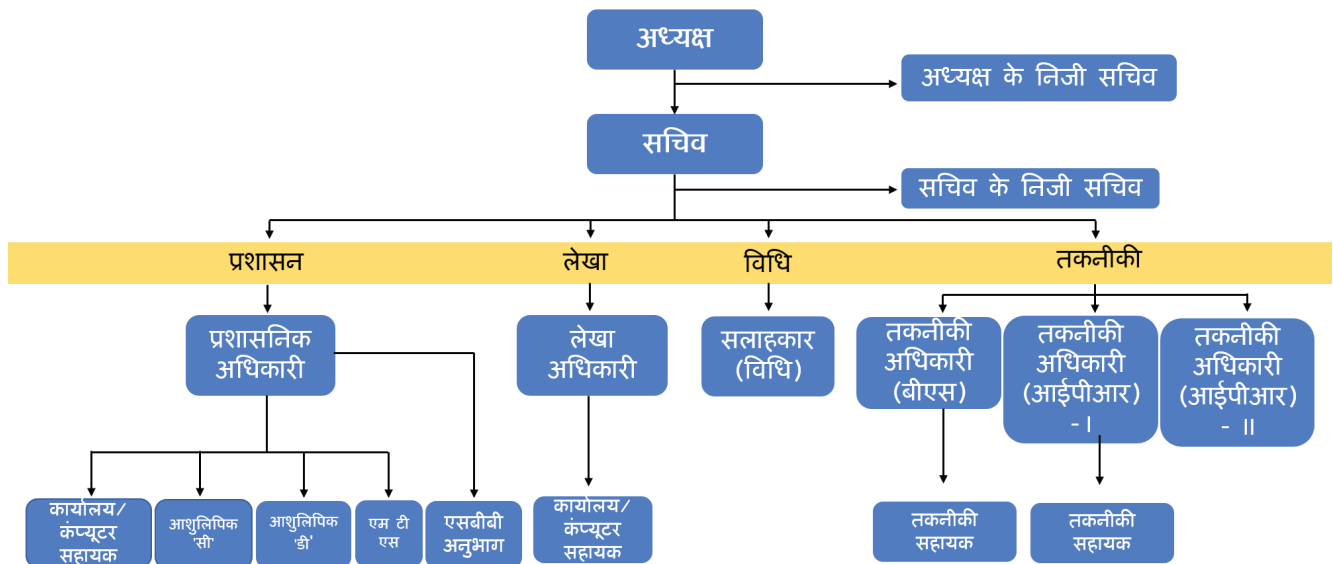
प्राधिकरण के अध्यक्ष

जैविक विविधता अधिनियम 2002 की धारा 8 (4a) के अनुसार प्राधिकरण के सदस्य इस प्रकार हैं:

अध्यक्ष	अवधि
श्री सी. अचलेन्दर रेड्डी, भा.व.से. (सेवानिवृत्त)	1 दिसंबर 2022 – वर्तमान तक
श्री नरेश पाल गंगवार, भा.प्र.से.	1 सितंबर 2022 – 30 नवंबर 2022
डॉ. वि.बि. माथुर	1 सितंबर 2019 – 31 अगस्त 2022
डॉ. ए.के. जैन, आईएएस	09 फरवरी 2019 – 31 अगस्त 2019
डॉ. (सुश्री). बी. मीनाकुमारी	09 फरवरी 2016 – 08 फरवरी 2019
श्री हेमपांडेय, आईएएस	06 फरवरी 2014 – 08 फरवरी 2016
डॉ. बालकृष्ण पिसुपति	12 अगस्त 2011 – 05 फरवरी 2014
श्री एम.एफ. फारुकी, आईएएस	11 नवंबर 2010 – 11 अगस्त 2011
डॉ. पी.एल. गौतम	31 दिसंबर 2008 – 3 नवंबर 2010
श्री पी.आर. मोहंती, आईएएस	01 अक्टूबर 2008 – 31 दिसंबर 2008
श्री जी.के. प्रसाद, आईएएस	20 मई 2008 – 30 सितंबर 2008
डॉ. एस. कन्नैयन	20 मई 2005 – 19 मई 2008
श्री विश्वनाथ आनन्द, आईएएस	01 अक्टूबर 2003 – 14 जुलाई 2004

अनुलग्नक 2

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का संगठनात्मक चार्ट



इन अधिकारियों और कर्मचारियों के अलावा, एनबीए को नियम 12(6) के अनुसार तकनीकी और विविध मामलों में सहायता करने के लिए परामर्शदाताओं द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

अनुलग्नक 3

कर्मचारियों की संख्या

पद	मंजूर	भरी हुई	रिक्त
अध्यक्ष	1	1	.
सचिव	1	1	.
प्रशासनिक अधिकारी	1	.	1
निजी सचिव—अध्यक्ष	1	1	.
लेखा अधिकारी	1	1	.
तकनीकी अधिकारी	2	2	.
सलाहकार (विधि)	1	1	.
निजी सचिव—सचिव	1	.	1
कार्यालय/कंप्यूटर सहायक	2	2	.
तकनीकी सहायक	2	2	.
आशुलिपिक —सी	1	1	.
आशुलिपिक —डी	1	1	.
एमटीएस	1	1	.
योग	16	14	2

अनुलग्नक 4

नागरिक चार्टर

1.1 दृष्टि

भारत की समृद्ध जैव विविधता और लोगों की भागीदारी के साथ जुड़े ज्ञान का संरक्षण और टिकाऊ उपयोग, वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों की भलाई के लिए लाभ साझा करने की प्रक्रिया सुनिश्चित करना।

1.2 मिशन (ध्येय)

जैव विविधता के संरक्षण, इसके घटकों के सतत उपयोग और आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों के उचित और न्यायसंगत बंटवारे के लिए जैव विविधता अधिनियम, 2002 और जैव विविधता नियम, 2004 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना।

1.3 अधिदेश

- ◆ भारत के जैव-संसाधनों पर संप्रभु अधिकारों की पुष्टि करना और जैव-संसाधनों और/या संबद्ध ज्ञान के दुरुपयोग की रोकथाम में योगदान देना
- ◆ संरक्षण, इसके घटकों के सतत उपयोग और जैविक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों के न्यायसंगत साझाकरण से संबंधित नीति और समर्थन प्रदान करना।
- ◆ जैव विविधता अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार जैविक संसाधनों तक पहुंच के लिए दिशानिर्देश, विस्तार सामग्री तैयार करके और हितधारकों तक पहुंचने और उचित और न्यायसंगत लाभ साझाकर गतिविधियों को विनियमित करना।
- ◆ अन्य देशों में व्यक्तियों को बौद्धिक संपदा अधिकार या भारत के किसी भी जैविक संसाधन या भारतीय मूल के ऐसे जैविक संसाधनों से जुड़े ज्ञान के अनुदान का विरोध करने के उपाय करना।
- ◆ राज्य सरकारों को उनके क्षेत्र-विशिष्ट जैव विविधता के संबंध में सलाह देना और विरासत स्थलों को अधिसूचित करना और उनके प्रबंधन और सतत उपयोग के लिए उपाय सुझाना।
- ◆ जैव विविधता प्रबंधन समितियों (बीएमसी) को उनके संबंधित अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर (पीबीआर) तैयार करने के लिए मार्गदर्शन, तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- ◆ जैव विविधता अधिनियम, 2002 के प्रावधानों को लागू करने के लिए आवश्यक अन्य कार्य करना।

1.4 हितधारक

जैव विविधता एक बहु-विषयक विषय है जिसमें विभिन्न गतिविधियां, पहल और जैव विविधता में कई हितधारक शामिल हैं जिनमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश, पंचायत राज संस्थान और नागरिक समाज संगठन, उद्योग, गैर सरकारी संगठन, अनुसंधान और विकास संस्थान, विश्वविद्यालय और बड़े पैमाने पर जनता शामिल हैं।

1.5 प्रस्तावित सेवाएं

- ◆ जैव विविधता के संरक्षण और टिकाऊ उपयोग से संबंधित संवर्धन।
- ◆ राज्य जैव विविधता बोर्डों और जैव विविधता प्रबंधन समितियों की गतिविधियों का समन्वय।
- ◆ तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करके अध्ययन और अनुकूलक/परिचालन जांच और आवश्यक अनुसंधान को प्रायोजित करना और आवश्यक पाए गए अध्ययनों को चालू करना।
- ◆ जैव विविधता के संरक्षण, इसके घटकों के सतत उपयोग और जैविक संसाधनों के लाभों के समान बंटवारे से संबंधित मामलों पर भारत सरकार को सलाह देना।
- ◆ अनुसंधान के परिणामों को हस्तांतरित करने, बौद्धिक संपदा अधिकार प्राप्त करने, अनुसंधान या वाणिज्यिक उपयोग या जैव-सर्वेक्षण और जैव-उपयोग के लिए एक्सेस किए गए जैव-संसाधन के तीसरे पक्ष के हस्तांतरण के लिए भारत में होने वाले जैविक संसाधनों या संबद्ध ज्ञान तक पहुंच के लिए अनुमोदन प्रदान करना।
- ◆ सभी हितधारकों द्वारा जैव-संसाधन तक पहुंच को सुविधाजनक बनाना और पारदर्शी रूप से जैव विविधता के उपयोगकर्ताओं और संरक्षकों के बीच समान लाभ-साझाकरण सुनिश्चित करना।

1.6 शिकायत निवारण तंत्र

प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, सार्वजनिक शिकायतों के निवारण के लिए नामित अधिकारी हैं। कोई भी शिकायत इन्हें संबोधित की जा सकती है—

प्रशासनिक अधिकारी

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण,

टाइसल बायो पार्क,

5 वीं मंजिल, सीएसआईआर रोड, तारामणि,

चेन्नई -600113

फोन: 044-22542777, 1075; विस्तार: 27

फैक्स: 044-22541200

ई-मेल: admn@nba.nic.in

1.7 नागरिकों/ग्राहकों से अपेक्षाएं

जैव विविधता अधिनियम, 2002 के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों का पालन करना और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की भावना को आत्मसात करना और बढ़ावा देना और प्रकृति के कानूनों के प्रति सम्मान करना और मानव जाति के समग्र हित में एनबीए और एसबीबी द्वारा गतिविधियों को पूरा करने के लिए सहयोग देना।

कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा, केंद्रीय व्यय

पर्यावरण एवं वैज्ञानिक विभाग

नई दिल्ली-110002

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, चेन्नई-113.
National Biodiversity Authority, Chennai-113
डाइरी संख्या / Diary No.: 1294810
को प्राप्त / Received on: 8/10/24

DGA/ESD/EA/SAR/NBA Chennai/2023-24/PR-125676 / 208

दिनांक 01 OCT 2024

सेवा में,

The Secretary
National Biodiversity Authority,
5th Floor, TICEL Bio Park,
CSIR, Road, Taramani,
Chennai - 600 113

विषय: Separate Audit Report on the Accounts of National Biodiversity Authority,
Chennai for the year ended 31st March 2024

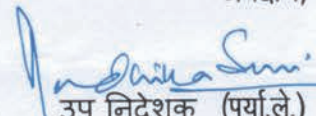
महोदय,

मुझे वर्ष 2023-24 के लिए National Biodiversity Authority, Chennai का पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन अग्रेषित करने का निर्देश हुआ है।

संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करने से पहले वर्ष 2023-24 के वार्षिक लेखों को संस्थान के शासी निकाय द्वारा अनुमोदित किया/अपनाया जाए तथा इस संबंध में शासी निकाय द्वारा जारी किया गया रेजोल्यूशन ऑडिट को भेजा जाए। प्रत्येक दस्तावेज जो संसद में प्रस्तुत किया जाए उसकी तीन प्रतियाँ इस कार्यालय तथा दो प्रतियाँ भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक को अग्रेषित की जाए। संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करने की तिथियाँ भी इस कार्यालय को सूचित की जाए।

संलग्नक:- पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

भवदीय,


उप निदेशक (पर्या.ले.)

Separate Audit Report of the Comptroller & Auditor General of India on the Accounts of National Biodiversity Authority, Chennai for the year ended 31st March 2024

1. We have audited the attached Balance Sheet of National Biodiversity Authority, Chennai as on 31 March 2024 and Income & Expenditure Account / Receipts & Payments Account for the year ended on that date under Section 19(2) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Powers & Conditions of Service) Act, 1971 read with Section 29(2) of Biological Diversity Act. These financial statements are the responsibility of the National Biodiversity Authority, Chennai. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller & Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms, etc., Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the law, rules & regulations (propriety and regularity) and efficiency-cum-performance aspects, etc., if any, are reported through Inspection Reports/CAG's Audit Reports separately.

3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An Audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

4. Based on our audit, we report that

- i) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.
- ii) The Balance Sheet and Income & Expenditure Account/Receipts & Payments Account dealt with by this report have been drawn up in the format approved by the Government of India, Ministry of Finance.
- iii) In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the National Biodiversity Authority, Chennai as required under Section 29(2) of the

Biological Diversity Act, in so far as it appears from our examination of such books.

iv) We further report that:-

A. Balance Sheet

-

B. Income and Expenditure Account

-

C. Receipt and Payment Account

-

D. Accounting Policies

-

E. General

1. It was noticed that the corpus of NBA turned negative to the tune of ₹ 10,93,541. The Authority may clarify as to how this negative corpus is to be recouped.

2. Under Sch -21, an amount of ₹ 5,00,000/- had been paid to GEF- ABS Project. This is a UNEP-GEF funded project which was closed in 30.09.2019. On closure of this Project an amount of ₹ 98,64,390/- had to be refunded to the UNEP agency. But as per bank A/c ₹ 95,20,825/- was available in the GEF project Account. The difference amount of ₹ 3,43,565/- along with USD exchange rate and Bank Charges amounting to ₹ 5,00,000/- was paid from the Grant-in-Aid of NBA, on the instruction of MoEF&CC. The same was not reflected in the Notes on Accounts Sch-25 of the Annual Accounts of NBA 2023-24.

3. Non-receipt of utilization certificate

It is observed that as on 31 March 2024, utilization certificates for 146 grants amounting to ₹ 6.11 crore are still pending for receipt by NBA from State Biodiversity Boards and other organizations, along with audited statement.

F. Grants-in-aid

NBA Chennai had an opening balance of ₹ 1,28,20,326 and received grants-in-aid to the tune of ₹ 15,19,85,000, of which it made payments of ₹ 16,11,98,301, leaving a closing balance of ₹ 36,07,025.

G. Management Letter

Deficiencies which have not been included in the Separate Audit Report have been brought to the notice of the National Biodiversity through Management letter issued Annexure – **A** for remedial / corrective action

v) Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet, Income and Expenditure Account and Receipts & Payment Account dealt with by this report agree with the books of accounts.

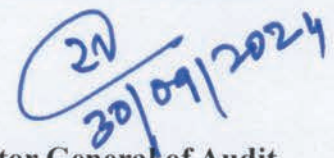
vi) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with the Accounting Policies and Notes on Accounts, subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in Annexure I to this Separate Audit Report give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India.

- a. In so far as it relates to the Balance Sheet, of the state of affairs of the National Biodiversity Authority, Chennai as on 31st March 2024.
- b. In so far as it relates to the Income and Expenditure Account of the deficit for the year ended on that date.

Place: New Delhi

For and on behalf of the C&AG of India

Date: 01/10/2024


Director General of Audit
Central Expenditure (E&SD)

Annexure-I

1. Adequacy of Internal Audit

Internal audit of NBA for the period 2019 – 2023 conducted during 18.12.2023 to 22.12.2023. As on 31.03.2024 total 22 paras are outstanding

2. Adequacy of Internal Control System

Internal control system is inadequate as all the financial transactions were done by the Accounts Officer who performs the functions of Drawing and Disbursing Officer and also functions as Pay and Accounts officer. As a result, there was no separation of duties of Drawing and Disbursing Officer and Accounts officer to have control over internal audit functions. Management Information System (MIS) needs to be put in place, to have internal control on different types of expenditures incurred and the income received by NBA from different sources.

3. System of Physical Verification of Fixed assets

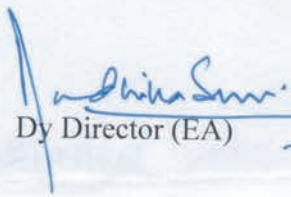
NBA conducted physical verification of assets for the year 2023-24.

4. System of physical verification of inventory

Physical verification of inventory was carried out for the year 2023-24.

5. Regularity in payment of statutory dues

Test check revealed no outstanding statutory dues with NBA as of March 2024.


Dy Director (EA)



कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा, केन्द्रीय व्यय
पर्यावरण एवं वैज्ञानिक विभाग, ए.जी.सी.आर. भवन,
आई पी एस्टेट, नई दिल्ली-110002
Office of the Director General of Audit, Central Expenditure
Environment & Scientific Departments
AGCR Building, IP Estate, New Delhi-110002



संदीप लाल, आई. ए. एंड ए. एस.
महानिदेशक लेखापरीक्षा

DO No. DGACE/E&SD/EA/SAR/NBA/2023-24/16

Dated: - 01 OCT 2024

Dear Dr. Balaji,

I have audited the annual accounts of National Biodiversity Authority, Chennai for the year 2023-24 and have issued the Audit Report thereof vide letter dated ... 01/10/2024. During the course of audit, some deficiencies were noticed (as per Annexure – A) which are of relatively minor nature and were, therefore not included in the Audit Report. These are being brought to your notice for remedial and corrective action.

with regards,

Yours sincerely.

20
30/09/2024

Encl: As above

Dr. B. Balaji, IFS
Secretary
National Biodiversity Authority,
TICEL BIO PARK,
5th Floor, Taramani Road,
Taramani, Chennai - 600 113.

Annexure – A

1. Schedule-8A- Fixed Assets

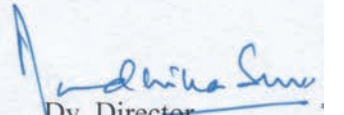
An amount of ₹ 54,883/- was shown as expenditure towards purchase of Library books, in the Ledger, during the year 2023-24. But in the schedule - 8 of the Fixed Asset, only ₹ 3,185/- has been accounted, leading to understatement of Asset to the extent of ₹ 51,698/

2. Schedule 21 – Other Administrative Expenses - Revenue Expenditure incurred from Capital Grant

An amount of ₹ 3000/- was expended from the GIA - Capital grant fund, as revenue expenditure under Schedule 21 which is not admissible.



डॉ. एस. राजेश कुमार


Dy. Director

